

वित्त विधेयक, 2016

प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2016 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, आय-कर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004, वित्त अधिनियम, 2013 और वित्त अधिनियम, 2015 में निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु संशोधन करने के लिए हैं—

- (क) आय-कर दरें
- (ख) अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण
- (ग) कर आधार और दुरुपयोगरोधी उपायों को व्यापक बनाना
- (घ) कटौतियों को समाप्त करने के उपाय
- (ङ) सामाजिक - आर्थिक संवर्धन के प्रोत्साहन के उपाय
- (च) राहत और कल्याणकारी संबंधी उपाय
- (छ) कारबार करने की सहजता और विवाद समाधान
- (ज) सुव्यवस्थीकरण के उपाय ।

2. वित्त विधेयक, 2016, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कर हेतु दायी आय पर आय-कर की दरों को, ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरों, "वेतन" से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभासित करने की दरों को विहित करने के लिए है।

प्रत्यक्ष कर

क. आय-कर की दरें

1. निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत, आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो "अग्रिम कर" की संगणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभासण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्गृहीत किया जाएगा:—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का निकाय चाहे वे निगमित हो या नहीं या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, सहकारी समितियां फर्म या स्थानीय निकायों की दशा में आय-कर की रकम को ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर का बारह प्रतिशत की दर से संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ऊपर (क) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की दशा में भी, जिनकी कुल आय अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभास्य है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऊपर उल्लिखित दर पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमान्त राहत भी प्रदान की जाएगी।

- (ख) ऐसी देशी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;
- (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

- (ग) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,
- (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में तथा अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

प्रत्येक कंपनी की दशा में भी जिसकी अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, किन्तु यथास्थिति, दस करोड़ रुपए से अनधिक है या दस करोड़ रुपए से अधिक है, पूर्वोक्त वर्णित दरों पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमांत राहत भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(घ) अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और आय-कर पर "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार को सम्मिलित करके संगणित कर रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत होता रहेगा। ऐसे उपकरों की बाबत कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें ।

"वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं सिवाय इसके कि तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय की प्रकृति में किसी निवासी (कंपनी से भिन्न) के किए गए संदायों के मामले में दर ऐसी आय का पांच प्रतिशत होगी ।

(1) अधिभार

किसी अनिवासी व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार तक निम्नलिखित दर से बढ़ाया जाएगा—

- किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यक्ति का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में ऐसे कर का पन्द्रह प्रतिशत;
- किसी फर्म या सहकारी सोसाइटी की दशा में ऐसे कर का बारह प्रतिशत,

जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपये से अधिक है।

किसी देशी कंपनी से भिन्न अन्य किसी कंपनी की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार भी निम्नलिखित दर से बढ़ाया जाएगा—

- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ से अधिक है किन्तु दस करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसे कर का दो प्रतिशत;
- जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ से अधिक है, ऐसे कर का पांच प्रतिशत।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, "अग्रिम कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

अ - व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यक्तियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यक्ति [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यक्तियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बाह्य प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट हैं। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर, यदि पूर्व वर्ष 2014-15 का कुल आवृत्त या सकल प्राप्ति पांच करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का उनत्तीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी।

विनिर्माता या उत्पादन अथवा वस्तु अथवा ऐसी वस्तु जो अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित है; के कारबार में अकेले रूप से लगी हुई नई स्थापित की गई देशी कंपनियों को अनुतोष प्रदान करने के क्रम में, जो कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आने वाले आवर्ती वर्ष के लिए किसी सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए घरेलू कंपनी की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, कंपनी के भाग पर 85% की दर से गणना की जाएगी, यदि -

(i) कंपनी 1 मार्च 2016 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की जाती है;

(ii) कंपनी, विनिर्माण, या वस्तु के उत्पादन या किसी ऐसी किसी चीज के बारे में कारबार में लगी हुई है और कोई अन्य कारबार में नहीं लगी हुई है;

(iii) जब कंपनी अपनी कुल आय की गणना करते समय धारा 10कक के अधीन, "धारा 80अकक के उपबंधों के सिवाए अध्याय 6क के भाग के अधीन कतिपय आय के संबंध में त्वरित अवक्षय के लाभ अतिरिक्त अवक्षय के लाभ, विनिधान भत्ता किसी कटौती और वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, के संबंध में किसी लाभ का दावा नहीं करती है; और

(iv) आय के तैयार करने की सम्यक तारीख से पूर्व विहित रीति में विकल्प को पूरा करती है।

देशी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी की दशा में कर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी की दशा में सात प्रतिशत की दर के अधिभार को उद्गृहीत किया जाएगा यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से कम है। यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक या 115नघ भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, सभी मामलों में “आय-कर पर शिक्षा उपकर” और “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकरों के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2, 49 और पहली अनुसूची]

ख. अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण

लाभांश के रूप में आय के कराधान का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (34) के विद्यमान उपबंधों के अधीन में से ऐसे लाभांश, जिन्होंने धारा 115ण के अधीन लाभांश वितरण पर कर (डीडीटी) का नुकसान उठाया है, शेयर धारक के हाथों छूट प्राप्त है। धारा 115ण के अधीन लाभांशों पर लाभांशों की घोषणा करने वाले के हाथों में वितरण के समय पन्द्रह प्रतिशत की दर पर ही कर लगाया जाएगा। यह उन करदाताओं में उर्ध्व असाम्या सृजित करता है, जो जिनकी उच्च लाभांश आय 15% की दर पर भी कर के अध्वधीन जबकि अब हम में ऐसी आय 30% की दर पर कर से प्रभार्य हुई होती।

लाभांश के रूप में आय को उपलब्धि कर उपचार को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, आयकर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 10 लाख रुपए से अधिक के लाभांश के रूप में कोई आय, व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (एचयूएफ) या फर्म, जो भारत में निवासी है, दस प्रतिशत की दर पर प्रभार्य होगा।

इन संशोधनों का 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7 और 50]

उस दशा में जहां विकल्प नहीं दिया गया है, वहां प्रतिभूति संव्यवहार कर की दर में परिवर्तन

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 यह उपबंध करती है कि प्रतिभूतियों में एक विकल्प के विक्रय पर प्रतिभूति संव्यवहार कर, जहां विकल्प, विकल्प प्रीमियम का 0.017 प्रतिशत का प्रयोग न किया हो। 0.017 से बढ़ाकर दर की रकम 0.05 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 230]

समकरण उद्ग्रहण

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के चलते, डिजिटल माल और सेवाओं की आपूर्ति और उपापन का हर जगह, जिसमें भारत भी है, घातीय विस्तार हुआ है, डिजिटल अर्थ-व्यवस्था का प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर पर विकास हो रहा है जो विशिष्ट रूप से संपूर्ण वैश्विक अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा तीव्र है।

इस समय डिजिटल क्षेत्राधिकार में, कारबार राष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में न रखते हुए चलाया जा सकता है और आय उत्पादक क्रियाकलाप और किसी विनिर्दिष्ट अवस्थान के बीच लिंक को विघटित कर सकेगा। कतिपय परिप्रेक्ष्य से, डिजिटल क्षेत्राधिकार में कारबार किसी वास्तविक अवस्थित में होता हुआ प्रतीत नहीं होता है किन्तु बजाए इसके “साइबर स्पेस” की निहारिकामय दुनिया में स्थान प्राप्त करता है। डिजिटल कार्यक्षेत्र में कारबार कर रहे व्यक्ति विश्व में कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। पूरे विश्व के उद्यमी इन परिवर्तनों का लाभ लेने के लिए अपने कारबार को विकसित करने के लिए तत्पर रहे हैं। इसमें कारबारियों के लिए उन ढंगों में कारबार को संचालित करना भी संभव बना दिया है जो पहले विद्यमान नहीं थे और नए कारबार माडल को बढ़ावा दिया है जो डिजिटल और दूर संचार नेटवर्क पर अधिक भरोसा रखते हैं, वास्तविक उपस्थिति की अपेक्षा नहीं करते हैं और नेटवर्क से संगृहीत और पारेषित आंकड़ों से सारवान महत्व प्राप्त करते हैं।

इन नए कारबार माडलों की नई दर चुनौतियों को सृजित किया है। ई-वाणिज्य से संबंधित विशिष्ट प्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दे पर संदाय की प्रकृति को विशेषीकृत करने में भी कठिनाइयां हैं और काराधान संव्यवहार क्रियाकलाप और कर लगाने की अधिकारिता संव्यवहार की पहचान करने के बीच संबंध अंतर्संबंध या लिंक स्थापित कर रहे हैं। डिजिटल कारबार मौलिक रूप से वास्तविक उपस्थित आधारित स्थायी स्थापन नियम को चुनौती देता है। यदि स्थायी स्थापन (पी ई) सिद्धांतों को नई अर्त-व्यवस्था में प्रभावी रहना है तो पुरानी अर्त-व्यवस्था अर्थात् कारबार का स्थान, अवस्थान और स्थायित्वता के लिए विकसित मौलिक पी ई संघटकों को नई डिजिटल यथार्थता के अनुकूल होना चाहिए।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने, कार्रवाई योजना के अधीन आधार अपरदन और लाभ अंतरण परियोजना में, प्रत्यक्ष कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए, अनेक विकल्पों की सिफारिश की है, जिसमें विद्यमान स्थायी स्थापन नियम में यह सम्मिलित करने के लिए परिवर्तन करना भी है कि पूर्णतः अभौतिकीकरण डिजिटल गतिविधियों में लगा कोई उद्यम स्थायी स्थापन का गठन करेगा, यदि वह किसी अन्य देश की अर्त-व्यवस्था में महत्वपूर्ण डिजिटल उपस्थिति बनाए रखता है। यह स्थायी स्थापन की अवधारणा में कारबार स्थायी स्थापन के वास्तविक नियत स्थान की सिफारिश भी करता है, अर्थात् जब उद्यम किसी अधिकारिता में अवस्थित किसी अन्य उद्यम के सर्वर पर कोई वेबसाइट बनाए रखता है और उस वेबसाइट के माध्यम से कारबार करता है तो स्थायी स्थापन का सृजन होगा। यह किसी विदेशी ई-वाणिज्य प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं या डिजिटल माल के संबंध में कतिपय संदायों पर कर के अंतिम विधारण के अधिरोपण के लिए या किसी निवासी से या अन्य संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन वाले किसी अनिवासी से, किसी अनिवासी को प्राप्त कतिपय डिजिटल संव्यवहारों के लिए प्रतिफल पर समकरण उद्ग्रहण के अधिरोपण के लिए भी सिफारिश करता है।

नई डिजिटल अर्त-व्यवस्था की संभाव्यता और कारबार प्रचालन की तेजी से विकसित होती प्रकृति पर विचार करते हुए इन चुनौतियों का ऊपर वर्णित ऐसे डिजिटल संव्यवहारों का काराधान के निबंधनानुसार समाधान करना आवश्यक पाया गया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, वित्त विधेयक में "समकरण उद्ग्रहण" नामक नया अध्याय अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अनिवासी द्वारा, जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है, भारत में ऐसे निवासी से, जो कारबार या वृत्ति करता है, या ऐसे अनिवासी से, जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, प्राप्त या प्राप्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिफल की रकम का 6% समकरण उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल अधिकार क्षेत्र में लघु संदायकर्ताओं के भार को कम करने के लिए यह उपबंध किया गया है कि यदि भारत में निवासी व्यक्ति से या किसी अनिवासी से, जिसका भारत में स्थायी स्थापन है, किसी पूर्ववर्ष में विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं है।

निश्चितता प्रदान करने और निर्वचन संबंधी मुद्दों से बचने के लिए, कतिपय पदों और उनमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, यह समकरण उद्ग्रहण की वसूली और संग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता है।

समकरण उद्ग्रहण के प्रशासनिक तंत्र का उपबंध करने के लिए यह सांविधिक प्राधिकारियों के लिए उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता है और समकरण उद्ग्रहण के प्रशासन के लिए प्राधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को भी विहित करता है। प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यह व्यतिक्रम की दशा में, रक्षोपायों के साथ ब्याज, शास्ति और अभियोजन के लिए उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता है।

इसके अतिरिक्त, यह इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्रदत्त करने का प्रस्ताव भी करता है और यह और उपबंध करता है कि इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

दोहरे काराधान से बचने के लिए, यह ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाएं, जिन पर समकरण उद्ग्रहण प्रभावी है, उपलब्ध कराने से उद्भूत होने वाली आय के लिए, अधिनियम की धारा 10 के अधीन छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता है कि इस अध्याय के अधीन प्रभावी विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय, समकरण उद्ग्रहण की कटौती और उसे केंद्रीय सरकार के पास जमा करने में निर्धारिती की असफलता की दशा में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं होंगे।

यह अध्याय उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना में, नियत करें जाए।

[खंड 7, 22 और 160 से 177]

ग. कर आधार और दुरुपयोग रोधी उपायों को व्यापक बनाना

यानों, माल या सेवाओं के विक्रय पर स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस)

अधिनियम की धारा 206ग का विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि विक्रय मानव उपयोग के लिए एल्कोहालिक लिकर, तेन्दू पत्ते स्क्रैप, खनिज जो कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क है सोना चांदी आदि के जैसी विनिर्दिष्ट मर्दों के विक्रय के समय क्रेता से विनिर्दिष्ट दर पर दो लाख रुपए से अधिक का नकद रूप में स्रोत पर कर संगृहीत करेगा।

किसी माल और सेवाओं के विक्रय में नकद संव्यवहार की मात्रा को कम करने के लिए और व्यापार प्रणाली में हिसाब में न ली गई राशि के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और उच्च मूल्य संव्यवहारों को कर दायरे के भीतर लाने के लिए, पूर्वोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि क्रेता दस लाख रुपए से अधिक मूल्य के मोटर यान के विक्रय पर और किसी माल (सोना चांदी और आभूषण) या सेवाओं (ऐसी संदायों से भिन्न जिन पर अध्याय 17ख में स्रोत पर कर काटा गया है) के नकद रूप में विक्रय पर एक प्रतिशत की दर पर कर संग्रह करेगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किसी माल (सोना चांदी और आभूषण से भिन्न) या सेवाओं के विक्रय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित उपधारा (1घ) ऐसे क्रेताओं के कतिपय वर्ग को जो ऐसी शर्तों को पूरा करते हैं, जो विहित की जाएं, लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 86]

शेयरधारक की वितरित आय पर कर

अधिनियम की धारा 115थक के विद्यमान उपबंध, कंपनी द्वारा असूचीबद्ध शेयरों को वापिस क्रय करने पर होने वाली वितरित आय पर 20% अतिरिक्त आय कर उद्गृहीत करने का उपबंध करते हैं। वितरित आय को कंपनी द्वारा शेयर वापस के लिए संदत प्रतिफल, जो कि कंपनी द्वारा शेयरों को जारी करते समय प्राप्त राशि से कम है, के रूप में धारा में परिभाषित किया गया है। वापिस क्रय करने को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा अपने ही शेयरों को क्रय करने के अभिप्राय से परिभाषित किया गया है।

हाल ही में, कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी द्वारा की गई वापिस क्रय करने के प्रभावों या ऐसे संव्यवहार पर धारा 115थक को लागू करने के संबंध में संदेहों को उठाया गया है। कंपनी द्वारा शेयरों को वापिस क्रय करने के समय प्राप्त प्रतिफल के निर्धारण की स्पष्टता के संबंध में भी मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी भी परिस्थितियां रही हैं, जहां कंपनी द्वारा शेयरों के भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न प्रतिफल पर जारी किया जा सकेगा या समामेलन, विलयन या अविलयन के अधीन अन्य कंपनी के विद्यमान शेयरों के स्थान पर जारी किया जा सकेगा।

धारा 115थक के प्रयोजन हेतु, वापिस क्रय करने का प्रभाव वितरित आय की प्रकृति में हैं, जो कि कंपनी से संबंधित विधि के विशिष्ट उपबंध जिनके अधीन इसे किया गया है के बजाय ससंगत हैं। आगे, कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिफल के निर्धारण की रीति में स्पष्टता: की कमी है, जो परिहार्य विवादों की तरफ लेकर जाएगी और क्रय तटस्थ कारबार पुनर्गठन के साथ-साथ वापिस क्रय करने के अधीन विशिष्टतय प्रतिफल बढ़ाने को कर अंतरणन का अवसर देती है।

स्पष्टता प्रदान करने हेतु और ऊपर दिए गए मुद्दों पर किसी संदिग्धता को दूर करने के लिए, धारा 115थक के संशोधन का प्रस्ताव है, जो उपबंधित करता है कि कंपनी से संबंधित विधि के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा वचनबंध वापिस क्रय किए गए असूचीबद्ध शेयर पर इस धारा उपबंध लागू होंगे और जिसका कि कंपनी अधिनियम की धारा 77क में निर्बंध आवश्यक नहीं है। यह और उपबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है कि वितरित आय की गणना के प्रयोजन के लिए, कंपनी द्वारा वापिस क्रय किए गए शेयर के संबंध में प्राप्त रकम का निर्धारण विहित रीति में किया जाएगा। इसके पश्चात् की विभिन्न परिस्थितियों में रकम के निर्धारण की रीति जिसके अंतर्गत कर तटस्थ पुनर्गठन के अधीन जारी शेयरों और विभिन्न ट्रेन्चों को उपबंधित करने के लिए नियम विरचित किए जाएंगे।

ये संशोधन 1 जून, 2016, से प्रभावी होंगे।

[खंड 56]

कर उद्ग्रहण जहां पूर्व संस्थान अस्तित्वहीन हो जाता है या अपूर्त संगठन में संपरिवर्तित हो जाता है

अधिनियम की धारा 2 (24) के विद्यमान उपबंध "आय" को एक सम्मिलित रीति में परिभाषित करते हैं। किसी पर्ट न्यास या संस्थान द्वारा प्राप्त कोई स्वैच्छिक अभिदाय या निधि जो आय की परिभाषा में सम्मिलित की गई है। उक्त धारा में युक्त विभिन्न शर्तों के अधीन, अधिनियम की धारा 11 और 12 न्याय और स्वैच्छिक अभिदाय के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त आय के संदर्भ में न्यासों और संस्थानों को छूट उपबंधित करती है। छूट प्राप्त करने की प्राथमिक शर्त है कि धारित संपत्ति से प्राप्त आय पूर्ण प्रयोजनों के लिए लागू होनी चाहिए। इसे, ऐसे प्रयोजनों के लिए विहित और लागू ढंग से करने के लिए धारा में उपबंधित विभिन्न शर्तों के अनुसार संचित किया जाना है। यदि संचित आय उक्त धारा में उपबंधित शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के भीतर लागू नहीं होती, तो ऐसी आय को न्याय या संस्थान की करादेय आय मानी जाएगी। धारा 12कक, न्यास या संस्थान के रजिस्ट्रीकरण, जो उन्हें धारा 11 और 12 का लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाता है, का उपबंध करती है। यह उन परिस्थितियों, जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है, का उपबंध करता है। अधिनियम की धारा 13, उन परिस्थितियों, जिनके अधीन धारा 11 या 12 के संदर्भ में पूर्ण या आय का कुछ भाग जो न्यास या संस्थान के लिए उपलब्ध नहीं होगा, का उपबंध करती है।

कोई समिति या कंपनी या न्यास या संस्थान जो पूर्व क्रियाकलाप करता है, स्वेच्छा से अपने क्रियाकलापों का परिसमापन कर सकता है और विघटन करता है या किसी अन्य पूर्ण या अपूर्त संस्थान के साथ विलयन कर सकता है या एक अपूर्त संगठन में संपरिवर्तित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में विद्यमान विधि इस संदर्भ में कोई स्पष्टता: नहीं प्रदान करती कि ऐसे पूर्ण संस्थानों की आस्तियों से किस तरह से व्यवहार किया जाएगा। हालांकि धारा 11 के उपबंधों के अधीन पूर्ण समय की आय की रकम को कतिपय शर्तों की असफलता पर कर के दायरे में लाया जा सकता है। यद्यपि, अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि निकाय और न्यास का आस्ति आधार जिसमें काफी समय से अनुवृद्धि होती रही है, साथ ही पूर्ण प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, और लगातार उसका उपयोग पूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाता है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी स्पष्ट उपबंध की अनुपस्थिति में, पूर्ण संस्थानों का अपूर्त संस्थानों के लिए आस्तियों का अंतरण करना हमेशा संभव होता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वर्षों से छूट द्वारा प्राप्त फायदों का गलत प्रयोग नहीं होता है और विधि में उस खाली जगह को भरने के लिए जो पूर्ण न्यासों को जिनमें छूट से निकाय/संपत्ति बनी है को अपूर्त संगठन में बिना किसी कर परिणामों के साथ संपरिवर्तित करने की अनुज्ञा दी जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय या संस्थान द्वारा उपभोग की गई छूट का आशयित प्रयोजन सम्पादित हुआ है, अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबंध निकास कर की प्रकृति में अधिशेष उद्ग्रहण करने के लिए अपेक्षित हैं जिसको तभी आकर्षित किया जा सकता है जब संगठन अपूर्त संगठन में संपरिवर्तित हो जाती है या अपूर्त संगठन के साथ विलयन हो जाता है या किसी अन्य पूर्ण संगठन को आस्ति या अंतरण नहीं की जाती है।

तदनुसार, अधिनियम के उपबंध का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है और किसी अपूर्व रूप से संपरिवर्तन या विलय की दशा में अतिरिक्त आय कर उद्गृहीत करने के लिए उपबंध करने हेतु नवीन अध्याय पुरःस्थापित किया जाता है या अंतरण पर पूर्ण संगठन की आस्तियों के लिए अपूर्त संस्थान विघटित हो जाती है। प्रणाली के तत्व इस प्रकार से हैं :—

- न्यास या संस्थान की आय में अनुवृद्धि (अनुवृद्धि आय), न्यास या संस्थान की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्य रूप में संपरिवर्तन पर करादेय होंगे या ऐसे अस्तित्व में विलय जिसमें एक जैसे उद्देश्य नहीं हैं और धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण हुआ है या 12कक के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्ण संस्थान के विघटन पर आस्तियों का वितरण नहीं करने पर या विघटन से बारह मास के भीतर धारा 10 (23ग) के अधीन अनुमोदित हुआ है;
- अभिवर्धित आय कुल आस्तियों के योग की वह रकम होगी जो विनिर्दिष्ट तारीख को दायित्व को घटा कर आय। मूल्यांकन की पद्धति नियमों में विहित करने का प्रस्ताव किया जाता है। पूर्व संगठन की आस्तियों दायित्व जिन्हें विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी अन्य पूर्व संगठन को अंतरित कर दिया गया है अभिवर्धित आय की संगणना करते समय अपवर्जित की जाएगी।

- (iii) अनुवृद्धि आय पर कर अधिकतम सीमांत दर पर होगा।
- (iv) यह उद्ग्रहण निकाय के हाथों में कर के लिए प्रभार्य किसी आय के अतिरिक्त होगा।
- (v) यह कर अंतिम कर होगा जिस पर न्यास या संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई प्रत्यय नहीं लिया जा सकता और किसी अन्य अतिरिक्त कर की तरह यह उद्ग्रहीत होगा यदि न्यास या संस्थान की कोई अन्य आय पूर्व सुसंगत वर्ष में कर प्रभार्य नहीं होती है।
- (vi) विहित समय में कर संदाय करने में असफल रहने की दशा में, संदाय न करने की अवधि पर साधारण 1% ब्याज प्रतिमाह या उसका कुछ भाग लागू होगा।
- (vii) कर और ब्याज की वसूली के प्रयोजन के लिए मुख्य अधिकारी या न्यासी और न्यास या संस्थान व्यतिक्रमी रूप से निर्धारिती समझा जाएगा और कर वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे। और न्यास की आस्तियों के प्राप्तकर्ता, जो कोई पूर्त संगठन नहीं है, को कर और ब्याज का संदाय न होने की दशा में व्यतिक्रमी रूप से निर्धारिती के रूप में दायी होगा। यद्यपि, प्राप्तकर्ता का दायित्व आस्तियों की प्राप्ति के विस्तार की सीमा तक होगा।
- यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 60]

घ. कटौतियों को समाप्त करने के उपाय

कटौती और छूट को समाप्त करना

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण 2015 में उपदर्शित किया था कि निगमित कर की दर में कटौती और छूट को समाप्त करने तथा तत्स्थानी रूप से अगले चार वर्ष के लिए 30% से घटाकर 25% किया जाएगा। सरकार ने इस विनिश्चय को चरणबद्ध रीति से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, पणधारियों से प्राप्त टिप्पणों हेतु लोक क्षेत्राधिकार पर व्यापक दिशा निर्देश सिद्धांत अपनाया गया है। ये दिशा निर्देश सिद्धांत हेतु नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

(क) लाभ संबंध, वनिधान संबंध और कटौती आधारित क्षेत्र को निगमित और गैर निगमित कर दाता दोनों को समाप्त किया जाएगा।

(ख) सीमांत तारीख रखने वाला उपबंध सीमांत तारीख को अग्रिम रूप से उपांतरित नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से अधिनियम में उपबंधित सीमांत तारीख का विस्तार नहीं किया जाएगा।

(ग) बिना सीमा तारीख के साथ प्रोत्साहन कर के मामले में क्रियाकलाप को आरंभ करने या अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अवसंरचना पर निर्भर लाभ के दावे का उपबंध करने की सीमा तारीख 31.3.2017 होगी।

(घ) तारीख 01.04.2017 से कोई भारत कटौती नहीं होगी।

उपरोक्त दिशानिर्देश सिद्धांत पर आधारित और प्रस्तावित समाप्त किए जाने वाली योजना पर पणधारियों के प्रतिउत्तर को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के अधीन निम्नलिखित प्रोत्साहन सारणी 1 और सारणी 2 में नीचे यथा सारणीकृत रीति में समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

सारणी 1 - अधिनियम के अधीन विद्यमान प्रोत्साहन (लाभ संबंध कटौती / भारत कटौती) के समाप्त की जाने वाली प्रस्तावित योजना

क्र. सं.	धारा	अधिनियम में उपलब्ध वर्तमान प्रोत्साहन	प्रस्तावित समाप्त किए जाने वाले उपाय/संशोधन
1	धारा 10कक - विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में नई स्थापित इकाई की बाबत विशेष उपबंध	वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ हेतु विशेष आर्थिक जोन में यूनिट के लिए लाभबद्ध कटौती	तारीख 1 अप्रैल, 2020 (पूर्व वर्ष 2020-21 से शुरु हो कर) को या उसके पश्चात् सेवाओं के उपबंध को आरंभ करने या आने वाले विनिर्माता या वस्तु के उत्पादन या चीज की इकाई के लिए कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी।
2	धारा 35कग - पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय	कतिपय पात्र सामाजिक विकास योजना या स्कीम पर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अनुमोदित संगम या संस्था, आदि के संदाय के द्वारा उपगत व्यय के लिए कटौती उसके कारबार से संबंधित नहीं है।	तारीख 01.04.2017 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्ष से) के प्रभाव से कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी।
3	35गगघ - कौशल विकास परियोजना पर व्यय	किसी कंपनी द्वारा कोई अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कोई उपगत व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में व्यय न होते हुए) पर भारत कटौती 150 प्रतिशत हो।	तारीख 1 अप्रैल, 2020 (पूर्व वर्ष 2020-21 से शुरु हो कर) से 100 प्रतिशत कटौती प्रतिबंधित होगी।
4	धारा 80झक; धारा 80झकख, और धारा 80झक में कतिपय विनिर्दिष्ट अस्तित्वों द्वारा लाभ और फायदे की बाबत कटौती	धारा 80झक; धारा 80झकख और धारा 80झक में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम या उद्यम द्वारा किया गया पात्र कारबार पर 100 प्रतिशत लाभ हित कटौती है।	1 अप्रैल, 2017 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 और पश्चात्वर्ती वर्ष से) को या उसके पश्चात् विशिष्ट अस्तित्वों हेतु कोई कटौती उपलब्ध नहीं की जाएगी।

सारणी-1 में विनिर्दिष्ट ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्वर्ती वर्ष की बाबत लागू होंगे।

सारणी 2 - अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रोत्साहन (त्वरित अवक्षयण/भारित कटौती)

क्र. सं.	धारा	अधिनियम में उपलब्ध वर्तमान प्रोत्साहन	प्रस्तावित समाप्त किए जाने वाले उपाय/संशोधन
1	आय-कर नियम, 1962 के नियम 5 के साथ पठित धारा 32	विनिधान के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कतिपय औद्योगिक सेक्टरों को त्वरित अवक्षयण अपादान किया जाता है। आय-कर अधिनियम के अधीन अवक्षयण कतिपय आस्तियों के ब्लाक की बाबत 100% तक उपलब्ध है।	आय-कर नियम 1962 के नियम 5 के साथ पठित नई परिशिष्ट झक को संशोधित करने के लिए उपबंध किया गया है कि आय-कर अधिनियम के अधीन अवक्षयण की उच्च दर प्रदान करने के लिए तारीख 01.4.2017 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 और पश्चात्वर्ती वर्षों से) 40% तक प्रतिषिद्ध होगी। आस्तियों के सुसंगत ब्लाक में आने वाले (चाहे नई हो अथवा पुरानी) सभी आस्तियों पर उपलब्धता करने के लिए नई दर पर प्रस्तावित है।
2	धारा 35(1)(iii) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय	किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संगम जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करने का उद्देश्य है, को किसी संदत्त राशि का 175 प्रतिशत के विस्तार को कारबार आय से भारत कटौती है।	भारित कटौती तारीख 01.04.2017 से 31.3.2020 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019 तक) 150 प्रतिशत प्रतिबंधित होगी और कटौती तारीख 01.04.2020 (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरु होकर) 100 प्रतिशत प्रतिबंधित होगी।
3	धारा 35(1)(iiक)- वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय	कारबार आय से भारत कटौती को किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी के लिए अंशदान के रूप में शोध संदाय का 125 प्रतिशत तक विस्तार किया गया है।	कटौती तारीख 01.04.2017 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों) से 100 प्रतिशत प्रतिबंधित होगी।
4	धारा 35(1)(iii)- वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय	कारबार आय से भारत कटौती को समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान हेतु प्रयोग किए जाने वाले किसी अनुमोदित अनुसंधान संगम या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संसाधन के लिए अंशदान 125 प्रतिशत की विस्तार सीमा तक है।	कटौती 01.04.2017 से तारीख 31.3.2020 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों से) से 100 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगी।
5	धारा 35 (2कक)- वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय	कारबार आय से भारत कटौती को अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को कोई संदत्त देय 200 प्रतिशत तक विस्तार है।	भारित कटौती तारीख 01.04.2017 से 31.3.2020 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20) को 150 प्रतिशत के लिए प्रतिबंधित होगी।
6.	धारा 352कख- वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय	कंपनी द्वारा उपगत व्यय की 200 प्रतिशत की भारत कटौती (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) जो बाँयो तकनीकी के कारबार या विनिर्माण के कारबार या किसी वस्तु या चीज के उत्पादन लगी हुई है के सिवाय कुछ मर्दे जो वैज्ञानिक अनुसंधान में गृह अनुसंधान और विकास सुविधा पर अनुमोदित अनुसूची-xi में विनिर्दिष्ट नकारात्मक सूची में आती है।	01.04.2017 से 31.03.2020 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20) तक भारत कटौती 150 प्रतिशत तक निर्बंधित होगी। 01.4.2020 (अर्थात् पूर्व वर्ष 2020-21 से आगे) से कटौती 100 प्रतिशत तक निर्बंधित होगी।
7.	धारा 35कघ- विनिर्दिष्ट कारबार के संदर्भ में कटौती	शीत चैन की सुविधा की दशा में, कृषि उत्पाद के भंडार के लिए भाण्डागार सुविधा, वहनी आवासन परियोजना, उर्वरक उत्पादन और अस्पताल, पूंजी व्यय से 150 प्रतिशत की भारत कटौती (भूमि पर व्यय, गुडविल और वित्तीय आस्ति के अलावा) की अनुमति है।	शीत चैन की सुविधा की दशा में, कृषि उत्पाद के भंडार के लिए भाण्डागार सुविधा, अस्पताल, वहनीय आवासन परियोजना, उर्वरक का उत्पादन, पूंजी व्यय से 100 प्रतिशत की भारत कटौती 01.4.2017 से प्रभावी होगी (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 से आगे)
8	धारा 35गग- अधिसूचित कृषि आधारित विस्तार परियोजना पर व्यय	अधिसूचित कृषि आधारित विस्तार परियोजना पर उपगत व्यय का 150 प्रतिशत भारत कटौती।	01.4.2017 से कटौती 100 प्रतिशत तक निर्बंधित होगी। (अर्थात् पूर्व वर्ष 2017-18 से आगे)

सारणी -2 में उल्लिखित ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और इसी प्रकार से 2018-19 निर्धारण वर्ष के संबंध में तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में लागू होंगे।

[खंड 8, 15, 17, 18, 19, 20, 39, 40 और 42]

७ सामाजिक-आर्थिक संवर्धन प्रोत्साहन के उपाय

विदेशी कंपनियों की सामरिक आरक्षिती रूप से भांडारित अपरिष्कृत तेल के विक्रय और भंडारण से आय की छूट

अधिनियम की धारा 5 के विद्यमान उपबंध, कुल आय की परिधि का उपबंध करते हैं। अनिवासी व्यक्ति की दशा में, आय का कराधान केवल तभी होता है जब आय, या तो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है या प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है या भारत में प्राप्त की गई है। अधिनियम की धारा 9 उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है यदि कोई आय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में कारबार संबंध से या उसके माध्यम से व्युत्पन्न होती है तो यह भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाने वाली आय का उपबंध करने वाली परिस्थितियों में से एक है।

भारतीय सामरिक पैट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, अपरिष्कृत तेल को, सामरिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए, भूमिगत भंडारण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। सामरिक सुक्षा को बनाए रखना भारत के राष्ट्रीय हित में है और भारतीय तेल कंपनियों के लिए कीमत स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऐसी सुविधाओं की भरण लागत में भारी वित्तीय भार आता है। सरकार ने इस वित्तीय भार के सारवान् भाग को निजी भागीदारी से पूरा करने की संभावनाओं को तलाशा है, जिनमें भारत के बाहर से अपरिष्कृत तेल का विक्रय और भंडारण करने वाली विदेशी राष्ट्रीय तेल कम्पनियां और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सम्मिलित हैं। तथापि, विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपरिष्कृत तेल का भंडारण और उसका भारत में विक्रय इन अस्तित्व के लिए कर दायित्व उत्पन्न करेगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, उनके अपरिष्कृत तेल का भारत में भंडार करने और सामरिक तेल आरक्षिती तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, कराधान संबंधी तटस्थता प्राप्त करने की दृष्टि से, अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारत में किसी सुविधा में अपरिष्कृत तेल के भंडारण और भारत में किसी निवासी व्यक्ति को उससे अपरिष्कृत तेल के विक्रय के मद्दे किसी विदेशी कंपनी को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी, यदि,—

- I. विदेशी कंपनी द्वारा भंडारण और विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार या ठहराव के अनुसरण में है; और
- II. राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, विदेशी कंपनी और करार या व्यवस्था केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाते हैं।

चूंकि तेल का भंडारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरंभ होने की संभावना है, यह छूट पूर्ववर्ष 2015-16 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2016-17 से उपलब्ध होगी। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

"विशेष अधिसूचित जोन" में हीरक व्यापार से संबंधित कतिपय गतिविधियों के संबंध में छूट

अधिनियम की धारा 5 के विद्यमान उपबंध, कुल आय की परिधि का उपबंध करते हैं। अनिवासी व्यक्ति की दशा में, आय का कराधान केवल तभी होता है जब आय या तो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है या प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है या भारत में प्राप्त की गई है। अधिनियम की धारा 9 उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है यदि कोई आय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में कारबार संबंध से या उसके माध्यम से व्युत्पन्न होती है तो यह भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाने वाली आय का उपबंध करने वाली परिस्थितियों में से एक है।

विदेशी खनन कंपनियों द्वारा प्रचालन का स्थानांतरण सुकर बनाने और विश्व की इन अग्रणी हीरक खनन कंपनियों द्वारा भारत में अपरिष्कृत हीरों के व्यापार को अनुज्ञात करने के लिए, "विशेष अधिसूचित जोन" गठित किया गया था। विदेशी खनन कंपनियों की अपरिष्कृत हीरों को केवल संपादित करने संबंधी गतिविधियों से भारत में वास्तविक विक्रय न होने के बावजूद, विदेशी खनन कंपनियों के भारत में कारबारी संबंध स्थापित होने की ओर अग्रसर होती है। भारत में इन गतिविधियों को चलाने की इच्छुक खनन कंपनियों के लिए यह संभाव्य कर अभिव्यक्त चिंता का विषय है।

विदेशी खनन कंपनियों को विशेष अधिसूचित जोने में अपरिष्कृत हीरे (किसी छंटाई या विक्रय के बिना) के संप्रदर्शन की गतिविधि चलाने को सुकर बनाने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि हीरों के खनन के कारबार में लगी किसी विदेशी कंपनी की दशा में, कोई आय ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से या क्रियाकलापों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित, किसी विशेष जोन में बिना कटे और बिना छंटे हीरे के प्रदर्शन तक सीमित है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

विद्युत सेक्टर के लिए धारा 32(1) (ii) के अधीन आरंभिक अतिरिक्त अवक्षयण के फायदे का विस्तार करना

विद्युत के उत्पादन और वितरण के कारबार में लगे कतिपय निर्धारितियों द्वारा अर्जित तथा संस्थापित नए सयंत्र या मशीनरी की लागत की बाबत अधिनियम की धारा 32(1) (ii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन 20% अतिरिक्त अवक्षयण अनुज्ञात किया जाता है। यह अवक्षयण मोक अधिनियम की धारा 32(1)(ii) के अधीन साधारण अवक्षयण के लिए अनुज्ञात कटौती के अतिरिक्त है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, अतिरिक्त अवक्षयण का फायदा विद्युत के पारेषण के कारबार में लगे निर्धारितियों द्वारा संस्थापित नई मशीनरी या सयंत्र पर उपलब्ध नहीं है।

विद्युत सेक्टर के प्रोत्साहन को सुन्यवस्थित करने के लिए इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विद्युत के पारेषण के कारबार में लगे निर्धारितियों को पूर्व वर्ष में अर्जित और संस्थापित, नई मशीनरी या सयंत्र की वास्तविक लागत की 20% की दर पर अतिरिक्त अवक्षयण भी अनुज्ञात होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

‘पेटेंट’ से आय का कराधान

देशी अनुसंधान और विकास का प्रोत्साहन करने के लिए और भारत को एक वैश्विक अनुसंधान और विकास का सामरिक केंद्र बनाने को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पेटेंट से आय के लिए एक रियायती कराधान प्रणाली अपनाने का विनिश्चय किया है। रियायती कराधान प्रणाली का उद्देश्य कंपनियों द्वारा विद्यमान पेटेंट को प्रतिधारण करने तथा उनका व्यापारीकरण करने और नए नूतन पेटेंटीकृत उत्पादों का विकास करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन का उपबंध करना है। यह विकास विनिर्माण से संबद्ध उच्च महत्व के कार्यों तथा पेटेंटों के भारत में उपयोग का पता लगाने में कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ ई सी डी) ने सिफारिश की है कि योजना के अधीन आधार अपरदन और लाभ अंतरण (वीईपीएस) परियोजना में अंतर्बंधन पहुंच, जो यह विहित करता है कि बौद्धिक संपदा के उपयोग से उद्भूत आय के श्रेय और कर का निर्धारण केवल विधिक स्वामित्व की अधिकारिता की अपेक्षा उस अधिकारिता में किया जाना चाहिए जहां सारवान अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के क्रियाकलाप किए गए हैं।

तदनुसार, नई धारा 115खख को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पात्र निर्धारिता की कुल आय जिसमें भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट के संबंध में स्वामित्व की सकल रकम पर 10 प्रतिशत (इसके अतिरिक्त अधिभार और उपकर लागू होंगे) की दर से कराधेय होगी। अधिनियम के अधीन ऐसे स्वामित्व की बाबत कोई व्यय या मोक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 52 और 53]

स्टार्ट-अप के लिए कर प्रोत्साहन

स्टार्ट-अप के लिए प्रेरक शक्ति का उपबंध करने के साथ, उनके कारबार के आंरभिक चरण में वृद्धि को सुकर बनाने के लिए, नवपरिवर्तन विकास, प्रौद्योगिकी अथवा नियोजन अथवा नए उत्पाद प्रक्रियाओं बौद्धिक संपदा द्वारा चलाई गई सेवाओं में अर्न्तवलित कारबार से किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा चलाए गए लाभों और अभिलाभों के शत प्रतिशत की कटौती किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

ऐसे कारबार से उत्पन्न लाभार्शों के शत प्रतिशत कटौती का फायदी ऐसे पात्र स्टार्ट-अप को उपलब्ध होगा जिन्होंने अपने कारबार का प्रचालन तारीख 1.4.2019 से आरंभ किया हो।

इसके अतिरिक्त देश में स्टार्ट-अप आर्थिक प्रणाली के संवर्धन में निधियों की निधि की स्थापना करने के स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान" में परिकल्पित किया गया है जिसका आशय स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करने हेतु चार वर्ष की वार्षिकी 2500 करोड़ रुपए को बढ़ाए जाने का आशय है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई धारा 54डड अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे पूंजी अभिलाभ कर से छूट का उपबंध किया जा सके यदि दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ आगम की विनिर्दिष्ट निधि जो इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, की यूनिटों में किसी निर्धारिता द्वारा विनिधान किए जाते हैं।

धारा 54(छख) के विद्यमान उपबंध आवसिक संपत्ति के अंतरण के कारण उदभूत होने वाले अभिलाभों के संबंध में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर से छूट का उपबंध करते हैं, यदि ऐसी पूंजी अभिलाभ ऐसी कंपनी के शेयर के अंशदान में परिकल्पित किए गए हैं जिसे उसमें विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन लघु और मध्यम उद्यम को अर्हता प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य, ऐसी कंपनी के शेयरों में विनिधान करने के लिए आवासिक संपत्ति के विक्रय द्वारा स्टार्ट-अप कंपनी की स्थापना करके व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब की सहमति के लिए अनुतोष प्रदान करने का उपबंध करती है, यह धारा 54छख को संशोधन करने का उपबंध करती है कि जिससे आवासिक संपत्ति के अनंतरण के लिए दीर्घकालिक अभिलाभ पर कर पर अधिभार देय नहीं होगा।

पूंजी अभिलाभ पर कर प्रभाय नहीं होगा यदि ऐसा पूंजी अभिलाभ के अधीन रहते हुए व्यक्ति या हिन्दू या अविभक्त कुटुम्ब कम्पनी के 50% से अधिक धारण करता है और किसी ऐसी कंपनी जो शर्त के किसी पात्र स्टार्ट-अप की अर्हती को पूरा करता है जो कि ऐसे कंपनी विनिधानकर्ता द्वारा विवरणी को फाइल किए जाने की तारीख से पूर्व नई आस्तियों की खरीद के लिए शेयर में विनिधारित रकम का उपयोग करेगी।

धारा 54घक का विद्यमान उपबंध अपेक्षा करता है कि कंपनी नए प्लांट और मशीनरी होने पर नई आस्ति के विक्रय में प्रक्रिया विहित की गई है अन्य बातों के साथ, किन्तु इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर और कम्प्यूटर साफ्टवेयर नहीं है।

स्टार्ट-अप पर पूर्वोक्त शर्तों का आपतन को हटाए जाने की दृष्टि से, जहां कारबार क्रियाकलाप की प्रकृति से शुरु होने वाले के आस्ति आधारित से कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर आते हैं, धारा 54छख को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "नई आस्ति" पद में राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर मंत्रालीय बोर्ड के प्रमाणन द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाए कि स्टार्ट-अप चलाने वाली प्रौद्योगिकी की बाबत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्ट-वेयर सम्मिलित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 31, 32 और 41]

सभी के लिए आवासन संवर्धन हेतु प्रोत्साहन

सभी के लिए आवासन के विशाल उद्देश्य के भाग के रूप में वहनीय आवासन सेक्टर को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से, आयकर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि निर्धारिता, जो वहनीय आवासन परियोजनाओं का विकास और निर्माण कर रहा है, के लाभ पर 100 प्रतिशत कटौती का उपबंध हो, यदि विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2019 से पूर्व आवासन परियोजना का अनुमोदन हुआ है जिसके अंतर्गत :-

(i) परियोजना अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी हो जाती है।

(ii) परियोजना 1000 वर्ग मी. से कम माप वाली भूमि कि प्लाट पर है जहां परियोजना 4 महानगरों अर्थात दिल्ली मुम्बई, चेन्नई, और कोलकाता तथा किसी अन्य क्षेत्र में नगरपालिका सीमाओं से 25 कि. मी. के भीतर है। 2000 वर्ग मीटर से कम का माप वाली होगी। जहां उक्त क्षेत्र में आवास यूनिट का आकार क्रमशः 30 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है।

(iii) जहां आवास यूनिट किसी व्यक्ति की आवंटित की जाती है वहां ऐसी यूनिट को उसे या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को आवंटित की जाएगी।

धारा 80डड के विद्यमान उपबंध; किसी व्यावसायिक गृह संपत्ति के अर्जन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा देय ब्याज की बाबत 1 लाख रुपए की कटौती का उपबंध करता है। यह लाभ 1 अप्रैल, 2014 और 1 अप्रैल, 2015 से आरंभ होने वाले दो आवर्ती वर्षों के लिए उपलब्ध होगा।

"सभी के लिए आवास" का उपबंध करने के सरकार के लक्ष्य को बढ़ाए जाने के लिए गृह ऋण लेने वाले प्रथम क्रेता को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से, आयकर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए किसी वित्तीय संस्थान से आवासीय गृह संपत्ति के लिए, गए ऋण पर ब्याज के संदर्भ में प्रथम गृह क्रेता को 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती का उपबंध किया जा सके। यह अभिलाभ ऐसी गृह संपत्ति की जिसका मूल्य 50 लाख रुपए से अन्यून जिसकी बाबत 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान उधार की रकम 35 लाख रुपए से अधिक रकम से मंजूर की गई है, का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। लगातार उधार के पुनः संदाय होने तक कटौती के लाभ का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 37 और 43]

नियोजन सृजन के लिए कर प्रोत्साहन

धारा 80अकक के विद्यमान उपबंध तीन वर्षों के लिए किसी कारखाने में नए नियमित कर्मगार को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत की कटौती का उपबंध करते हैं, ये उपबंध उस कारखाने में समान के विनिर्माण के कारबार पर लागू होते हैं जहां कर्मगार किसी पूर्ववर्ती वर्ष में तीन सौ दिन से अन्यून तक नियोजित रहे हैं और फायदों को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत पर नियोजित कर्मगारों की कुल संख्या में कम से कम दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सभी सेक्टरों तक इस नियोजन सृजन प्रोत्साहन का विस्तार करने के दृष्टिकोण से, यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि उक्त उपबंधों के अधीन कटौती, उन कर्मचारियों, जिनकी कुल उपलब्धियां प्रतिमास पच्चीस हजार रुपये से कम या उसके बराबर है, पर उपगत लागत के संबंध में उपलब्ध होगी। तथापि, उन कर्मचारियों पर उपगत लागत के संबंध में कोई, कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जिनके संबंध में सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन किसी अंशदान का संदाय किया गया है।

किसी वित्तीय वर्ष में नियोजन के न्यूनतम दिनों की संख्या से संबंधित सन्नियम को शिथिल करके 300 दिन से 240 दिन करने का और प्रत्येक वर्ष नियोजनों की संख्या में वृद्धि की शर्त को शिथिल करके नियोजकों की संख्या में कोई भी वृद्धि, करने के लिए और प्रस्ताव किया गया है। ताकि कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि उपबंध के अधीन कटौती के लिए पात्र होगी।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि नए कारबार के पहले वर्ष में पूर्व वर्ष के दौरान नियोजन कर्मचारियों को संदत्त या संदेय सभी परिलब्धियों का 30% कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 44]

च. राहत और कल्याणकारी संबंधी उपाय

संप्रभु स्वर्ण बंधपत्र स्कीम 2015 और रुपए अंकितमूल्य बंधपत्र के लिए कर अभिलाभ के उपबंध

(i) **संप्रभु स्वर्ण बंधपत्र स्कीम 2015** - भारत सरकार ने वास्तविक स्वर्ण के स्तर को घटाने के उद्देश्य से संप्रभुट स्वर्ण बांड स्कीम को पुनःस्थापित किया है। सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि बांड का कर उपचार, व्यक्तिगत विनिधानकर्ता के लिए वास्तविक स्वर्ण के लिए समान रूप से माना जाएगा और मोचन पर निर्भर बंधपत्र के स्थानांतरण पर उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हेतु सूचांकन के लाभ पर वित्त विधेयक, 2016 में विचार किया जाएगा।

तदनुसार, वास्तविक स्वर्ण और संप्रभु स्वर्ण बंधपत्र के मध्य कर उपचार में भिन्नता का उपबंध करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संप्रभु स्वर्ण बंधपत्र का कोई मोचन, अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा और अतः पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त होगी।

आयकर अधिनियम की धारा 48 का भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे निर्धारित के सभी मामले के लिए संप्रभु स्वर्ण बंधपत्र के अंतरण पर उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के सूचांकन अभिलाभ का उपबंध किया जा सके।

यह 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव किया गया है और निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा तत्पश्चात निर्धारण वर्षों की बाबत लागू होगी।

(ii) रुपए अंकित मूल्य बंधपत्र

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर रुपए अंकित मूल्य बंधपत्र जारी करने के लिए भारतीय कारपोरेटों को अनुज्ञा प्रदान की है। ऐसे बंधपत्र के कराधान के मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। यह विनिश्चय किया गया था कि मुद्दे की तारीख और मोचन की तारीख के मध्य विदेशी मुद्रा के विरुद्ध भारतीय रुपए के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली पूंजी अभिलाभ में कर से छूट प्राप्त होगी।

तदनुसार, धारा 48 को संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जाए कि विदेशी मुद्रा के विरुद्ध मुद्दे की तारीख और सूचकांक की तारीख के मध्य रुपए के मूल्यांकन की बाबत, जिसमें निवेश किया गया है, पूंजी अभिलाभकर से छूट प्राप्त होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव करता है तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत लागू होगी।

[खंड 29]

पारस्परिक निधि की किसी 'स्कीम' के भीतर योजनाओं का समेकन

धारा 47(xviii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यूनिट धारक द्वारा किसी पारस्परिक समेकन में उसके द्वारा धारित किसी पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, ऐसा कोई अन्तरण, जो उसका किसी पूंजी आस्ति के, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं आबंटन के प्रतिफलस्वरूप पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम में किया गया हो कर से प्रभार्य नहीं होगा।

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) ने कर स्कीम के भीतर पारस्परिक निधि योजनाओं के समेकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, पारस्परिक निधियों का विलय या समेकन करने, किसी पारस्परिक निधि स्कीम में विभिन्न योजनाओं के विलय या समेकन पर उपलब्ध कर छूट के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, धारा 47 के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यूनिट धारक द्वारा किसी पारस्परिक समेकन में उसके द्वारा धारित किसी पूंजी आस्ति, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, ऐसा कोई अन्तरण, जो उसका किसी पूंजी आस्ति के, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं आबंटन के प्रतिफलस्वरूप पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम में किया गया हो, को पूंजी के लिए अन्तरण नहीं समझा जाएगा और इसलिए कर से प्रभार्य नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 28]

धारा 80छछ के अधीन सदत्त किराए की बाबत अनुज्ञेय कटौती की सीमा का सुव्यवस्थीकरण

धारा 80छछ के विद्यमान उपबंध, किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के निवास के प्रयोजनों के लिए उसके अभिभोग में सुसज्जित या असुसज्जित निवास की जगह की बाबत किराए के संदाय के लिए उसकी कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक उपगत व्यय की, उस परिणाम तक, जिस तक ऐसा व्यक्ति दो हजार रुपए प्रतिमास या उस वर्ष की उसकी कुल आय के पच्चीस प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं है और उसमें यथा विहित की गई हों, ऐसी अन्य शर्तों के अधीन कटौती की जाएगी।

व्यक्ति कर दाता को अनुतोप प्रदान करने में धारा 80छछ को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि कटौती की अधिकतम सीमा को प्रतिमाह 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव करता है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[खंड 38]

स्वर्ण मुद्रिकरण स्कीम 2015 का कर उपचार

धारा 10के विद्यमान उपबंध के अधीन, स्वर्ण निक्षेप स्कीम 1999 के अधीन जारी स्वर्ण निक्षेप बंधपत्र पर ब्याज में छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, ये बंधपत्र पूंजी आस्ति की परिभाषा से हटाया गया है और अतः पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त है चूंकि स्वर्ण मुद्रिकरण स्कीम, 2015 को भारत सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया गया है और स्कीम में समान कर छूट को बढ़ाने के लिए विनिश्चय किया गया है जो कि स्वर्ण निक्षेप स्कीम 1999 में उपलब्ध थी। तदनुसार धारा 2 के खंड (14) को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे पूंजी आस्ति की परिभाषा से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्रिकरण स्कीम, 2015 के अधीन निक्षेप प्रमाणपत्र से हटाया जा सके और उसके द्वारा पूंजी अभिलाभकर से इसमें छूट प्राप्त हो सके।

धारा 10 के खंड 15 का भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जाता है कि स्कीम के अधीन जारी निक्षेप प्रमाणपत्र पर ब्याज में आयकर से छूट प्राप्त होगी।

इस संशोधन में 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी प्रभावी बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3 और 7]

आय-कर अधिनियम की धारा 56 का सुव्यवस्थीकरण

धारा 56(2)(vii) के विद्यमान उपबंध, अन्य स्रोतों से आय, यदि कोई धन स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के किसी निर्धारिती द्वारा, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, प्राप्त की जाती है, प्रभार्य करने का उपबंध करती है। ये उपबंध वहां भी लागू होंगे, जहां किसी कंपनी के अविलय या समामेकन के यथा परिणामस्वरूप किसी कंपनी के शेयर प्राप्त होते हैं। जहां प्राप्तकर्ता कोई फर्म या कोई कंपनी है, वहां ऐसे संव्यवहारों को अन्तरण के रूप में नहीं समझा जाएगा।

कर उपचार में एकरूपता लाने की दृष्टि से, अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव किया गया जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी कंपनी के अविलयन और समामेलन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा प्राप्त किन्ही शेयरों को धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

इन संशोधन को 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है और यह तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 34]

धारा 87क के अधीन अनुज्ञेय आय कर में रिबेट की सीमा का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 87क के विद्यमान उपबंध ऐसे आयकर के शत प्रतिशत के समतुल्य रकम अथवा दो हजार रुपए की रकम, जो भी कम है भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के लिए आयकर की रकम जिसकी कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, का उपबंध करती है।

निचले आय वाले स्लैब में आवासीय व्यष्टियों की अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य के साथ धारा 87क को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे 2000 रुपए से 5000 रुपए की विद्यमान से इस उपबंध के अधीन उपलब्ध अधिकतम रकम की रिबेट में वृद्धि की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत लागू होगा।

[खंड 45]

ब्याज की कटौती का दावा करने के लिए एवं अधिमुक्त संपत्ति के अर्जन या सन्निर्माण के लिए समय अवधि में वृद्धि

धारा 24 के खंड (ख) का विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि संपत्ति के अर्जन या सन्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज गृह संपत्ति से आय की संगणना करते समय काटा जाएगा। उक्त खंड का दूसरा परन्तुक यह उपबंध करता है कि दो लाख रुपए की रकम की कटौती वहां अनुज्ञात की जाएगी जहां धारा 23 (स्व अर्जित गृह संपत्ति) की उपधारा (2) में निर्दिष्ट गृह संपत्ति 1 अप्रैल 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी से अर्जित की गई सन्निर्मित की गई है और ऐसा अर्जन या सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, के अन्त से तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि प्रायः आवास परियोजनाओं के समापन में लंबा समय लगता है, यह प्रस्ताव है कि धारा 24 के खंड (ख) का दूसरा परन्तुक यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जाए कि स्व अर्जित गृह संपत्ति के अर्जन या सन्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर संदत्त ब्याज के कारण उक्त परन्तुक के अधीन कटौती केवल तब उपलब्ध होगी जब अर्जन या सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी; के अन्त से पांच वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

अवसूलीकृत किराए और किराए के बकाया के कराधान से संबंधित उपबंधों का सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण

धारा 25क, 25कक और 25ख के विद्यमान उपबंध कटौती के रूप में अनुज्ञात अवसूलीकृत किराए के कराधान पर विशेष उपबंधों से संबंधित है जब इसे क्रमशः बाद में वसूल लिया जाता है, बाद में प्राप्त अवसूलीकृत किराए और प्राप्त किराए के बकाया प्राप्त किए जाते हैं। कतिपय कटौतियां उस पर उपलब्ध हैं।

इन उपबंधों को सरल करने का और एक नई धारा 25क के अन्तर्गत उन्हें विलयित करने तथा किराया के बकाया तथा अवसूलीकृत किराए का कर उपचार में एक रूपता लाने का प्रस्ताव है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्राप्त बकाया किराया रकम या निर्धारिती द्वारा तत्पश्चात् वसूल किए गए अवसूलीकृत किराए की रकम उस वित्त वर्ष में आय-कर से प्रभारित होगी जिसमें ऐसा किराया प्राप्त किया जाता है या वसूल किया जाता है चाहे उस वित्तीय वर्ष में निर्धारिती संपत्ति का स्वामी है या नहीं। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किराया का तीस प्रतिशत बकाया या निर्धारिती द्वारा तत्पश्चात् वसूल किए गए अवसूलीकृत किराए को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

छ. कार-बार करने की सहजता और विवाद समाधान

किसी विशेष उद्देश्य की व्यवस्था (एसपीवी) के द्वारा कारबार न्यास को वितरण के लिए लाभांश वितर कर (डीडीटी) से छूट

सेबी द्वारा विनियमित भूसंपदा विनिधान न्यास (आईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (इन्वाइट्स) से बनने वाले कारबार न्यासों के विनिर्धारण के संबंध में अधिनियम में विशेष विनिर्धारण अवधि को निगमित किया गया है। इस अवधि के अधीन कारबार न्यास के अंतरा-स्थिति के लिए देय गुणक विनिर्धारण को बचाया है। सेबी विनियम के अधीन ये कारबार न्यास या प्रत्यक्ष रूप से या विशेष उद्देश्य की व्यवस्था (एसपीवी) के माध्यम से उत्पन्न होने वाली आय को धारण कर सकती है। विशेष उद्देश्य की व्यवस्था एक कंपनी या एलएलपी हो सकती है। सेबी विनियम के अधीन विशेष उद्देश्य की व्यवस्था को को पारिभाषित करती है। किसी ऐसी कंपनी या एलएलपी जिसमें भू संपदा विनिधान न्यास ब्याज और पूंजी या ब्याज, के साम्या के अंश का पचास प्रतिशत से अन्वय पर नियंत्रण करने हेतु धारक करता हो या धारण करने का आशय करता हो। एसपीवी को संपत्तियों की आस्तियों का कम से कम 80% धारण करना चाहिए न कि अन्य एसपीवी में करना चाहिए। विद्यमान कर की अवधि यह उपबंध करती है, कि भू.स.वि. न्यास दशा में, एसपीवी द्वारा संदेय ब्याज के माध्यम से होने वाली आय भू.सं.वि. न्यास के लिए कंपनी के रूप में स्तर पर कर देय नहीं है, के माध्यम से दी जाती है। भू.स.वि.न्यास न्यास द्वारा आस्तियों द्वारा धारित प्रत्यक्षतः किराया आय भी जारी किया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य की व्यवस्था के माध्यम से धारित आस्तियों के संबंध में, यदि विशेष उद्देश्य की व्यवस्था एक कंपनी है तब कंपनी साधारण निगमित कर अदा करती है और तत्पश्चात् शेयर धारक के रूप में भू.स. विनिर्धारण न्यास कोई आय वितरित की जाती है, यह डीडीटी द्वारा भोगी जाती है। जिसे विशेष उद्देश्य की व्यवस्था के द्वारा संदेय किया जाता है और तत्पश्चात् भू. संपदा विनिर्धारण न्यास और उसके विनिधानकर्ता के हाथों में से आय में छूट प्राप्त होती है। इन्विट्स के मामले में समान अवधि होती है, केवल अपवाद के साथ जिससे कि प्रत्यक्षतः आस्तियों को विनिर्मित करने वाली आय को धारण करने वाले इन्विट्स के लिए कोई माध्यम नहीं बनता है जिससे कि साधारणतया इस प्रकार के बड़े अवसंरचनात्मक परियोजना न्यास में प्रत्यक्ष रूप से धारण नहीं करते हैं किन्तु विशेष उद्देश्य के लिए व्यवस्था के माध्यम से धारित किए जाते हैं। प्रायोजक के मामले में उद्दीपक के रूप में (व्यक्ति न्यास स्थापित करता है) कारबार न्यास की ईकाई के लिए विशेष के लिए व्यवस्था में अपने शेयर धारक के विनियम के समय उद्भूत होने वाली पूंजी अभिलाभ सामान्य उपबंधों के अधीन दोनों प्रकार से भिन्न है और एमएटी के प्ररूप के अनुसार उपलब्ध है ऐसे अभिलाभ ईकाई की वास्तविक विक्रय के पश्चात् केवल कर देते हैं।

पणधारियों द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया है कि विशेष उद्देश्य की व्यवस्था के स्तर पर लाभांश वितरण कर उद्ग्रहीत होता है, जब यह कारबार न्यास संरचना कर को अपर्याप्त बनाती है तो कारबार न्यास के लिए उसकी चालू आय वितरित करती है, और प्रायोजक के लिए विवरणी की दर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह इस प्रकार अधिक है कि एसपीवी और कारबार न्यास दोनों द्वारा सेबी विनियम के अधीन अनुसार प्रायोजकों के लिए उनके द्वारा प्रचालित आय का 90% वितरण किया जाना बाध्यकारी होता है, जहां कहीं साधारण भू संपदा कंपनी के मामले में विनिधानकर्ता के ऐसे वार्षिक वितरण को किए जाने की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है। यह अभ्यावेदन किया गया है कि डीडीटी के अतिरिक्त उद्ग्रहण के कारण और सहयोजित कर की अयोग्यता ने इन पहलुओं को अभी तक नहीं किया है।

कारबार न्यासों (भू.स.वि. न्यास और इन्विट्स) और उनके प्रायोजकों के लिए विनिधान अवधि को और सुव्यवस्थित बनाने के क्रम में विशेष अभिमुक्त का उपबंध करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि विनिधान वितरण कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की जाती है। प्रस्तावित अभिमुक्ति के मुख्य विशेषता निम्नानुसार है।

(क) कारबार न्यास को विशेष उद्देश्य की व्यवस्था द्वारा किए गए वितरण के संबंध में डीडीटी के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करना;

(ख) कारबार न्यास और उसके प्रायोजक द्वारा प्राप्त ऐसे विनिधानकर्ता न्यास अथवा विनिधान के हाथ में करादेय नहीं होगा;

(ग) डीडीटी के उद्ग्रहण से केवल उस दशा में छूट प्राप्त होगी जहां कारबार न्यास विशेष उद्देश्य की व्यवस्था की अंश पूंजी का 100% अथवा केवल उस दशा में धारण करती है जिसमें किसी अन्य अस्तित्व द्वारा धारित किया जाना या किसी सरकार या इस प्रभाव के लिए किसी विधि की विनिर्दिष्ट अपेक्षा के लिए अपेक्षित होता है अथवा सरकार या सरकारी निकाय द्वारा धारित किया जाता है; और

(घ) डीडीटी के उद्ग्रहण से छूट, उस तारीख के पश्चात् चालू आय से बाहर संदेय विनिधान के संबंध देय होगी; जब कारबार न्यास विशेष उद्देश्य के लिए व्यवस्था में ऊपर (ग) में निर्दिष्ट अंशधारण करने वालों से अपेक्षित होता है।

इस तारीख तक संचित और चालू लाभांश के बाहर देय विनिधान डीडीटी के उद्ग्रहण के लिए उसी प्रकार दायी होंगे जब इन लाभांश के बाहर किसी विनिधान को कंपनी द्वारा कारबार न्यास या किसी अन्य शेयरधारक को वितरित किया जाता है।

संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा ।

[खंड 7,55,61 और 80]

अपतट निधियों के लिए विशेष कराधान व्यवस्था की शर्तों में उपांतरण धारा 9क

अधिनियम की धारा 9क अपतट निधियों की बाबत विशेष व्यवस्था के लिए उपबंध करता है। धारा यह उपबंध करती है कि किसी पात्र विनिधान निधि, के मामले में, ऐसी निधि की ओर से कार्य करने वाले पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किया गया कोई निधि क्रियाकलाप उक्त निधि का भारत में कारबार संबंध गठित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, कोई पात्र विनिधान निधि मात्र इस कारण भारत में निवासी होना नहीं कहा जाएगा कि उसकी ओर से निधि प्रबंधक करने वाला पात्र निधि प्रबंधक भारत में स्थित है। धारा 9क के अधीन फायदा इस धारा की उपधारा (3) उपधारा (4) और उपधारा (5) में यथा उपबंधित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगा।

धारा 9क की उपधारा (3) निधि की पात्रता के लिए शर्तों का उपबंध करती है। ये शर्तें, अन्य बातों के साथ, निधि, के निवास, निकास आकार, विनिधानकर्ता व्यापक आधार, विनिधान विविधता तथा असन्निकट निधि प्रबंधक को पारिश्रमिक के संदाय से संबंधित है। निधि के निकास के संबंध में, शर्त यह है कि निधि को किसी देश या राज्यक्षेत्र का निवासी होना पड़ता है जिसके साथ भारत के दोहरा कराधान परिवर्जन करार (डी.टी.एम) या कर सूचना आदान-प्रदान करार (टीआईईए) किया है। निधि के क्रियाकलापों के संबंध में, एक ऐसा निबंधन है कि निधि भारत में या भारत के बाहर किसी कारबार को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करेगी या उसे नियंत्रित करेगी और उसका प्रबंध करेगी और किसी ऐसे क्रियाकलाप में नहीं लगेगी जो भारत में कारबार संबंध का गठन करती है और न ही अपने और से कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति को रखेगी जिसके क्रियाकलाप उसकी ओर से पात्र निधि प्रबंधक द्वारा की गई गतिविधियों से भिन्न भारत में कारबार संबंध का गठन करती है।

यह कथन करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहां निधि देशी कर विधि या देश के विधिक कार्य ढांचे के कारण के संबंध में कर निवासी के रूप में अर्हित न हो वहां इन निधियों की वैश्विक संरचना लागू विधिक तथा विनियामक उनके देश को निगमन कार्य ढांचे पर आधारित रही है और उसका विशिष्ट देश में किए गए किसी विनिधान के संदर्भ में उपांतरण नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से विशाल पेंशन निधि या पारस्परिक निधियां या लक्समबर्ग से एसआईसीएवी (खुली सामूहिक विनिधान स्कीम) के उदाहरण उद्धृत किए गए थे। यह कहा गया है कि भारत लागू दोहरे कराधान परिवर्जन करार (डीटीएम) या कर सूचना आदान प्रदान करार (टीआईईए) करार के अधीन विधिक के बारे में सूचना एकत्रित करने में तभी भी समर्थ होगा क्योंकि बहुत से देशों के साथ करारों के अधीन सूचना का ऐसे व्यक्तियों के संबंध में आदान-प्रदान किया जा सकता है जो देश के निवासी न हो। आगे यह और व्यवदिष्ट किया गया है कि भारत में या भारत से बाहर कारबार को करने या निधि प्रबंध कारबार को नियंत्रित करने पर प्रतिबंध से संबंधित शर्तें निधियों के लिए प्रचालन की नम्यता को निर्बाधित किया जाए और भारत में किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति पर फोकस होना चाहिए।

व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा उपयोग की चिंताओं का समाधान करने के लिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है इन शर्तों को उपांतरित किया जाए जिससे यह उपबंध हो सके कि धारा 9क के प्रयोजनों के लिए पात्र विनिधान निधि से किसी देश में भारत से बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत निधि या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र अभिप्रेत होगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि भारत में या भारत से बाहर किसी कारबार को नियंत्रित और प्रबंध न करने वाली की शर्त भारत में गतिविधियों के संदर्भ में ही निर्बाधित की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6]

विदेशी कंपनी जो भारत की निवासी, मान्य हैं, के मामले में अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए समर्थकारी उपबंध

अधिनियम की धारा 6 के उपबंध ऐसी शर्तों के लिए उपबंध करते हैं जिनमें भारत में निवास व्यक्तियों के विभिन्न प्रवर्गों के मामले में अवधारित किया जाता है। धारा 6(3) का संबंध ऐसी शर्तों से है जिनका किसी कंपनी को किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी के रूप में मानने के लिए पूरा किया जाना।

वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 6(3) के संशोधन से पूर्व भारत में कोई कंपनी का किसी पूर्ववर्ष भारत में निवासी होना तब कहा गया था जब वह भारतीय कंपनियों या उस वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का नियंत्रण तथा प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित था। वित्त अधिनियम, 2015 ने उपरोक्त उपबंध का संशोधन किया था जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी किसी पूर्व वर्ष में भारत में निवासी होगी यदि यह भारतीय कंपनी है या उस वर्ष में इसके प्रभावी प्रबंध का स्थान (पीओईएम) भारत में है। प्रभावी प्रबंध का स्थान (पीओईएम) को ऐसे स्थान के अभिप्राय के रूप में परिभाषित किया गया था जहां ऐसा मुख्य प्रबंध और वाणिज्यिक विनिश्चय जो पूर्णतः किसी अस्तित्व के कारबार के संचालन के लिए आवश्यक है, सारवान रूप से किए जाते हैं।

निवास नियम पर आधारित (पीओईएम) को कार्यान्वयन के संदर्भ में, किसी कंपनी जो भारत में निगमित है को इस अधिनियम के वर्तमान उपबंधों को लागू किए जाने से संबंधित कतिपय मुद्दे भारत में पूर्व में कर से निर्धारित नहीं की गई है, उत्पन्न हो गए हैं। विशिष्टतया मुद्दा अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर कर कटौती का लागू होना, कुल आय की संगणना, हानियों का भुजरा तथा अन्तरण कीमत निर्धारण व्यवस्था कि लागू होने की रीति से संबंधित अधिनियम के विनिर्दिष्ट उपबंध को लागू होने से संबंधित है। इन उपबंधों में अपेक्षाओं का अनुपालन में है ऐसी कंपनी के विगमन के देश की कर विधियों के अधीन किसी ऐसी अपेक्षा के अभाव के कारण सुसंगत समय पर कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया हो। इसी प्रकार अवक्षयण के मुद्दे भी तब उत्पन्न होते हैं जब पूर्व वर्षों में इस अधिनियम के अधीन संगणना के अधीन रहता रहा है।

उल्लिखित समस्याएं इस तथ्य के कारण भी उत्पन्न होती है कि कंपनी जो भारत के निवासी नहीं है विदेशी कंपनी का दावा कर रही होगी किन्तु निर्धारण के दौरान इसे भारत में वास्तव में पीओईएम होने के आधार पर निवासी होना माना जाना है। यह अवधारण पूर्ववर्ष के समाप्त होने के पश्चात् भारत में ठीक होगा और कंपनी के लिए बहुत सी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को करना संभव वहीं हो सकेगा। पणधारियों द्वारा अभ्यावेदन भी किए गए हैं कि पीओईएम का कार्यान्वयन एक वर्ष तक अस्थगित किया जाए जिस समय तक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में स्पष्टता और अधिनियम के अन्य उपबंधों को लागू किया जाना जारी रहेगा।

निवास के नियम के आधार पर पीओईएम के कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए और पणधारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी ।

(क) एक वर्ष तक निवास पर आधारित पीओईएम के लागू किए जाने को आस्थगित करने का प्रस्ताव किया जाता है और पीओईएम पर आधारित निवास का अवधारण 01.04.2017 से लागू होगा।

(ख) ऐसी कंपनी के लिए संक्रमण तंत्र का उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है जो भारत से बाहर निगमित है और जिसको भारत में पूर्व में कर से निर्धारित नहीं किया गया है । केन्द्रीय सरकार को ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव हैं जिनके अधीन रहते हुए आय की संगणना, अनामेलित अवक्षयण का बरता जाना, मुजरा या अग्रनयन और हानियों का मुजरा से संबंधित अधिनियम के उपबंध, कर के परिवर्जन, विशेष उपबंध और करों का संग्रहण तथा वसूली से संबंधित विशेष उपबंध उस दशा में वहां लागू होंगे जहां विदेशी कंपनी को भारत में पहली बार उसका पीओईएम होने के कारण भारत में निवासी होना कहा गया है और उक्त कंपनी पहले कभी भारत में निवासी नहीं रही है।

(ग) यह उपबंध करने के लिए भी प्रस्ताव है कि इन संक्रमण वाले उपबंधों के अन्तर्गत किसी निर्धारण कार्यवाहियों में पीओईएम को अवधारण की तारीख तक किसी पश्चात्पूर्वी वर्ष भी होगा । तथापि, जब संक्रमण पूरा कर दिया जाता है तब अधिनियम का सामान्य उपबंध लागू होगा।

(घ) यह उपबंध, करने का प्रस्ताव है कि अधिसूचना में कतिपय शर्तें जिनमें ऐसी प्रक्रियात्मक शर्तें भी हैं जिनके अधीन रहते हुए ये अनुकूलन लागू होंगे, का उपबंध किया जा सकता है और ऐसे शर्तों के अनुपालन की असफलता की दशा में ऐसी अधिसूचना का फायदा विदेशी कंपनी को उपलब्ध नहीं होगा।

(ङ) यह उपबंध किए जाने का भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समझ रखी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

[खंड 4,54 और 235]

व्यक्ति जिनकी आय वृत्ति से है के लिए उपधारणात्मक कराधान स्कीम की पुरस्थापना

विद्यमान कराधान स्कीम, कतिपय योग्य व्यक्ति जो केवल कतिपय योग्य कारबार में लगे हैं और उन व्यक्तियों के लिए नहीं जो वृत्तिक आय कमा रहे हैं, के लिए सरलीकृत उपधारणात्मक कराधान स्कीम का उपबंध करती है। उपधारणात्मक कराधान स्कीम को सुव्यवस्थीकृत करने के लिए और वृत्ति से आय वाले लघु कर दाताओं के अनुपालन के भार को कम करने के लिए तथा सुविधा से कारबार करने को सुकर बनाने के लिए, वृत्तिक उपधारणात्मक कराधान व्यवस्था को उपबंधित करने का प्रस्ताव है।

इसके संदर्भ में, एक निर्धारिती की प्राक्कलित आय, जो धारा 44कक उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृत्ति में नियुक्त है और जिसकी कुल सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष में पचास लाख से अधिक नहीं होती है, जो कि कुल सकल प्राप्तियों की पचास प्रतिशत राशि के बराबर है या, यथास्थिति, निर्धारिती द्वारा उपरोक्त उपार्जित राशि से अधिक राशि है, को उपबंधित करने के लिए अधिनियम में नई धारा 44कक के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है। स्कीम, ऐसे निवासी निर्धारिती जो, व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या भागीदार फर्म जिसमें सीमित दायित्व भागीदार फर्म नहीं है, पर लागू होगी।

यह प्रस्ताव किया गया है कि स्कीम उन निर्धारितियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने धारा 10कक के अधीन कटौती या पश्चात्पूर्वी वर्ष में शीर्ष "ग-कटौती कतिपय आय के संबंध में" के अधीन अध्याय vj के किसी उपबंध के अधीन कटौती का दावा करते हैं। स्कीम के अधीन, धारा 30 से 38 के अधीन निर्धारिती द्वारा कटौतियों को अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा। तदनुसार, निर्धारिती के वृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई किसी आस्ति की अवलिखित मूल्य की ऐसे संगणना की गई समझी जाएगी जैसे कि निर्धारिती ने दावा किया है और वास्तविकता में सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए अवक्षयण के संदर्भ में कटौती अनुज्ञात हो चुकी है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारिती के लिए धारा 44कक की उपधारा (1) के अधीन लेखा पुस्तक का अनुस्क्षण करना अपेक्षित नहीं होगा और ऐसी आय के संदर्भ में धारा 44ख के अधीन लेखों की संपरीक्षा होगी जब तक कि निर्धारिती यह दावा न करे कि उपरोक्त वृत्ति से लाभ और अभिलाभ, धारा 44कक की उपधारा (1) के अधीन लाभ और अभिलाभ की समझी गई आय से कम है और उसकी आय अधिकतम रकम जो आय-कर प्रभार्य नहीं है, से अधिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 24, 25 और 27]

व्यक्ति जिनकी आय वृत्ति से है की संपरीक्षा के लिए आरंभिक सीमा में बढ़ोतरी

अधिनियम की धारा 44कख के विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो व्यवसाय चला रहा है को अपने लेखों की संपरीक्षा करवाना अपेक्षित है यदि उसकी पूर्ववर्ष की कुल सकल प्राप्तियां 20 लाख रुपए से अधिक है। उन व्यक्तियों की दशा में जो वृत्ति चला रहे हैं, के 25 लाख रुपए से पचास लाख रुपए के खातों की संपरीक्षा धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट है, अनुपालना के भार को कम करने के लिए कुल सकल प्राप्तियों की आरंभिक सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्पूर्वी वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 25]

व्यक्ति जिनकी आय कारबार से है के लिए उपधारणात्मक कराधान स्कीम की आरंभिक सीमा में बढ़ोतरी

धारा 44घ के विद्यमान उपबंध योग्य कारबार के लिए उपधारणात्मक कराधान का उपबंध करते हैं। यहीं ऐसे योग्य निर्धारिती जो योग्य कारबार में लगे हुए हैं जिसकी कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के 8 प्रतिशत के बराबर एक राशि या यथास्थिति ऊपर दी गई राशि से अधिक राशि को "लाभ और अभिलाभ या वृत्ति" शीर्ष के अधीन ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में समझा जाएगा और उस पर कर प्रभार्य होगा। स्कीम के अधीन निर्धारिती को अधिनियम की धारा 30 से 38 के अधीन कटौती अनुज्ञात समझी जाएगी। और योग्य निर्धारिती कोई भी आय जो समझी गई 8 प्रतिशत की कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां जो एक करोड़ से अधिक नहीं हैं, परंतु वह धारा 44कख के अनुसार लेखा पुस्तक रखता है, को रिपोर्ट कर सकता है। और योग्य निर्धारिती की दशा में, जहां तक योग्य कारबार से संबंध है अध्याय xvii-ग के उपबंध लागू नहीं होंगे।

लघु करदाताओं के अनुपालन भार को कम करने के लिए और सुविधा से कारबार करने के लिए “योग्य कारबार” की परिभाषा में विनिर्दिष्ट एक करोड़ रुपए की आरंभिक सीमा को दो करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इसलिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि भागीदार को संदत्त वेतन, पारिश्रमिक, ब्याज आदि की प्रकृति के व्यय की धारा 44कघ के अधीन उपधारित आय से कटौती नहीं होगी क्योंकि उक्त धारा 40 किसी व्यय के मोक के लिए आज्ञा नहीं देती है। बल्कि धारा 30 से 38 के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय रकमों की कटौती पर निर्बंधन लगाती है। यह भी प्रस्तावित है कि जहां कोई पात्र निर्धारिती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए लाभ की घोषणा करता है और वह ऐसे पूर्ववर्ष के उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष से सुसंगत किन्हीं पांच निर्धारण वर्ष के लिए लाभ की घोषणा करता है जो उपधारा (1) के अनुसार नहीं है, उदाहरण के लिए कोई पात्र निर्धारिती निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए धारा 44कघ के अधीन प्राकल्पित आधार पर कर लगाए जाने का दावा करता है और एक करोड़ रुपए के आवर्त पर 8 लाख रुपए की आय की प्रस्थापना करता है। निर्धारण वर्ष 2018-19 और निर्धन वर्ष 2019-20 के लिए भी यह धारा 44कघ के उपबंधों के अनुसार आय की प्रस्थापना करता है, तथापि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वह 1 करोड़ रुपए के आवर्त पर 4 लाख रुपए की प्रस्थापना करता है। इस मामले, में उसने पांच कृमिक निर्धारण वर्षों के लिए धारा 44कघ के उपबंधों के अनुसार आय की प्रस्थापना की है, वह अगले पांच निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए धारा 44कघ के फायदे का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कराधान की आवर्त सीमा बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि पात्र निर्धारिती अग्रिम कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी। तथापि, उसके मामले में, न्यूनतम अनुपालन रखने के लिए यह प्रस्ताव है कि वह अग्रिम कर का संदाय वित्तीय वर्ष के पंद्रह मास तक करें।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2017-18 और तदनुसार पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 25, 26 और 87]

गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की दशा में डूबंत और शंकास्पद ऋण हेतु उपबंध के संबंध में कटौती

अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii)क) विद्यमान उपबंधों के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋण की बाबत किसी लोक वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विनिधान निगम द्वारा लाभों की संगणना में पूर्वोक्त खंड और अध्याय 6क के अधीन किसी कटौती को करने से पूर्व, संगणित सकल कुल आय की सीमा पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि गैर बैंककारी वित्तीय एनबीएफसी कंपनियां हैं और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां वित्तीय उधार देने में भी लगी हुई हैं। एनबीएफसी के कारबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii)क) के उपबंध को संशोधित करने का प्रस्ताव करती है जिससे एनबीएफसी की कुल आय का पांच प्रतिशत के विस्तार तक डूबंत और शंकास्पद ऋणों हेतु उपबंध पर कुल आय (अध्याय 6क और इस खंड के अधीन किसी कटौती के लिए जाने से पूर्व संगणित न कटौती करने का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

धारा 32कग के अधीन कर प्रोत्साहन की परिधि का सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 32कग की उपधारा (1क) के विद्यमान उपबंध किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगी कंपनी द्वारा पूर्व वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नई आस्तियों (सयंत्र और मशीनरी) में किए गए विनिधान पर 15% की दर से विनिधान मोक के लिए इस शर्त के अधीन उपबंध करने के लिए है कि अर्जन और संस्थापन उसी पूर्व वर्ष में किया जाना है। यह कर प्रोत्साहन 31.3.2017 तक उपलब्ध है।

अर्जन और संस्थापन की दोहरी शर्त उन मामलों में यथार्थ कठिनाई पैदा करती है जहां उसी पूर्व वर्ष में आस्तियों का अर्जन करके संस्थापित नहीं किया जा सकता था। धारा 32कग की उपधारा (1क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट मूल्य के सयंत्र और मशीनरी का अर्जन पूर्व वर्ष में किया जाना है। तथापि, संस्थापन 15% की विनिधान मोक के फायदे का लाभ लेने 31.3.2017 तक किया जा सकेगा। यह उपबंध करने के लिए यह और प्रस्तावित किया गया है कि जहां नई आस्ति का संस्थापन अर्जन के वर्ष से भिन्न वर्ष में है, वहां इस उपधारा के अधीन कटौती उस वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी जिसमें नई आस्ति संस्थापित की जाती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 14]

कतिपय अनिवासी को धारा 206कक के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट

धारा 206कक के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी राशि या आय या रकम को प्राप्त करने का हकदार है जिस पर कर अधिनियम के अध्याय 17ख के अधीन कटौती योग्य है, ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा जिसके न हो सकने पर आय-कर अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में उल्लिखित दर पर या प्रवृत्त दर पर या बीस प्रतिशत की दर पर, जो भी अधिक है, कर की कटौती की जाएगी।

धारा 206कक के उपबंध धारा 194ठग में यथा निर्दिष्ट दीर्घ अवधि बांड पर ब्याज के संदाय के संबंध में किसी अपवाद के साथ ऐसे अनिवासियों, जिनके मामले में अन्तिम कर को पहले ही विधारित कर दिया गया है, द्वारा स्थायी लेखा संख्यांक की अभिप्राप्ति अनावश्यक अनुपालन भार सृजित कर रही है।

अनुपालन भार को कम करने के लिए उक्त धारा 206कक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध किसी ऐसे अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी अन्य संदाय के संबंध में भी लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 85]

तारीख 1.4.2015 से पूर्व की अवधि के लिए विदेशी कंपनी पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की अनुपयुक्तता

धारा 115अख की उपधारा (1) में अर्न्तविष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी की बाबत यदि आय कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय उसके बही लाभ से 18.5% से कम है, तो ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय के रूप में समझा जाएगा तथा सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा देय कर उसके लाभ का 18.5% होगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) पर इस उपबंध की उपलब्धता के संबंध में मुद्दे उठाए गए थे जो वित्त अधिनियम 2015 द्वारा भारत में स्थायी रूप से स्थापित नहीं हैं, धारा 115अख का संशोधन किया गया था जिससे कि यह उपबंध किया जाए कि किसी विदेशी कंपनी के दशा में कोई आय प्रतिभूतियों में संव्यवहार से आय (अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के सिवाए जिस पर प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रतिदेय नहीं है) किसी विदेशी संस्थात्मक के निवेशकों से उत्पन्न होने वाला, बही लाभ से घटा दी जाएगी और तत्स्थानी व्यय वापस हो जाएगा।

तथापि, चूंकि यह संशोधन निर्धारण वर्ष 2016-17 से प्रत्याशित था, 2016-17 से पूर्व विनिर्धारण वर्ष के लिए मुद्दे जोड़े जाने शेष है।

प्रत्यक्ष कर संबंधी मामले पर न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता वाली समिति मामले को देखने के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई जिसमें विदेशी संस्थाओं के निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफआईआई/एफपीआई) के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की संपूर्ण उपलब्धता की सिफारिश की गई है।

समिति की सिफारिशों की दृष्टि में तथा विदेशी कंपनियों की कराधान में सुनिश्चितता प्रदान करने की दृष्टि के साथ आय कर अधिनियम को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे की 01.4.2001 से प्रभावी बनाया जा सके, धारा 115जख के उपबंध किसी विदेशी कंपनी को लागू नहीं होंगे यदि—

(i) निर्धारिती देश या उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है जिसमें धारा 90 की उपधारा (1) में भारत ने करार किया हो अथवा केन्द्रीय सरकार धारा 90क की उपधारा (1) के अधीन किसी करार को अंगीकार किया है तथा निर्धारिती ने ऐसे करार के उपबंधों के अनुसरण में भारत में स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया है; या

(ii) निर्धारिती देश का निवासी है जिसमें भारत ने उपरोक्त खंड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति का करार नहीं किया है और निर्धारिती से कंपनी से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण की मांग करने की अपेक्षा नहीं की जाती हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2001 से भूतलक्षी प्रभाव किए जाने की प्रस्तावना करता है और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-02 के संबंध में लागू होंगे।

स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम 2015 का कर उपचार

धारा 10के विद्यमान उपबंध के अधीन, स्वर्ण निक्षेप स्कीम 1999 के अधीन जारी स्वर्ण निक्षेप बंधपत्र पर ब्याज में छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, ये बंधपत्र पूंजी आस्ति की परिभाषा से हटाया गया है और अतः पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त है चूंकि स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 को भारत सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया गया है और स्कीम में समान कर छूट को बढ़ाने के लिए विनिश्चय किया गया है जो कि स्वर्ण निक्षेप स्कीम 1999 में उपलब्ध थी। तदनुसार धारा 2 के खंड (14) को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे पूंजी आस्ति की परिभाषा से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 के अधीन निक्षेप प्रमाणपत्र से हटाया जा सके और उसके द्वारा पूंजी अभिलाभकर से इसमें छूट प्राप्त हो सके।

धारा 10 के खंड 15 का भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जाता है कि स्कीम के अधीन जारी निक्षेप प्रमाणपत्र पर ब्याज में आयकर से छूट प्राप्त होगी।

इस संशोधन में 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी प्रभावी बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगी।

[खंड 53]

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को कर प्रोत्साहन

धारा 10(38) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां प्रतिभूति संव्यवहार कर संदत्त है, साधारण अंशों पर दीर्घ काल पूंजी अभिलाभों या साम्योन्मुख निधि या कारबार न्यास के द्वारा आय छूट है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों का विश्वस्तरीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के रूप में विकास को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से धारा 10(38) के संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि जब ऐसे संव्यवहारों के संदर्भ में प्रतिभूति संव्यवहार कर संदत्त नहीं है, फिर भी किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर किए गए संव्यवहार से उदभूत आय पर पूंजी अभिलाभ कर से छूट उपबंध किया जा सके।

कंपनी की दशा में 115जख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि आयकर अधिनियम के अधीन संगणित कुल आय पर कर देय, उसके बही लाभ से साढ़े अठारह प्रतिशत से कम है, ऐसे बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझी जाएगी और निर्धारिती द्वारा सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए न्यूनतम अनुकल्पीय कर (एमएटी) देय ऐसे पुस्तक लाभ का साढ़े अठारह प्रतिशत होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए प्रतियोगी कर व्यवस्था का उपबंध करने के दृष्टिकोण से, धारा 115जख का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी की दशा में, एक यूनिट, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित है और एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करती है, एमएटी की दर नौ प्रतिशत होगी, का उपबंध किया जा सके।

प्रतियोगी कर व्यवस्था का उपबंध करने के दृष्टिकोण से, धारा 115ण का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी जो एक यूनिट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित है की कुल आय के संदर्भ में वितरित लाभ पर कर प्रभार्य नहीं है, जो एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्युत्पन्न कर रही है, ऐसी कंपनी द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषित, वितरित या संदत्त किसी लाभांश के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात उसकी चालू आय से राशि, जो कंपनी के हाथ में हो या लाभांश प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति के पास हो, का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

प्रतिभूति संव्यवहार कर और वस्तु संव्यवहार कर से संबंधित विद्यमान उपबंध क्रमशः प्रतिभूति और वस्तु संव्यवहारों पर कर उदग्रहण का उपबंध करते हैं।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 113क का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र, जहां ऐसे संव्यवहारों के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त या संदेय है, में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रविष्ट कर प्रतिभूति संव्यवहारों पर अध्याय-7 के उपबंध लागू होंगे, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति संव्यवहार कर से ऐसे संव्यवहार को छूट देने का उपबंध करता है।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम 2013 के अध्याय 7 में धारा 132क अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय 7 के उपबंध अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट में अवस्थित किसी मान्यता प्राप्त संगम पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए करादेय वस्तुओं को वहां लागू नहीं होंगे, जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल का विदेशी मुद्रा में संदाय किया गया है या संदेय है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संव्यवहार को वस्तु संव्यवहार कर से छूट प्राप्त होती है।

उपरोक्त दोनों संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 7, 53, 55, 230 और 234]

आय घोषणा स्कीम, 2016

ऐसे व्यक्तियों को ऐसा अवसर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने आगे आने के लिए विगत में कर अपवंचन किया है और जो अप्रकटित आय घोषित करते हैं तथा ऐसी घोषित अप्रकटित आय का कुल मिलाकर पैंतालीस प्रतिशत तक कर, अधिभार और शास्ति का संदाय करते हैं ।

यह स्कीम 1 जून, 2016 से प्रभावी किए जाने के लिए प्रस्तावित है और केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक खुली रहेगी । स्कीम वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अप्रकटित आय की बाबत लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित है ।

घोषित आय पर कर तीस प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जाना प्रस्तावित है जो संदेय कर (कृषि कल्याण नामक उपकर) के बीस प्रतिशत की दर पर अधिभार में वृद्धि करके आता है । संदेय कर का पच्चीस प्रतिशत की दर पर शास्ति का इस स्कीम के अधीन घोषित अप्रकटित आय पर उद्ग्रहण किया जाना प्रस्तावित है ।

यह प्रस्ताव है कि निम्नलिखित मामले इस स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे-

- जहां सूचना धारा 142(1) या धारा 143(2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन जारी की गई है, या
- जहां सर्वेक्षण की तलाशी की गई है, या
- जहां सूचना ऐसी आय के बारे में बाहरी देशों के साथ करार के अधीन प्राप्त की गई है, या
- काला धन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आने वाले मामले, या
- विशेष न्यायालय अधिनियम, 1992 के अधीन अधिसूचित व्यक्ति, या
- भारतीय दंड संहिता, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ।

यह प्रस्ताव है कि कर, अधिभार और शास्ति का संदाय केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व किया जा सकेगा और इस प्रकार अधिसूचित तारीख तक संदाय न किए जाने से स्कीम के अधीन की गई घोषणा शून्य हो जाएगी ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्कीम के अधीन की गई घोषणाएं घोषणा में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन कर से छूट प्राप्त होंगी। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे अधिनियमों के अधीन अभियोजन से ऐसी घोषणाओं और उन्मुक्ति के संबंध में की गई आय-कर अधिनियम और धन कर अधिनियम के अधीन कोई संवीक्षा तथा जांच न किए जाने का उपबंध किया जाए । बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 से उन्मुक्ति का कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी घोषणाओं के लिए भी प्रस्ताव किया जाता है ।

यह उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि जहां इस स्कीम के अधीन कोई घोषणा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या उनके छिपाने के कारण की गई है वहां ऐसी घोषणा को शून्य माना जाएगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थ, इस स्कीम के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति पर कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा । उन मामलों में जहां कोई घोषणा की गई है, किंतु स्कीम में निर्दिष्ट कोई कर और शास्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त नहीं की गई है वहां अप्रकटित आय उस पूर्ववर्ष में जिसमें ऐसी घोषणा की जाती है, आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य होगी ।

उन मामलों में जहां इस स्कीम के प्रारंभ से पूर्व कोई आय प्रोद्दत, उद्दत या प्राप्त हुई है या कोई आस्ति ऐसी आय में से अर्जित की गई है, और ऐसी आय के संबंध में कोई घोषणा स्कीम के अधीन नहीं की गई है, तो ऐसी आय प्रोद्दत, उद्दत या प्राप्त की हुई समझी जाएगी या ऐसी आय में से अर्जित आस्ति का मूल्य उस वर्ष में जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 142, धारा 143(2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन सूचना निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी की जाती है, में अर्जित या किया हुआ समझा जाएगा और आय-कर अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह और प्रस्ताव है कि यदि कोई कठिनाई इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावित करने में उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा इस स्कीम के उपबंधों से असंगत नहीं है, उस तारीख से जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के अपश्चात् कोई आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी और ऐसा आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सकेगा ।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाए और ऐसे बनाए गए नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष इस स्कीम में उपबंधित रीति में रखे जाएं।

[खंड 178 से 196]

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016

प्रत्यक्ष कर में मुकदमा चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है । मामलों के भारी बैकलाग को कम करने के लिए और सरकार को शीघ्रतया अपने बकायों को वसूल करने में समर्थ बनाने के लिए कर बकाया और विनिर्दिष्ट कर के संबंध में प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 लाने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

- स्कीम ऐसे "कर बकाया" को लागू की जाए जिसे आय-कर अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 के अधीन अवधारित कर की रकम, ब्याज या शास्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और जिसके संबंध में अपील आय-कर आयुक्त (अपील) या धन कर आयुक्त (अपील) के समक्ष 29 फरवरी, 2016 को लंबित है;
- लंबित अपील निर्धारण आदेश या शास्ति आदेश के विरुद्ध हो सकती है;
- स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारण की तारीख तक लागू दर जमा ब्याज पर कर का संदाय करे तथापि न्यूनतम उद्ग्रहणीय शास्ति का दस लाख रुपए से अधिक विवादित कर की दशा में, न्यूनतम उद्ग्रहणीय शास्ति का पच्चीस प्रतिशत का भी संदाय किया जाना अपेक्षित होगा;

● शास्ति आदेश के विरुद्ध लंबित अपील की दशा में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण के कारण संदेय कर और ब्याज के साथ न्यूनतम उद्ग्रहणीय शास्ति का पच्चीस प्रतिशत संदेय होगा;

● ऐसी घोषणा के परिणामस्वरूप आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित विवादित आय और विवादित धन की बाबत अपील वापस ली हुई समझी जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्कीम यह प्रस्ताव करती है कि व्यक्ति किसी अवधारित कर और ऐसे संशोधन के अधिनियम की तारीख से पूर्व अवधि के लिए, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन कर अधिनियम में भूतलक्षी प्रभाव से किए गए संशोधन कारण संदेय किसी कर और जिसके संबंध में विवाद 29-2-2016 को लंबित है (जिसे विनिर्दिष्ट कर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के संबंध में कोई घोषणा कर सकेगा। स्कीम के फायदे का लाभ लेने के लिए ऐसी घोषणाकर्ता से आयुक्त (अपील) या अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी घोषणा करने से पूर्व ऐसे विनिर्दिष्ट कर के विरुद्ध फाइनल की गई किसी रिट याचिका या किसी अपील वापस लेने की अपेक्षा की जाएगी और उससे ऐसे प्रत्याहरण के सबूत देने की अपेक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि माध्यस्थ सुलह या अध्यक्षता के लिए कोई कार्यवाई घोषणाकर्ता द्वारा आरंभ की गई है या उसने किसी विधि के अधीन या भारत में किए गए करार के अधीन कोई सूचना दी है चाहे वह विनिवेश या अन्यथा के संरक्षण के लिए हो या नहीं, उससे इस स्कीम के अधीन फायदा लेने के लिए ऐसा नोटिस या दावे को वापस लेने की अपेक्षा की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि विनिर्दिष्ट कर के संबंध में घोषणा करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अधिकार का अधित्यजन करते हुए ऐसे विनिर्दिष्ट कर, जो अन्यथा विधि के अधीन, कानून के अनुसार या करार के अधीन उनको अन्यथा उपलब्ध हो, के संबंध में किसी उपचार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करे या उसको आग्रसर करे, चाहे विनिधान या अन्यथा के संरक्षण के लिए वह करार भारत द्वारा देश के साथ या भारत के बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किया गया हो। यह प्रस्ताव है कि कोई अपील प्राधिकारी या मध्यस्थ या सुलहकर्ता या मध्यक ऐसी घोषणा जिसके संबंध में आदेश प्राधिकारी द्वारा किया गया है या संदेय होने के लिए अवधारित राशि के संदाय के संबंध में घोषणा में विनिर्दिष्ट कर से संबंधित मुद्दे का विनिश्चय करने के लिए आग्रसर नहीं होगा।

यह प्रस्ताव है कि जहां घोषणाकर्ता स्कीम में निर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करता है या घोषणा में दी गई तात्त्विक विशिष्टि किसी भी प्रक्रम पर मिथ्या पाई जाती है तो यह समझा जाएगा कि मानो घोषणा इस अधिनियम के अधीन कभी नहीं की गई थी और आय-कर अधिनियम या धन कर अधिनियम जिसके अधीन घोषणाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाइयां लंबित थीं या लंबित हैं, पुनर्जीवित हुई समझी जाएगी।

स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता आय-कर अधिनियम या धन कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन हेतु किसी कार्यवाई के संस्थापन से उन्मुक्ति प्राप्त करेगा। विनिर्दिष्ट कर के मामले में घोषणाकर्ता आय-कर अधिनियम या कर अधिनियम के अधीन शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति भी प्राप्त करेगा। तथापि, शास्ति से उन्मुक्ति कर के बकाया की दशा में ऐसी रकम का होने का प्रस्ताव है जो स्कीम के अनुसार संदेय शास्ति से अधिक है। स्कीम, आय-कर अधिनियम या धन कर अधिनियम के अधीन हित के अधित्याग का उपबंध करती है जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट कर या कर बकाया के संबंध में ब्याज का अधित्याग कर बकाया के मामले में ब्याज की उस सीमा तक है जो स्कीम में निर्दिष्ट ब्याज के रकम से अधिक है।

निम्नलिखित मामलों में कोई व्यक्ति स्कीम के लिए पात्र नहीं होगा:-

(i) वे मामले जहां अभियोजन 29-2-2016 से पहले आरंभ किया जाता है;

(ii) तलाशी और सर्वेक्षण मामले;

(iii) अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों से संबंधित मामले;

(iv) आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन दोहरे कराधान परिवर्जन करार के अधीन प्राप्त सूचना पर आधारित मामले जो उन मामलों से भिन्न हैं जिन्हें भूतलक्षी रूप से कर के अंतर्गत लाया जाता है;

(v) विशेष न्यायालय अधिनियम, 1992 के अधीन अधिसूचित व्यक्ति;

(vi) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974;

इस स्कीम के अधीन की गई घोषणा आयुक्त की पंक्ति से अन्यून पंक्ति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित करवाएगा जो विहित की जाएं। पदाभिहित पदाधिकारी घोषणा की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम का अवधारण करेगा।

घोषणाकर्ता ऐसे आदेश पारित किए जाने के तीस दिन के भीतर कोई ऐसी राशि का संदाय करेगा और ऐसी राशि के संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा। घोषणा के अनुसरण में संदत्त कोई रकम किसी भी दशा में प्रतिदेय नहीं होगी।

पदाभिहित प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय की आय-कर अधिनियम, 1961 या धन कर अधिनियम, 1957 के अधीन किसी अन्य कार्यवाई में पुनः शुरुवात नहीं की जाएगी। पदाभिहित प्राधिकारी स्कीम में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए घोषणा के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में दो अधिनियमों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन के लिए कोई कार्यवाई संस्थित करने से उन्मुक्ति प्रदान करेगा।

इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी फायदे, छूट या ऐसी कार्यवाइयों से भिन्न कार्यवाइयों, जिनके संबंध में घोषणा की गई है, घोषणाकर्ता पर प्रदत्त करेगा।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के उचित प्रशासन के लिए ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश इस स्कीम के निष्पादन में नियोजित व्यक्तियों को जारी करने के लिए शक्ति प्रदान कर सकेगी, केंद्रीय सरकार के ऐसे आदेश, अनुदेशों या निदेशों का पालन करेगी और उनका अनुसरण करेगा। इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी। तथापि, ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा। प्रत्येक ऐसा आदेश इसके शीघ्र बनाए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। इस स्कीम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र इसके बनाए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में रखा जाएगा।

धारा 273क, धारा 273कक या धारा 220(2क) के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदनों का निपटान करने के लिए समय सीमा का उपबंध करना

धारा 220 की उपधारा (2) प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए उस अवधि के लिए जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक प्रतिशत की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है। उक्त धारा की उपधारा (2क) अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन संदत्त या संदेय ब्याज की रकम को कम करने या अधित्यक्त करने के लिए सशक्त करती है।

धारा 273क की उपधारा (4) अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर निर्धारिती द्वारा संदेय किसी शास्ति की रकम को अधित्यजित कर सकेगा या कतिपय परिस्थितियों में शास्ति की रकम की वसूली के लिए किसी कार्यवाही पर रोक लगा सकेगा या उसका शमन कर सकेगा।

धारा 273कक अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त शास्ति से उन्मुक्ति मंजूर कर सकेगा यदि शास्ति की कार्यवाहियां ऐसे व्यक्ति जिसने (समझौता आयोग के समक्ष) आवेदन किया है, और समझौता संबंधी कार्यवाहियों का अधिनियम की धारा 245जक में अन्तर्विष्ट परिस्थितियों में उपशमन हो गया था।

विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 220 या धारा 273क या धारा 273कक के अधीन आदेश पारित करने के बारे में कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त इन उपबंधों में विनिर्दिष्ट रूप से कोई आदेश नहीं है कि निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सके यदि ऐसा आवेदन प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए और विनिर्दिष्ट समय-सीमा के लिए उपबंध करने के लिए विद्यमान उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

धारा 220 में यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि किसी निर्धारिती के आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश उस मास, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है, की समाप्ति से बारह मास की अवधि के भीतर संबद्ध प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जाएगा।

यह उपबंध करने के लिए धारा 273क और धारा 273कक का और संशोधन करने का प्रस्ताव है कि निर्धारिती के आवेदन को स्वीकार करने वाला या अस्वीकार करने वाला आदेश उस मास, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त किया गया है, की समाप्ति से बारह मास की अवधि के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जाएगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 220 या धारा 273क या धारा 273कक के अधीन निर्धारिती के आवेदन का अस्वीकार करने वाला कोई आदेश निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। तथापि, 1 मई, 2016 को लंबित आवेदनों के संबंध में उक्त धाराओं के आदेश 31 मई, 2017 को या उससे पूर्व पारित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 88, 104 और 105]

विभिन्न प्रक्रियाओं और कागज रहित निर्धारण के स्वचालन के लिए विधिक कार्य ढांचे का उपबंध करना

अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि दक्षता को बढ़ाने के लिए और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए कागज रहित निर्धारण के लिए पर्याप्त विधिक कार्य ढांचे का उपबंध किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है।

धारा 282क की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई सूचना या अन्य दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है वहां ऐसी सूचना या दस्तावेज पांडुलिपि में उस प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

धारा 282क की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस और दस्तावेज ऐसी प्रक्रिया जो विहित की जाए, के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा या तो कागज के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जाएंगे।

धारा 143 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि यदि निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने आय का कम विवरण दिया है या अत्यधिक हानि की संगणना नहीं की है या किसी भी रीति में कर का कम संदाय नहीं किया है तो वह निर्धारिती पर उससे कोई ऐसा साक्ष्य जिस पर निर्धारिती विवरणी के समर्थन में विश्वास करे, विनिर्दिष्ट तारीख को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने की उससे अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा।

धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस की समय पर तामील सुनिश्चित करने के लिए धारा 143 की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव जिससे यह उपबंध किया जा सके उक्त उपधारा के अधीन नोटिस निर्धारण अधिकारी द्वारा या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में हाजिर होने के लिए या निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई ऐसा साक्ष्य जिस पर निर्धारिती विवरणी के समर्थन में विश्वास करे, प्रस्तुत करने के लिए या प्रस्तुत करवाने के लिए तामील कर सकेगा।

नया खंड (30ग) अंतःस्थापित करके धारा 2 के विद्यमान उपबंध का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से आंकड़ा और दस्तावेज के संचार को सम्मिलित करने के लिए "सुनवाई" पद को परिभाषित किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3, 66 और 109]

ज. सुव्यवस्थीकरण के उपाय

किसी प्रवर्ग - I और प्रवर्ग - II अनुकल्पी विनिधान निधि द्वारा अपने विनिधानकर्ताओं को संदाय से संबंधित स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा सेबी में रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग-I और प्रवर्ग-II अनुकल्पी विनिधान निधियों (विनिधान निधि) की बाबत एक विशिष्ट कर प्रणाली को अन्तःस्थापित किया गया था। विशिष्ट कर प्रणाली इन विनिधान निधियों की बाबत, जो सामूहिक विनिधान यान है कर पारण प्रास्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आशयित है। विशिष्ट प्रणाली अधिनियम की धारा 10 (23चखक), धारा 10 (23चखख); धारा 115पख और धारा 194उखख में अन्तर्विष्ट है। इस प्रणाली के अधीन विनिधान की आय को जो कारबार से आय की प्रकृति में न हो) निधि की परिधि में आने से छूट है किन्तु विनिधानकर्ता द्वारा निधि से प्राप्त आय (आय से भिन्न जिस पर निधि के स्तर पर कर लगाया गया है) विनिधानकर्ता के हाथ पर कराधेय है। विनिधानकर्ता के हाथों में कराधान उसी रीति और उसी अनुपात में होगा जैसा कि इसे विनिधानकर्ता द्वारा ऐसी रकम के रूप में सीधे प्राप्त किया होता और न कि निधि द्वारा। धारा 194पखख के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि विनिधान निधि द्वारा अपने विनिधानकर्ता को जमा या संदत्त किसी आय की बाबत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) आय की 10% की दर से विनिधान निधि द्वारा की जाएगी। धाराओं में प्रगणित करने की बाबत अधिनियम की धारा 197 के अधीन निम्नतर दर या बिना कटौती के कर की कटौती में लिए प्रमाणपत्र की सुविधा उपलब्ध है यदि निर्धारण करने वाले अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्राप्तियों से कुल आय यह न्यायोचित करती है कि इस प्रकार धारा 194पखख के प्रमाणपत्र को जारी करना इस उपबंध में वर्तमान में शामिल नहीं है।

यह अभ्यावेदन किया गया है कि विद्यमान टीडीएस प्रणाली से कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। अनिवासी विनिधानकर्ता निम्न दर के उस कराधान या कर की शून्य दर के उस कराधान, जो उसे संबंधित दोहरे कराधान से बचाव करार (डीटीएए) के अधीन उपलब्ध है, के फायदे को दावाकृत करने में समर्थ नहीं है और 10% की दर से कटौती अनिवार्य रूप से की जानी है इसके बावजूद की डीटीएए के अधीन आय भारत में कराधेय नहीं है। धारा 194पखख के अधीन की गई कटौती के संदर्भ में निम्न दर या शून्य पर टीडीएस प्रमाणपत्र की वांछना के लिए निर्धारण अधिकारी तक किसी विनिधानकर्ता की पहुंच की कोई सुविधा नहीं है।

विनिधान निधि द्वारा अपने विनिधानकर्ताओं को किए गए संदाय के संबंध में टीडीएस प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के क्रम में यह उपबंध करने के लिए कि विनिधानकर्ता को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आय-कर की कटौती करेगा जहां संदायकर्ता निवासी है, दस प्रतिशत की दर से धारा 194पखख के अधीन आय-कर की कटौती करेगा। धारा 194पखख का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। और जहां संदायकर्ता अननवासी है (विदेशी कंपनी न होने की बाबत) या कोई विदेशी कंपनी है तो प्रवर्त दर से कटौती करेगा। और धाराओं की सूची में धारा 194पखख को शामिल करने के लिए धारा 197 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है जिससे निम्न दर या कर की कटौती के बिना कर की कटौती के लिए प्रमाण-पत्र को प्राप्त किया जा सके। परिणामस्वरूप: प्रवृत्त दरों की परिभाषा में परिवर्तन किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि इसमें धारा 194पखख को शामिल किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2016, से प्रभावी होंगे।

[खंड 3, 81 और 83]

प्रतिभूतिकरण न्यास और उसके विनिधानकर्ताओं के लिए नई कर व्यवस्था

अधिनियम के अध्याय 12ड क के विद्यमान उपबंधों के अधीन जिसमें प्रतिभूतिकरण न्यासों और ऐसे न्यासों के विनिधानकर्ताओं की आय के संबंध में विशिष्ट कराधान प्रणाली की धाराएं 115नक, 115नख और 115नग शामिल हैं, को उपबंधित किया गया है। प्रणाली यह उपबंध करती है कि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा अपने विनिधानकर्ताओं को वितरित की गई आय प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा आय के वितरण से 14 दिनों के अन्दर संदत्त किए जाने वाले अतिरिक्त कर के उदग्रहण के अधीन होगा : यदि वितरण किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को किया गया है तो वितरण 20% की दर से और वितरण अन्यो को किया गया है तो 30% की दर से संदत्त किया जाएगा। और कोई वितरण का उदग्रहण नहीं किया जाएगा यदि वितरण किसी छूटप्राप्त अस्तित्व को किया गया है। वितरण कर के उदग्रहण के परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त विनिधानकर्ता की आय को अधिनियम की धारा 10 (35क) के अधीन छूट है और प्रतिभूतिकरण न्यास की आय को स्वतः ही अधिनियम की धारा 10 (23घक) छूट है।

ऐसा अभ्यावेदन किया गया है कि चालू प्रणाली के अधीन पुनर्गठन कंपनियों या प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा स्थापित न्यास के अन्तर्गत नहीं आते हैं यद्यपि ऐसे न्यास प्रतिभूतिकरण क्रियाकलापों में भी लगे हुए हैं। इन कंपनियों का वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 और उनके क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ स्थापना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। यह अभ्यावेदन किया गया है कि वितरण कर के प्ररूप में अन्तिम उदग्रहण के लिए उपबंध करने वाली विद्यमान प्रणाली विनिधानकर्ताओं विनिर्दिष्ट रूप से बैंक के लिए कर अयोग्य है और वित्तीय संस्थानों की दशा में प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय के संबंध में व्यय की नामजूरी कराधान की प्रभावी दर को बढ़ाएगी। और अनिवासी तथा निवासी विनिधानकर्ता अपनी विनिर्दिष्ट कर प्रास्थिति का फायदा लेने में असमर्थ है।

प्रतिभूतिकरण न्यास और इसके विनिधाकर्ता के लिए कर प्रणाली का सुव्यवस्थीकरण करने के क्रम में और कर पारण उपचार का उपबंध करने के लिए अधिनियम के उपबंधों का संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिभूतिकरण न्यास के लिए विद्यमान विशिष्ट प्रणाली के स्थान पर एक नई प्रणाली रखी जाएगी जिसमें निम्नलिखित तत्व होंगे —

- नई प्रणाली सेबी (लोक प्रस्ताव और प्रतिभूति ऋण लिखत की सूची) विनियम, 2008 के अधीन परिभाषित किसी एसपीवी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यथा परिभाषित एसपीवी होने के कारण या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या किसी पुनर्गठन कंपनी द्वारा स्थापित होने के कारण प्रतिभूतिकरण न्यास पर लागू होगा ;
- प्रतिभूतिकरण न्यास की आय पर छूट जारी रहेगी तथापि, प्रतिभूतिकरण न्यास से विनिधानकर्ता की आय के संबंध में छूट उपलब्ध नहीं रहेगी और प्रतिभूतिकरण न्यास से कोई आय विनिधानकर्ता के हाथों में कराधेय होगी;
- प्रतिभूतिकरण न्यास से प्रोद्भूत या प्राप्त आय विनिधानकर्ता के हाथों से उस रीति में और उस विस्तार तक कराधेय होगी जैसे कि इसे विनिधानकर्ता ने अन्तर्निहित आस्तियों में सीधे विनिधान किया हो न कि न्यास के माध्यम द्वारा ;

- (iv) स्रोत पर कर कटौती, निवासी विनिधानकर्ता जो कि व्यक्ति और अ.हि.कु. है जो संदाय की दशा में 25% की दर से और अन्य की दशा में 30% की दर से प्रतिभूतिकण न्यास द्वारा वसूली जाएगी अनिवासी विनिधानकर्ता को संदाय की दशा में कटौती प्रवृत्त दर से होगी;
- (v) कर की निम्न या शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विनिधानकर्ता के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी; और
- (vi) न्यास विनिधानकर्ता को उसकी आय की प्रकृति और समानुपात में विघटित करने और आय-कर माणीकरण को विहित करने का उपबंध करेगा। और यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि वितरण कर की चालू प्रणाली 01.06.2016 से प्रतिभूतिकण न्यास द्वारा वितरण की दशा में लागू नहीं रहेगी।

ये संशोधन 1 जून 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3, 7, 57, 58, 59, 82 और 83]

बीईपीएस कार्य योजना - देश दर देश रिपोर्ट और मास्टर फाइल

अधिनियम की धारा 92 से धारा 92च अंतरण कीमत व्यवस्था से संबंधित उपबंधों को अंतर्विष्ट करती है धारा 92घ के उपबंधों के अधीन, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार और विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार से संबंधित विहित जानकारी और दस्तावेज के रखरखाव हेतु अपेक्षा की जाती है।

बीईपीएस कार्य योजना की कार्यवाई 13 पर ओईसीडी रिपोर्ट, अंतरण कीमत दस्तावेजीकरण हेतु पुनरीक्षित मानकों तथा आय, उपार्जन, देयकर, आर्थिक क्रियाकलाप के कतिपय उपाय की देश दर देश रिपोर्ट करने के लिए सांचे का उपबंध करती है भारत बीईपीएस पहल के सक्रिय सदस्यों में से एक है और अंतरराष्ट्रीय जनगणना का भाग है। बीईपीएस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि राष्ट्रों को अंतरण कीमत दस्तावेजीकरण के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक त्रिस्तरीय अवसंरचना को निम्नलिखित से मिलकर आज्ञापक बनाया गया है।

- सभी एमएनई समूह सदस्यों हेतु सुसंगत मानकीकृत जानकारी से बनने वाली मास्टर फाइल;
- स्थानीय करदाता की सामग्री संव्यवहार को विशेष रूप से विनिर्दिष्ट करने वाली स्थानीय फाइल;
- एमएनई समूह के भीतर आर्थिक क्रियाकलाप के अवस्थान के कतिपय उपदर्शकों के बीच एमएनई की आय और देय कर के ग्लोबल आवंटन के संबंध में कतिपय कतिपय जानकारी विनिर्दिष्ट करने वाली देश-दर देश रिपोर्ट।

रिपोर्ट यह उल्लेख करती है कि इन तीनों दस्तावेजों (देश-दर-देश रिपोर्ट, मास्टर फाइल और स्थानीय फाइल) एक साथ, लेना कर दाताओं से यह अपेक्षा करेगा कि वे संगत अंतरण कीमत निर्धारण स्थितियों का कथन करें और वे अंतरण कीमत निर्धारण जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए कर प्रशासन को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह कर प्रशासकों को यह सुनिश्चित करने के बारे में सुविधा प्रदान करेगी जहां उनके संसाधनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियोजित किया जाए तथा यद्यपि संपरीक्षा आडिट की मांग हेतु आरंभ करने और लक्ष्य संपरीक्षा जाचों के लिए जानकारी का उपबंध करता है।

देश-दर-देश की रिपोर्ट से बहुराष्ट्रीय उद्यमों से वार्षिक रिपोर्ट का किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक कर अधिकारिता के लिए जिसमें वे कारबार करते हैं; राजस्व की रकम, आयकर से पूर्व का लाभ तथा देय और प्रोद्भूत आयकर आता है। एमएनई से भी उनके कुल नियोजन, पूंजी संगठित उपार्जन और प्रत्येक कर अधिकारिता में पूर्ण अस्तित्वों की रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जाती है परिमाणतः एमएनई से विशिष्ट कर अधिकारिता में करने वाले कारबार के समूह के भीतर प्रत्येक अस्तित्व की पहचान की जाती है तथा प्रत्येक अस्तित्व कारबार क्रियाकलाप को एक उपदर्शन उपलब्ध कराने के लिए में लगा हुआ देश-दर-देश (सीबीसी) रिपोर्ट को प्राधिकारी को अपने आवास के देश में विहित अधिकारी की एक अंतरराष्ट्रीय समूह की मूल अस्तित्व प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट समूह के संचित वित्तीय विवरण पर आधारित होती है। मास्टर फाइल एमएनई समूह कारबार के सिंहावलोकन का उपबंध करने को आशयित करता है, जिनके अन्तर्गत इसके ग्लोबल कारबार प्रचालन की प्रकृति, संपूर्ण स्थानांतरण कीमत नीति और पर्याप्त स्थानांतरण कीमत जोखिम की उपस्थिति की गणना में कर प्रशासन की सहायता क्रम में आय और आर्थिक क्रियाकलाप के इसके ग्लोबल आवंटन आते हैं।

साधारणतया मास्टर फाइल से एमएनई के समूहों की स्थानांतरण कीमत व्यवहार्य की अपनी ग्लोबल आर्थिक, विधिक, वित्तीय और कर प्रसंग के स्थान के क्रम में एक उच्च स्तरीय सिंहावलोकन का उपबंध करने के लिए आशयित है। मास्टर फाइल में जानकारी अन्तर्विष्ट होगी जिममें विशिष्ट देश में अवस्थित विशिष्ट अस्तित्व के द्वारा संव्यवहार प्रतिबंधित नहीं कर सकेगा। उस पहलू में मास्टर फाइल में जानकारी को नियमित अंतरण कीमत दस्तावेज की अपेक्षा अधिक व्यापक बनाया जाएगा। मास्टर फाइल, इस देश में जहां इसे प्रचालित किया जाता है के कर प्राधिकारी की प्रत्येक अस्तित्व द्वारा तैयार किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय जनगणना के क्रियान्वयन के क्रम में देश दर देश की रिपोर्ट मास्टर फाइल के भी संबंध में विशेषरिपोर्टि प्रणाली का उपबंध करना आशयित है। इसमें अधिनियम में आवश्यक तत्वों के सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है जब शेष पहलुओं को निमयों को ब्यौरेबद किया जा सकता है। देश दर देश से संबंधित तत्व संबंधित तत्व की अपेक्षा की जाने वाली रिपोर्ट और उससे संबंधित मामलों के संबंध प्रस्तावित है, अधिनियम के संशोधनों के माध्यम से सम्मिलित हैं :—

- रिपोर्ट किए जाने वाला उपबंध सीमा के ऊपर संचित राजस्व को रखते हुए किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के संबंध में लागू होंगी, विहित की जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व से यदि वह भारत में निवास करता है अपेक्षा की जाएगी कि वह वित्तीय वर्ष (पूर्व वर्ष) जिनके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है से सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उसके पहले विहित प्राधिकारी को समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- मूल अस्तित्व एक ऐसा अस्तित्व होगा जिससे लागू विषयों के अधीन समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसे विवरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई होती यदि किसी साम्या पूंजी के साधारण अंश भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया होता;
- मूल अस्तित्व जो भारत में निवास नहीं करता है के पास अंतरराष्ट्रीय समूह का भारत में प्रत्येक घटक अस्तित्व ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूह जिसको उसका संबंध है के मूल के निवास के देश या राज्य के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा। यह सूचना विहित प्राधिकारी को उस तारीख को या उसके पहले दी जाएगी;

- (v) रिपोर्ट विहित रीति और विहित प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी और इसमें राजस्व आयकर के समक्ष लाभ और हानि संदत्त और प्रोद्भूत आयकर की रकम पूंजी के ब्यौरे संचित उपार्जन, कर्मचारियों की संख्या, नकद से भिन्न मूर्त आस्तियां या नकद समतुल्य प्रत्येक संघटक आवास प्रास्थिति के ब्यौरों सहित प्रत्येक देश के संबंध में समग्र जानकारी या राज्यक्षेत्र मुख्य कारबार क्रियाकलाप की प्रकृति व ब्यौरे और कोई जानकारी जो विहित की जाए;
- (vi) किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंध रखने वाले भारत के किसी आस्तित्व के लिए विहित प्राधिकारी को देश-दर-देश रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, यदि समूह का मूल आस्तित्व, -
- (क) किसी ऐसे देश में निवासी है, जिसके साथ भारत का देश-दर-देश रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए कोई करार नहीं है; या
- (ख) ऐसा देश, भारत के साथ करार होने के बावजूद, सूचना का आदान-प्रदान नहीं कर रहा है; और
- (ग) विहित प्राधिकारी द्वारा आस्तित्व को इस तथ्य की सूचना दे दी गई है।
- (vii) यदि भारत में एक समूह के एक से अधिक अस्तित्व हैं तो समूह विहित प्राधिकारी को लिखित सूचना के अधीन) उस अस्तित्व को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो समूह की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा, तब वह अस्तित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (viii) यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसमें ऐसा मूल अस्तित्व है जो भारत में निवासी नहीं है, किसी वैकल्पिक अस्तित्व को अपनी रिपोर्ट उस कर अधिकारिता के पास फाइल करने के लिए पदाभिहित करता है, जिसमें वैकल्पिक अस्तित्व निवासी है, तब भारत में प्रचालन कर रहे ऐसे समूह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना आज्ञापक नहीं होगा, यदि भारतीय कर प्राधिकारियों द्वारा ऐसा रिपोर्टों के आदान-प्रदान करार के अधीन रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है;
- (ix) विहित प्राधिकारी, रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अस्तित्व से, ऐसी यर्थाथता का, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा दस्तावेज और सूचना मांग सकेगा। अस्तित्व को, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के या ऐसी और अवधि के भीतर, यदि विहित प्राधिकारी द्वारा विस्तारित की जाए, किंतु विस्तार तीस दिन से अधिक का नहीं होगा, प्रस्तुत कर सकेगा;
- (x) किसी अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है, प्रस्तुत न किए जाने पर, श्रेणीकृत शास्ति ढांचा लागू होगा :
- (क) यदि व्यतिक्रम एक मास से अधिक नहीं है, 5000/- रुपए प्रति दिन की शास्ति लागू होगी;
- (ख) यदि व्यतिक्रम एक मास से अधिक है, एक मास से अधिक की अवधि के लिए 15000/- रुपए प्रति दिन की शास्ति लागू होगी;
- (ग) ऐसे व्यतिक्रम के लिए, जो या तो (क) के अधीन या (ख) के अधीन शास्ति उद्ग्रहण करने का आदेश की तामील कराने के बाद भी जारी रहता है, तो आदेश के तामील किए जाने के बाद जारी किसी व्यतिक्रम के लिए शास्ति 50000/- रुपए प्रति दिन की होगी।
- (xi) विहित प्राधिकारी के समक्ष, मांगे जाने पर, सूचना समय पर प्रस्तुत न किए जाने की दशा में, 5000/- रुपए प्रति दिन की शास्ति लागू होगी। उपरोक्त के समान, यदि व्यतिक्रम, शास्ति आदेश की तामील के बाद भी जारी रहता है, तो शास्ति आदेश के तामील की तारीख के बाद के व्यतिक्रम के लिए 50000/- रुपए प्रति दिन की शास्ति लागू होगी।
- (xii) यदि अस्तित्व ने रिपोर्ट में कोई असत्य की जानकारी दी है, और -
- (क) अस्तित्व को रिपोर्ट देते समय असत्यता की जानकारी है किन्तु विहित प्राधिकारी को सूचित नहीं करता है; या
- (ख) अस्तित्व के रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात् असत्यता का पता चलता है और विहित प्राधिकारी को सूचित करने में और ऐसा पता चलने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सही रिपोर्ट, देने में असफल रहता है; या
- (ग) अस्तित्व विहित प्राधिकारी की सूचना के उत्तर में असत्य जानकारी या दस्तावेज देता है तो 500,000/- रुपए की शास्ति लागू होगी।
- (xiii) अस्तित्व ऊपर उल्लिखित शास्तियों के उद्ग्रहण के लिए युक्तियुक्त हेतुक बचाव प्रदान कर सकता है।

मास्टर फाइल के रखरखाव और उसके प्रस्तुत करम के संबंध में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित हैं :-

- (i) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले अस्तित्व जो अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक है, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से संबंधित सूचना के अतिरिक्त ऐसी जानकारी और दस्तावेज का रखरखाव करेंगे जो नियमों में विहित है। तत्पश्चात् इन नियमों ओईसीडी बीईपीएस कार्यवाई 13 रिपोर्ट के अधीन मास्टर फाइल के लिए यथा आदेशित जानकारी और दस्तावेजों उपबंध किया जा सकेगा;
- (ii) जानकारी और दस्तावेज भी विहित प्राधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर देगा जो विहित की जाएगी और प्रस्तुत करने की रीति का भी इस नियमों में उपबंध किया जा सकता है।
- (iii) विहित प्राधिकारी को सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के लिए, 5 लाख रुपए की शास्ति उद्ग्रहणीय होगी। तथापि अस्तित्व के लिए शास्ति के उद्ग्रहण के विरुद्ध युक्तियुक्त बचाव हेतुक उपलब्ध होगा।

जैसा ऊपर उपदर्शित है, किसी रिपोर्टगत वर्ष के लिए देश-दर-देश रिपोर्ट किए जाने की उपेक्षा तब तक लागू नहीं होगी, जब तक समेकित वित्तीय विवरण पर आधारित समूह के पूर्ववर्ती वर्ष के समेकित राजस्व, विहित की जाने वाली सीमा से अधिक नहीं हो जाते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार, 750 लाख (1 जून, 2016 को स्थानीय मुद्रा के समतुल्य) की सीमा विहित की जानी है। भारतीय मुद्रा में यह सीमा 5395 करोड़ रुपये के समतुल्य है। अतः पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 के लिए देश-दर-देश की रिपोर्ट तभी लागू होगी यदि पूर्व वर्ष 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित राजस्व 5395 करोड़ रुपए से अधिक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

आय की परिभाषा से विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए स्थापित निधि के निकाय के लिए केंद्र सरकारी सहायिकी या अनुदान या नकद सहायता आदि से छूट

वित्त अधिनियम 2015 ने अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) के अधीन आय की परिभाषा का संशोधन किया था जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय में सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति जो आयकर अधिनियम की धारा 43 के खंड (1) के स्पष्टीकरण के उपबंधों के अनुसार आस्ति की वास्तविक लागत के अवधारण के लिए हिसाब में ली जाती है, से भिन्न निर्धारिती को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी प्रधिकारी या निकाय या अभिकरण द्वारा सहायिकी या अनुदान या नकद प्रोत्साहन या शुल्क वापसी या अधित्यजन या छूट या प्रतिपूर्ति (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में सहायता सम्मिलित है।

कतिपय सरकारी स्कीमों को प्रचालित करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए न्यास या अन्य अस्तित्व की बजटीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबंधित अनुदान या नकद सहायता या सहायिकी आदि के परिणाम स्वरूप न्यास या किसी अन्य अस्तित्व के हाथों में कर लगाया जाएगा। अतः, धारा 2(24) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार दारा स्थापित न्यास या संस्था के निकाय के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायिकी का अनुदान आय का भाग नहीं होगा।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

रेल को किए गए कतिपय संदायों को सम्मिलित करने हेतु धारा 43ख की परिधि का विस्तार

अधिनियम की धारा 43 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती द्वारा कर, उपकर, शुल्क या फीस के रूप में संदेय कोई राशि पीएफ/ईएसआई के लिए नियोजक अभिदाय कर्मचारी कल्याण के लिए कोई अन्य निधि, अनुसूचित बैंक को संदेय ब्याज पब्लिक वित्तीय संस्थान अर्थात्, उस वर्ष जिसमें ऐसी राशि संदाय के लिए उपगत हुई थी, पूर्ववर्ती वर्ष की कटौती के रूप में अनुज्ञात है (संसंगत पूर्ववर्ती वर्ष), यदि व्यक्ति द्वारा लेखा प्रणाली का पालन किया गया है या नहीं, पर विचार किया बिना, आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख पर या उससे पूर्व वास्तविक रूप से उसका संदाय हुआ है। इसे देखते हुए प्रयोगकर्ताओं द्वारा रेल आस्तियों के प्रयोग के लिए रेल को शीघ्र संदाय को सुनिश्चित करने के लिए, धारा 43ख के संशोधन का प्रस्ताव है ताकि रेल आस्तियों के प्रयोग के लिए भारतीय रेल को किए गए संदाय को शामिल करने के लिए परिधि का विस्तार किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 23]

समझी गई अप्रकटित आय के समक्ष मुजरई हानि के संबंध में स्पष्टीकरण

अधिनियम की धारा 115खखड के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ से संबंधित आय तीस प्रतिशत की दर से कराधेय है और यह उपबंध करती है कि धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय के संबंध में किसी भी व्यय या मोक की बाबत कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी।

वर्तमान में, अधिनियम की धारा 115खखड में निर्दिष्ट आय के समक्ष मुजरई हानि के जारी होने पर अनिश्चितता है। मामला न्यायिक फोरम के समक्ष ले जाया गया और न्यायालय ने कुछ मामलों में यह मत लिया है कि हानि का धारा 115खखड में निर्दिष्ट आय के समक्ष मुजरा किया जाना अनुज्ञेय होगा। तथापि, अधिनियम की धारा 115खखड की वर्तमान भाषा वांछित आशय को प्रदाय नहीं करता है और जिस पर परिणाम मामलों की मुकदमेबाजी है। अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए और स्पष्ट रूप से यह उपबंध करने के लिए कि कोई मुजरई हानि धारा 68 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ के अधीन आय की बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 51]

वृत्ति के मामले में अपूर्ण फीसों का कराधान और अनन्यता अधिकार

अधिनियम की धारा 28 का खंड (vक) के विद्यमान उपबंध ने किसी कारबार के संबंध में कोई क्रिया कलाप न करने के लिए किसी करार के अधीन नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्रारंभ कोई राशि कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ, न किसी व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्य अधिकार व्यापरचिन्ह, अनुज्ञप्ति, फ्रैंचाइस या इसी प्रकृति के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार या ऐसी जानकारी या तकनीक में जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता के लिए संभावित हो, भाग न पाने के लिए और जो कारबार आय के रूप में कर से प्रभार्य है, की निधि से सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त, उपबंध यह स्पष्ट करते हैं कि किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण के अधिकार के अंतरण के लिए प्राप्तियां जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य हैं, कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों के रूप में करादेय नहीं होंगी। अधिनियम की धारा 45 के अधीन किसी कारबार या वाणिज्यिक अधिकारों के अंतरण उत्पन्न होने वाली पूंजी प्राप्तियां व पूंजी लाभ" के अधीन करादेय है। "पूंजी लाभ" की रकम अधिनियम, की धारा 48 के अनुसार संगठित की जाती है। इस प्रयोजन के लिए 'अर्जन की लागत' और 'सुधार की लागत' धारा 55 के अधीन परिभाषित किए गए हैं। तथापि, वृत्ति के लिए जाने से संबंधित प्राप्त/प्राप्य अपूर्ण फीस इन उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

अधिनियम की धारा 28 का खंड (vक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अधिनियम की धारा 28 अर्थात् कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों को प्रभारित करने की धारा की परिधि के भीतर कोई वृत्ति करने के संबंध में प्राप्त/प्राप्य अपूर्ण फीस (जो आवर्ती प्रकृति की है) लगाई जा सके। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट करने के लिए परन्तु का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि किसी वृत्ति को करने के अधिकार के) प्रप्तियां, जो "पूंजी अभिलाभ" के अधीन कर से प्रभार्य है, कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों के रूप में करादेय नहीं है। धारा 55 का संशोधन करना का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी वृत्ति को करने के अधिकार के अन्तरण से उदभूत पूंजी प्रप्तियों पर "पूंजी अभिलाभ" निकालने के लिए "अर्जन की लागत" और "सुधार की लागत" भी "शून्य" मानी जाएगी।

संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12 और 33]

धारा 112(1)(ग) के उद्देश्य के लिए असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के निबंधनानुसार परिभाषा संबंधी स्पष्टीकरण

धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के विद्यमान उपबंध, प्रतिभूतियों के अंतरण से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हेतु 10 प्रतिशत की दर का उपबंध करती है, चाहे वे सूचीबद्ध या असूचीबद्ध हों।

उक्त उपबंध के उद्देश्य के लिए "प्रतिभूतियों" की अभिव्यक्ति का प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (1956 का 32) (एससीआरए) की धारा 2 के खंड (ज) में समान अर्थ लिया गया है। न्यायालय द्वारा दृष्टिकोण अपनाया गया है कि प्राइवेट कंपनी के अंश "प्रतिभूतियां" नहीं हैं।

स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से, जहां तक कराधेयता का संबंध है, आयकर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंध को संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उपबंध किया जा सके कि ऐसी कंपनी के अंश जो कंपनी नहीं है जिसमें लोक सारवान रूप से हितबद्ध है, के होने वाले पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्यभूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का उपबंध किया जा सके, दस प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव करता है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती वर्षों की बाबत लागू होगा।

[खंड 48]

आय-कर अधिनियम की धारा 73क के अधीन ऐसे हानि को अग्रनीत और मुजरा करने के लिए समय सीमा

अधिनियम की धारा 73क के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि धारा 35कघ में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में किसी हानि का किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार के लाभ या अभिलाभ, यदि कोई हो, के सिवाय मुजरा नहीं किया जाएगा और धारा 80, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि ऐसी हानि को जो धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार फाइल की गई विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गई है, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 72 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74क के अधीन अग्रनीत नहीं किया जाएगा या उसका मुजरा नहीं किया जाएगा।

वर्तमान में यदि आय की विवरणी को देय तारीख तक फाइल नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 73क के अधीन अवधारित हानि को अग्रनीत करने के भत्ते के बारे में संदिग्धता है। अधिनियम की स्कीम में अनुसरण में इस हानि को भी अनुज्ञात किया जाना चाहिए, यदि विवरणी को विनिर्दिष्ट समय अर्थात् अधिनियम के अधीन अवधारित अन्य हानियों के लिए धारा 80 में यथा उपबंधित आय की विवरणी को फाइल करने की देय तारीख के भीतर फाइल किया गया है। इसका परिणाम परिवर्तनीय मुकदमेबाजी है।

इस मामले को स्पष्ट करने के क्रम में धारा 80 का संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 73क के अनुसार अवधारित हानि का, यदि ऐसी हानि को धारा 139 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार फाइल की गई किसी विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं किया गया है, अग्रनीत या मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और धारा 139 की उक्त उपधारा (3) का संशोधन करना भी प्रस्तावित है ताकि उक्त उपधारा में धारा 73क की उपधारा (2) के संदर्भ को दिया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-2017 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 35 और 69]

स्पैक्ट्रम के क्रय के लिए स्पैक्ट्रम फीस का क्रमिक अपाकरण

अधिनियम की धारा 32 के अधीन आस्तियों के संबंध में जिसमें कतिपय अमूर्त आस्तियों भी हैं, का अवमूल्यन अनुज्ञात है अधिनियम की धारा 35कख के अधीन दूरसंचार सेवा मामले में अनुज्ञप्ति फीस का अपाकरण क्रमिक उपबंधित है।

सरकार ने वायु तरंगों की नीलामी के लिए हाल ही में स्पैक्ट्रम फीस आरंभ की हैं।

स्पैक्ट्रम के संबंध में संदाय के कर उपचार में अनिश्चितता है अर्थात् क्या स्पैक्ट्रम अमूर्त आस्ति है और संदत स्पैक्ट्रम फीस अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवक्षयण के लिए पात्र है या चाहे यह दूर संचार कारबार को प्रचालित करने की अनुज्ञप्ति की प्रकृति की है और अधिनियम की धारा 35कख के अधीन कटौती के लिए पात्र है।

स्पष्टता का उपबंध करने और किसी भावी मकदमेबाजी और विवाद से बचने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 35कख के अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे स्पैक्ट्रम फीस के कर उपचार के लिए उपबंध किया जा सके। धारा यह उपबंध करने के लिए है —

(i) स्पैक्ट्रम संदाय करके दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी स्पैक्ट्रम के अर्जन पर किसी निर्धारिती द्वारा उपगत और वास्तविक संदत किसी पूंजी व्यय उस अवधि के दौरान, जिसके लिए स्पैक्ट्रम प्रवर्तन में रहता है, समान किस्तों में किस्तों के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(ii) जहां स्पैक्ट्रम का अन्तरण कर दिया जाता है और अंतरण के आगम अनुज्ञात शेष व्यय से कम हैं, वहां कटौती, जो अंतरण के आगमों से घटाकर अनुज्ञात शेष व्यय के बराबर है, उस पूर्ववर्ष में अनुज्ञात की जाएगी जिसमें स्पैक्ट्रम का अंतरण किया गया है।

(iii) यदि स्पैक्ट्रम अन्तरित कर दिया जाता है और अंतरण के आगम अनुज्ञात शेष व्यय की रकम से अधिक है तो आधिक्य रकम उस पूर्ववर्ष में, जिसमें स्पैक्ट्रम अन्तरित किया गया है, कारबार के लाभों और अभिलाभों के रूप में कर से प्रभार्य होगी।

(iv) यह उस मामले में अनुज्ञात उन खर्चों को जहां स्पैक्ट्रम का कोई भाग अन्तरित कर दिया जाता है, क्रमिक अपाकरण होगा।

(v) इस धारा के ऐसे समामेलन की स्कीम में अंतरण के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसके द्वारा स्पैक्ट्रम समामेलनकारी कंपनी द्वारा ऐसी समामेलित कंपनी, बाद वाली भारतीय कंपनी है, द्वारा अन्तरित कर दिया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 16]

स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम में यथा उपबंधित स्रोत पर कर कटौती की स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विहित दर से स्रोत पर कटौती किया जाना और उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर केंद्रीय सरकार के पास जमा किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि संदाय विहित आरंभिक सीमा से अधिक नहीं है तो कोई कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है।

स्रोत पर कर कटौती (टी सी एस) उपबंधों के लिए आधार का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए स्रोत पर कर कटौती के लिए विद्यमान आरंभिक सीमा, स्रोत पर कर कटौती की दरों को पुनरीक्षित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है जैसे कि क्रमशः नीचे दी गई सारणी और सारणी में क्रमशः उल्लिखित किया गया है। सारणी में यथा उल्लिखित कर कटौती की परिधि से अधिनियम की संबंधित धारा के अधीन कतिपय संदायों को छोड़ने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। सारणी 3- अधिनियम की संबंधित धाराओं में उल्लिखित विभिन्न संदायों के स्रोत पर कर की कटौती की आरंभिक सीमा में वृद्धि

वर्तमान धारा	शीर्ष	विद्यमान आरंभिक सीमा (रुपए)	प्रस्तावित आरंभिक सीमा (रुपए)
192क	किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय	30,000	50,000
194खख	घुड़दौड़ से जीत	5,000	10,000
194ग	ठेकेदारों को संदाय	75,000 की संकलित वार्षिक सीमा	1,00,000 की संकलित वार्षिक सीमा
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	2,00,000	2,50,000
194घ	बीमा कमीशन	20,000	15,000
194छ	लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन	1,000	15,000
194ज	कमीशन या दलाली	5,000	15,000

सारणी 4- अधिनियम की संबंधित धाराओं में उल्लेखित विभिन्न संदायों के स्रोत पर कर की कटौती की आरंभिक सीमा का पुनरीक्षण

वर्तमान धारा	शीर्ष	टी डी एस की विद्यमान दर (%)	टी डी एस की प्रस्तावित दर (%)
194घक	जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय	2%	1%
194डड	राष्ट्रीय बचत स्कीम निक्षेपों के संबंध में संदाय	20%	10%
194घ	बीमा कमीशन	प्रवृत्त दर (10%)	5%
194छ	लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन	10%	5%
194ज	कमीश या दलाली	10%	5%

निम्नलिखित उपबंध जो प्रवर्तन में नहीं है सारणी 5 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार लोप किये जाने प्रस्तावित है।

सारणी 5- संदायों का स्रोत पर कर की कटौती की परिधि से बाहर होना

वर्तमान धारा	शीर्ष	प्रस्ताव
194ट	यूनिटों की बाबत आय	1-6-2016 से लोप किया जाएगा
194वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	1-6-2016 से लोप किया जाएगा

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 72 से 79]

किराए संबंधी संदायों के लिए प्ररूप 15छ/15ज का फाइल करने में समर्थ होना

अधिनियम की धारा 194झ का उपबंध, अन्य बातों के साथ, आरंभिक सीमा से ऊपर किराए के रूप में संदायों के लिए (टीडीएस) स्रोत पर कर कटौती के लिए उपबंध करती है। विद्यमान उपबंध इस धारा के अधीन कर की कटौती के लिए प्रति वित्तीय वर्ष के लिए 1,80,000 रु. की आरंभिक सीमा का

उपबंध करते हैं। इस धारा के अधीन कर कटौती की आरंभिक सीमा को उच्चतर करने का उपबंध करने के बावजूद ऐसे मामले होते हैं जहां प्राप्तकर्ता की कुल आय पर संदेय कर जिसमें संदत्त किराया भी शामिल है, शून्य होगा। आय-कर अधिनियम की धारा 197क के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि यदि उन कतिपय संदायों के प्राप्तकर्ता द्वारा, जिस पर कर कटौती योग्य है, संदायकर्ता को प्ररूप सं. 15छ/15ज में विहित स्वतः घोषणा, यह घोषणा करते हुए कि संबंधित पूर्ववर्ती वर्ष की उसकी कुल अनुमानित आय पर कर शून्य होगा, प्रस्तुत किया गया है, कर की कटौती नहीं होगी। ऐसे मामलों में अनुपालन भार को कम करने के लिए धारा 194झ में निर्दिष्ट संदायों की प्राप्ति करने के लिए और धारा 197क के अनुसरण में स्रोत पर गैर-कटौती के लिए प्ररूप सं. 15छ/15ज में स्वतः घोषणा भरने के लिए भी पात्र बनाने हेतु धारा 197क के उपबंधों का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 84]

अचल संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण की तारीख को पूर्व निष्पादित करार के अधीन नियत किए गए विक्रय प्रतिफल की बाबत धारा 50 का सुव्यवस्थीकरण

धारा 50ग में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन किसी पूंजी आस्ति, जो भूमि है या भवन है या दोनों हैं, के अंतरण के मामले में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

आयकर सरलीकरण समिति (ऐश्वर समिति) ने अपनी पहली रिपोर्ट में यह इंगित किया है कि यह उपबंध वहां कोई राहत प्रदान नहीं करता, जहां विक्रेता ने अचल संपत्ति के अंतरण की वास्तविक तारीख से बहुत पहले संपत्ति के विक्रय का कोई करार किया है और ऐसे करार में विक्रय प्रतिफल तय है। इसी तरह के उपबंध धारा 43गक में पहले से ही विद्यमान है।

धारा 50ग के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्रतिफल की रकम नियत करने वाले करार की तारीख और पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं हो, वहां करार की तारीख को स्टांप शुल्क मूल्य को ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया जा सकेगा।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि उक्त उपबंध केवल उस मामले में लागू होगा, जहां उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम, या उसके किसी भाग का ऐसी अचल संपत्ति में अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पहले, किसी पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी बैंक खाते की मार्फत इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा भुगतान किया गया हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होने प्रस्तावित हैं और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 30]

सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के कंपनी के संपरिवर्तन का सुव्यवस्थीकरण

धारा 47के खण्ड (xiiख) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) में संपरिवर्तन, यदि कतिपय शर्तों को पूर्ण किया जाता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, यह शर्त भी शामिल है कि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से किसी में कंपनी की सकल प्राप्ति, आवर्त या कुल विक्रय साठ लाख रुपए से अधिक नहीं था, को अन्तरण के रूप में नहीं समझा जाएगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कर तटस्थता विद्यमान शर्तों के अतिरिक्त संपरिवर्तन का लाभ लेने के लिए, उस पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें संपरिवर्तन होता है, तीन पूर्ववर्ती वर्षों में से किसी वर्ष में कंपनी की लेखा बहियों से कुल आस्तियों का मूल्य पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

इन संशोधनों का 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 28]

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, पेंशन निधि और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के कर उपचार का सुव्यवस्थीकरण

आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 80गग में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए कर उपचार छूट, छूट और कर (ईईटी) होता है अर्थात् पेंशन संचयन चरण के दौरान मासिक/आवधिक अभिदानों को कर प्रयोजनों के लिए आय से अपवर्जित किया गया है; संचयन चरण के दौरान इन अभिदायों पर उत्पन्न विवरणियां भी कर से छूट प्राप्त हैं; तथापि, एकमुश्त निकासी राशि के रूप में निकास या अधिवाषिता संबंधी सेवाएं प्रसुविधाएं, व्यष्टिक अभिदाता या उसके ऐसी रकमों की प्राप्ति के वर्ष में उसके नामनिर्देशों के हाथों में करादेय है।

तथापि, सरकारी पेंशन, अधिवाषिता निधि का सरांशीकरण और बीमाविनियामक तथा विकास प्राधिकरण (ईराडा) द्वारा अनुमोदित योजनाएं कराधान से छूट प्राप्त हैं। मासिक संदाय, वार्षिक प्रोदभूत आय, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अग्रिमों/निकासी और अधिवाषिता पर मान्यताप्राप्त भविष्य निधि (आरपीएफ) से अन्तिम निकासी को भी ईईई प्रास्थिति अर्थात् छूट छूट छूट दी जाती है।

विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं, जिनमें एनपीएस तथा आरपीएफ भी हैं, के कर उपचार में अधिक समानता लाने के लिए, धारा 10 के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात किए गए अभिदायों के संबंध में निकासी पर ऐसे अभिदायों के कारण हुआ माना जा सकने वाला संचायित अतिशेष का 40% तक कर से छूट प्राप्त होगा।

धारा 80गगघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी कर्मचारी को पेंशन स्कीम के बंद होने या उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम जोड़ने के कारण पेंशन प्रणाली न्यास से कोई संदाय कर से प्रभाय है।

धारा 10 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम की समाप्ति या उसके छोड़ जाने के कारण किसी कर्मचारी का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई संदाय कर से छूट प्राप्त होगा। तथापि, नामनिर्देशिती द्वारा निर्धारिती की मृत्यु पर प्राप्त संपूर्ण रकम, कर से छूट प्राप्त होगी।

धारा 17 के अधीन, परिलब्धि के अन्तर्गत निर्धारिती के पास नियोजक द्वारा अनुमोदित अधिवाषिता निधि में एक लाख रुपए से अधिक के किसी अभिदाय की रकम सम्मिलित हैं।

आयकर की चौथी अनुसूची के भाग क के अधीन किसी भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के प्रत्यय में नियोजक द्वारा किए गए अभिदान, जो कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत से अधिक है, कर्मचारी के हाथ में कर से प्रभाय है। तथापि, नियोजक द्वारा किये गये संदाय के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं है यद्यपि कर्मचारी के अभिदाय के लिए मौद्रिक अधिकतम सीमा है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नियोजक के अभिदाय को सीमा को उस पर कर लागू किए बिना एक लाख पचास हजार रुपए तक बढ़ाया जा सके।

व्यक्ति को राहत प्रदान करने की दृष्टि से, उक्त अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नियोजक द्वारा ऐसे संदाय में एक लाख पचास हजार रुपए की अधिकतम सीमा का उपबंध किया जा सके। उक्त धारा और उक्त अनुसूची का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से एक मुश्त सुवाह्यता के लिए छूट का उपबंध किया जा सके।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात उसकी सेवानिवृत्ति या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके अक्षम हो जाने पर वार्षिकी के बदले या उसके संराशीकरण में कर्मचारी को अनुमादित अधिवर्षिता निधि से किए गए कोई संदाय कर से छूट प्राप्त है।

उक्त उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात किए गए अभिदाय में से क्रय की गई वार्षिकी के संराशीकरण में कोई संदाय जो वार्षिकी के चालीस प्रतिशत से अधिक है, कर से प्रभाय होगा।

(i) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में विद्यमान पेंशन निधि की एकमुश्त कर तटस्थ सुवाह्यता का उपबंध करने की दृष्टि से एक छत के नीचे लाने के लिए, उक्त धारा का संशोधन प्रस्तावित किया गया है जिससे कि किसी मान्यता प्राप्त प्रावविडेड निधि से किसी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में एकमुश्त कर तटस्थ छूट का उपबंध किया जा सके।

(ii) धारा 10 के खंड (13) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80गगघ में निर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में अंतरण के रूप में अनुमादित अधिवर्षिता निधि से कोई संदाय कर से छूट प्राप्त होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी बनाए जाने का प्रस्ताव करता है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7,9,36 और 112]

आय की विवरणी फाइल करना

धारा 139 की उपधारा (1) का विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा। उक्त धारा का छठा परंतुक यह उपबंध करता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक या अध्याय 6क के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से, जो आय-कर से प्रभाय नहीं है, अधिक हो जाती है तो वह नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की एक विवरणी विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित, उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, देगा।

धारा 139 की उपधारा (4) का विद्यमान उपबंध यह और उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अधीन अनुज्ञात समय के अंदर विवरणी नहीं दी है या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में अनुज्ञात समय के भीतर किसी पूर्ववर्ष के लिए विवरणी, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय दे सकेगा।

धारा 139 की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में, विवरणी देने के पश्चात् उसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता लगता है तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय संशोधित विवरणी दे सकेगा।

धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण का खंड (कक) यह उपबंध करता है कि आय की विवरणी त्रुटिपूर्ण समझी जाएगी यदि धारा 140क के उपबंधों के अनुसार स्वनिर्धारण कर, ब्याज सहित, यदि कोई हो, विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व संदत्त नहीं कर दिया गया है।

विवरणी को फाइल करने, कार्यवाही को पूरा करने तथा करदाता पर भार के अनुपालन के अधीन बिना राजस्व के सुव्यवस्थीकरण तथा अनुपालन के संवर्धन और प्रोन्नयन करने, अधिनियम के उपरोक्त उपबंधों का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 139 की उपधारा (1) के छठे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के खंड (38) के अधीन आय अर्जित करता है और ऐसी आय उस अधिकतम रकम से, जो उसके मामले में कर से प्रभाय नहीं है, अधिक हो जाती है, पूर्व वर्ष के लिए विहित प्ररूप में विवरणी फाइल करने और उसे विहित रीति में सत्यापित करने के लिए भी दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन उसे अनुज्ञात समय के भीतर कोई विवरणी नहीं दी है, किसी पूर्व वर्ष के लिए विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत के पूर्व या निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी समय दे सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके, यदि किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् इसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता लगता है, तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण वर्ष पूरा होने के पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय संशोधित विवरणी दे सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) का इस कारण से लोप करने का प्रस्ताव है कि कोई विवरणी, जो अन्यथा विधिमान्य है, मात्र इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं समझी जाएगी कि धारा 140क के उपबंधों के अनुसार निर्धारण कर, ब्याज सहित, विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व संदत्त नहीं किया गया है।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 और पश्चातवर्ती वर्षों की बाबत लागू होंगे।

[खंड 65]

निर्धारण के पूर्व धारा 143 (1) के अधीन कार्यवाहियों का आज्ञापक होना

उक्त धारा 143 की उपधारा (1घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन विवरणी पर कार्यवाही करना वहां आवश्यक नहीं है, जहां उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है।

उक्त धारा की उपधारा (1घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई निर्धारण करने से पूर्व अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी पर कार्यवाही की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 66]

निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना के लिए समयसीमा का सुव्यवस्थीकरण

निर्धारण कार्यवाहियां पूरी करने की विद्यमान कानूनी समय सीमा ऐसे निर्धारण वर्ष के अन्त से, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय है, दो वर्ष है। यह वांछनीय है कि अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को शीघ्रता से अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि विभाग के भीतर अंकीकरण प्रक्रिया होने से कार्यभार के निर्वहन में दक्षता की वृद्धि होती है। प्रतिधारण द्वारा विद्यमान धारा 153 के उपबंध को सरल बनाने के क्रम से केवल उन उपबंधों को, जो अधिनियम के वर्तमान उपबंधों से सुसंगत है, विद्यमान समय सीमा में निम्नलिखित परिवर्तन करके समय सीमा को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

- (i) (क) धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण पूरा किए जाने की अवधि उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय हुई थी, विद्यमान दो वर्ष से परिवर्तित करके इक्कीस मास की जाए ;
- (ii) (ख) धारा 147 के अधीन निर्धारण पूरा किए जाने की अवधि उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 148 के अधीन सूचना तामील की गई थी, विद्यमान एक वर्ष से परिवर्तित करके नौ मास की जाए ;
- (iii) धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के आदेश के अनुसरण से नए सिरे से निर्धारण के पूरा किए जाने की अवधि को धारा उस वित्तीय वर्ष में अंत से, जिससे धारा 254 के अधीन आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है अथवा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया जाता है, विद्यमान एक वर्ष की अवधि को अपारत या रद्द करके नौ मास की जाए।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव और है कि उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई नया निर्धारण या पुनः निर्धारण करने से भिन्न धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश को पूर्णतः या भागतः प्रभावी बनाया जाना है वहां ऐसे आदेश को उस मास के अंत से जिसमें, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 250 या धारा 254 या धारा 262 के अधीन आदेश प्राप्त किया गया था या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया था, तीन मास की अवधि के भीतर प्रभावी बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव भी है कि उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी के लिए, उसके नियंत्रण से परे कारणों से, पूर्वोक्त समय के भीतर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाना संभव नहीं है वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी से लिखित में ऐसे कारणों की प्राप्ति पर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए छह मास का अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा। तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित मामलों के संबंध में, ऐसे आदेश को जारी करने के लिए समय सीमा 31.3.2017 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

यह भी प्रस्ताव है कि जहां धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 और धारा 264 के अधीन किसी आदेश या आय-कर अधिनियम के अधीन अपील या निर्देश के रूप में किए जाने से भिन्न कार्यवाही में किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में या उसमें अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश को प्रभावी बनाने के लिए किसी निर्धारिती या किसी व्यक्ति पर निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना की जाती है, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा। तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित मामले हेतु, अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के लिए समय सीमा 31.3.2017 तक अथवा उस मास की, जिसमें ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है, समाप्ति से बारह मास, जो भी बाद में हो, किए जाने का प्रस्ताव है।

यह प्रस्ताव भी है कि उस फर्म की दशा में, जहां धारा 147 के अधीन फर्म पर किए गए किसी निर्धारण के परिणामस्वरूप फर्म के किसी भागीदार पर निर्धारण किया जाता है वहां उस मास के अंत से, जिसमें फर्म के मामले में निर्धारण आदेश पारित किया गया है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा। तथापि, 1 जून, 2016 को लंबित मामले हेतु, अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के लिए समय सीमा 31.3.2017 तक अथवा उस मास की, जिसमें फर्म की दशा में ऐसा आदेश पारित हुआ है, समाप्ति से बारह मास, जो भी बाद में हो, किए जाने का प्रस्ताव है।

धारा 92क की उपधारा (3क) में संशोधन द्वारा कतिपय मामले में अंतरण कीमत अधिकारी द्वारा निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण के समायोजन के लिए समयसीमा में पारिणामिक परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है।

धारा 153 के उपबंध, जैसे वे वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अपने संशोधन करने से पूर्व बने रहते हैं, 1 जून 2016 से पूर्व निर्धारण, पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संगणना के किसी आदेश के संबंध में लागू होंगे।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से लागू होंगे।

[खंड 68]

तलाशी के मामले में निर्धारण के लिए समय सीमा का सुदृढीकरण

धारा 153क या धारा 153ग के अधीन किए गए निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय सीमा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसे अन्य मामलों के लिए उपबंधित नई समय सीमाओं के समक्रमिक लाया जा सके। निम्न लिखित परिवर्तनों को धारा 153ख में उपबंधित समय सीमाओं में तदनुसार प्रस्तावित किया गया है:

(i) धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में और उस पूर्ववर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, के संबंध में धारा 153क के अधीन निर्धारण

को पूरा किए जाने की सीमा उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए, या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में अन्तिमबार प्राधिकार निष्पादित किया था, के अन्त से विद्यमान दो वर्ष से बदलकर इक्कीस मास की जाए।

(ii) धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यष्टित के मामले में निर्धारण पूरा किए जाने के लिए परिसीमा विद्यमान दो वर्षों से परिवर्तित करके उस वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अन्तिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, इक्कीस मास या उस वित्तीय वर्ष के अन्त से, जिसमें अभिहित अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को धारा 153ग के अधीन सौंपी गई है, नौ मास की, इसमें जो भी पश्चात्पूर्ती हो, होगी।

विद्यमान धारा 153ख के स्थान पर एक नई धारा उसके सरलीकरण के लिए प्रतिस्थापित की गई है। तथापि, धारा 153 के उपबंध, जैसे वे वित्त अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से पूर्व थे, 1 जून, 2016 से पहले किए गए निर्धारण, पुननिर्धारण या पुनः संगणना के किसी आदेश को आगे उसके संबंध में लागू होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि धारा 234ग के अधीन ब्याज, निर्धारित पहली बार के लिए लाभ और अभिलाभ के कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए से आय पर प्रभावी नहीं होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 69]

धारा 211 और धारा 234ग के अधीन ब्याज का प्रभार्य के अधीन अग्रिम कर संदाय अनुसूची का सुव्यवस्थीकरण और धारा 234ज के अधीन ब्याज का प्रभारण

धारा 211 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, वर्तमान आय पर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक संदेय कर कंपनी के लिए अग्रिम कर संदाय अनुसूची क्रमशः पन्द्रह प्रतिशत, पैंतालिस प्रतिशत, पचहत्तर प्रतिशत और शत प्रतिशत है। अन्य निर्धारितियों के लिए अग्रिम कर संदाय, अनुसूची 15 सितंबर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च तक वर्तमान आय पर संदेय कर क्रमशः तीस प्रतिशत, साठ प्रतिशत और शत प्रतिशत है।

व्यय प्रबंध आयोग की सिफारिशों के आधार पर अग्रिम कर संदाय के लिए अनुसूची को सुव्यवस्थित करने और निगम कर तथा व्यक्तिक आयकर के लिए वैसी ही अग्रिम कर अनुसूची विहित करने का प्रस्ताव है। अब, अधिकांश अग्रिम कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किया जाता है। इस अधिसूचना से अनुपालन का अनुचित बोझ नहीं पड़ेगा और अधिक शुद्धता के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहणों की भविष्यवाणी करने की सुकर बनाएगी।

यह और प्रस्ताव है कि उपधारणात्मक आधार पर कारबार के लाभों या अभिलाभों की संगणना के लिए विकल्प लेने वाले धारा 44घ में निर्दिष्ट पात्र कारबार की बाबत पात्र निर्धारित से वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उसके पूर्व एक किस्त में संपूर्ण रकम के अग्रिम कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी।

धारा 243ग में पारिणामिक संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है जो धारा 211 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुरूप बनाने के लिए अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज की प्रभार्यता के लिए उपबंध करते हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 87 और 89]

प्रतिदाय पर ब्याज का संदाय

धारा 244क, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि ऐसा निर्धारित, जो स्रोत पर कटौती किए गए या संग्रहीत किए गए अग्रिम कर के अधिक संदाय के कारण उद्भूत प्रतिदाय पर ब्याज के लिए हकदार है। धारा यह भी उपबंध करती है कि ऐसी अवधि, जिसके लिए कर के ऐसे अधिक संदाय पर ब्याज संदत्त किया जाता है, निर्धारण वर्ष की पहली अप्रैल से आरंभ होती है और उस तारीख को समाप्त होती है, जिसको प्रतिदाय अनुदत्त किया जाता है।

देय तारीख के भीतर विवरणी फाइल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए धारा 244क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उन मामलों में, जहां विवरणी देय तारीख के पश्चात फाइल की जाती है, प्रतिदाय पर ब्याज के अनुदत्त करने की अवधि विवरणी फाइल करने की तारीख से आरंभ होगी।

औचित्य और साम्या के हित में, यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारित कर के संदाय या विवरणी के फाइल करने, जो भी बाद में हो, की तारीख से, उस तारीख तक जिसको प्रतिदाय अनुदत्त किया जाता है, से आरंभ होने वाली अवधि के लिए स्व-निर्धारण कर के प्रतिदाय पर ब्याज के लिए पात्र होगा। देय करों के संबंध प्राप्त संदायों के समायोजन के आदेश के अवधारण के प्रयोजन के लिए, पूर्व संदत्त कर अर्थात् स्रोत पर कर कटौती; स्रोत पर कर संग्रहण और अग्रिम कर, सबसे पहले समायोजित किया जाएगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां अपील प्रभाव के कारण प्रतिदाय उद्भूत होता है, धारा 153 की उपधारा (5) के अधीन विहित समय से परे विलंबित किया जा रहा है तो निर्धारित धारा 244क की उपधारा (1) के अधीन संदेय ब्याज के अतिरिक्त धारा 153 की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात अवधि के अवसान की पश्चात्पूर्ती तारीख से उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय मंजूर किया जाता है, आरंभ होने वाली अवधि के लिए तीन प्रतिशत प्रतिव, की दर पर परिकलित ऐसे प्रतिदाय की रकम पर अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 90]

अपील अधिकरण से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 252 की उपधारा (3) के विद्यमान खंड (ख), उपधारा (4क) और उपधारा (5) में अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष की नियुक्ति और शक्तियों के लिए उपबंध है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकरण में ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद संबद्ध न्यायोत्तर या प्रशासनिक कर्तव्यों या वेतनमान में कोई अन्तर नहीं है, "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष" के निर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है।

धारा 253 की उपधारा (2क) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि वह धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी किसी ऐसे निदेश पर आक्षेप करता है, जिसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण या पुनः निर्धारण को पूरा करने वाला, आदेश पारित किया है तो, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा।

इसके अतिरिक्त, धारा 253की उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको धारा 144ग की उपधारा (5) को अधीन डीआरपी के निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

सरकार के मुकदमेबाजी में कमी करने के लिए किए गए विनिश्चय के अनुसार, डीआरपी के आदेश के विरुद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील फाइल करने को समाप्त करने के लिए धारा 253 की उक्त उपधारा (2क) और उपधारा (3क) का लोप करने का प्रस्ताव है। उक्त परंतुक की उपधारा (3क) और उपधारा (4क) में भी पारिणामिक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

डीआरपी के आदेशों के विरुद्ध पहले से ही लंबित विभागीय अपीली की बाबत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें फीस का संदाय नहीं करने के कारण खारिज नहीं किया गया है, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उन मामलों में, जहां विभाग ने धारा 253 की उपधारा (2क), जैसी यह वित्त अधिनियम 2016 के संशोधन से पहले थी, के अधीन डीआरपी के निदेशों के विरुद्ध पहले ही अपील कर रखी है, वहां कोई फीस संदेय नहीं होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि अपील अधिकरण अपने आदेश में अभिलेख से प्रकट किसी भूल का सुधार, आदेश की तारीख से चार वर्ष के भीतर, किसी भी समय कर सकेगी।

आय-कर अपील अधिकरण के आदेश में निश्चितता लाने के क्रम में धारा 254 की उपधारा (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि अपील अधिकरण अपने आदेश में अभिलेख से प्रकट किसी भूल का सुधार, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश पारित किया गया था, छह मास के भीतर किसी भी समय कर सकेगा।

धारा 255 की उपधारा (3) का विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करता है कि एकल पीठ ऐसे मामले का निपटारा कर सकती है, जो ऐसे निर्धारित से संबंधित है, जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित कुल आय पन्द्रह लाख रुपए से अनधिक है।

आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए धनीय सीमा में हाल में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा आय-कर अपील अधिकरण के स्तर पर विवाद समझौते की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपधारा (3) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एकल पीठ ऐसे मामले का निपटारा कर सकती है जो ऐसे निर्धारित से संबंधित है, जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित कुल आय पच्चीस लाख रुपए से अनधिक है।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे।

[खंड 92 से 95]

शास्ति उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय की विशिष्टियां छिपाने या आय की अयथार्थ विशिष्टियां प्रस्तुत करने के कारण आय कर अधिनियम की धारा 271(1) (ग) के अधीन शास्ति उद्ग्रहणीय है। शास्ति उपबंधों को सुव्यवस्थित करने, वस्तुनिष्ठता, निश्चितता और स्पष्टता लाने के लिए यह प्रस्तावित है कि धारा 271, 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के लिए किसी निर्धारण को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी और शास्ति 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित नई धारा 270क के अधीन उद्ग्रहीत की जाएगी। नई धारा 270क आय की कम रिपोर्ट करने या गलत रिपोर्ट करने के मामलों में शास्ति के उद्ग्रहण का उपबंध करती है।

प्रस्तावित नई धारा 270क की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी, आयुक्त (अपील) या प्रधान आयुक्त या आयुक्त शास्ति का उद्ग्रहण कर सकेगा, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय की कम रिपोर्ट की है।

यह प्रस्तावित है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय की कम रिपोर्ट करना समझा जाएगा यदि, —

- (क) निर्धारित आय धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रक्रियागत विवरणी में अवधारित आय से अधिक है;
- (ख) जहां आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है, निर्धारित आय, ऐसी अधिकतम रकम से, जो कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक है;
- (ग) पुनः निर्धारित आय, ऐसे पुनः निर्धारण के तुरन्त पूर्व निर्धारित या पुनःनिर्धारित आय से अधिक है;
- (घ) यथास्थिति, धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अनुसार निर्धारित या पुनः निर्धारित समझी गई कुल आय की रकम, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रक्रियागत विवरणी में अवधारित समझी गई कुल आय से अधिक है;
- (ङ) जहां आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अनुसार निर्धारित समझी गई कुल आय की रकम, ऐसी अधिकतम रकम से, जो कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक है;
- (च) निर्धारित या पुनःनिर्धारित आय का प्रभाव हानि कम करने वाला या ऐसी हानि को आय में संपरिवर्तित करने वाला है।

आय कर रिपोर्ट करने की रकम को विभिन्न विधियों में संगणित किया जाना प्रस्तावित है, जैसा कि यहां चर्चा की गई है। ऐसे मामले में जहां विवरणी प्रस्तुत की गई है और निर्धारण प्रथम बार किया गया है, सभी व्यक्तियों की दशा में, आय की कम रिपोर्ट की गई रकम, निर्धारित रकम और धारा 143(1)(क) के अधीन अवधारित आय के बीच का अंतर होगी। ऐसे मामले में जहां विवरणी फाइल नहीं की गई है और विवरणी प्रथम बार प्रस्तुत की गई है, आय की कम रिपोर्ट की गई रकम निम्नलिखित होना प्रस्तावित है:—

- (i) किसी कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी के लिए, निर्धारित आय;
- (ii) कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी के लिए, निर्धारित आय और अधिकतम रकम, जो कर से प्रभार्य नहीं है, के बीच का अन्तर।

ऐसे व्यक्ति की दशा में, जहां आय का निर्धारण प्रथम बार नहीं किया गया है, आय की कम रिपोर्ट की गई रकम, ऐसे क्रम में निर्धारित या अवधारित आय और ऐसे क्रम से तुरंत पूर्ववर्ती निर्धारित या अवधारित आय के बीच का अंतर, होगी।

यह और प्रस्तावित है कि जहां कम रिपोर्ट की गई आय, धारा 115जख या धारा 115जग के उपबंधों के अनुसार समझी गई कुल आय से उत्पन्न होती है, वहां कम रिपोर्ट की गई कुल आय की रकम को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा:—

(अ-आ)+(इ-ई),

जहां

अ = धारा 115जख या धारा 115जग (जिन्हें साधारण उपबंध कहा गया है) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय है;

आ= ऐसी कुल आय है जो प्रभार्य होती, यदि साधारण उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय कम रिपोर्ट की गई आय से कम हो जाती;

इ= धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय है;

ई= ऐसी कुल आय है जो प्रभार्य होती, यदि धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय, कम रिपोर्ट की गई आय की रकम से कम हो जाती।

तथापि, किसी भी विषय पर जहां आय की, कम रिपोर्ट की गई रकम पर धारा 115जख या धारा 115जग में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा साधारण उपबंधों, दोनों, के अधीन विचार किया जाता है, वहां ऐसी रकम, मद ई के अधीन रकम का अवधारण करते समय निर्धारित कुल रकम से कम नहीं होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले में, जहां किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण का प्रभाव विवरणी में घोषित हानि को कम करना है या ऐसी हानि को आय में संपरिवर्तित करना है, वहां आय की कम रिपोर्ट की गई रकम, दावा की गई हानि और, यथास्थिति, निर्धारित या पुनः निर्धारित, आय या हानि के बीच का अंतर होगी।

ऐसे मामले में, जहां किसी प्राप्ति, निक्षेप या विनिधान के स्रोत की कम रिपोर्ट की गई आय की संगणना पूर्वतर वर्ष से जुड़ी हुई है, विद्यमान धारा 271(1) के स्पष्टीकरण 2 पर आधारित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

यह भी प्रस्तावित है कि इस धारा के अधीन कम रिपोर्ट की गई आय में निम्नलिखित मामले सम्मिलित नहीं होंगे—

(i) जहां निर्धारिती किसी स्पष्टीकरण की प्रस्थापना करता है और आय-कर प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि स्पष्टीकरण सद्भाविक है और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया गया है;

(ii) जहां ऐसी कम रिपोर्ट की गई आय किसी प्राक्कलन के आधार पर अवधारित की जाती है, यदि लेखे सही और पूर्ण हैं किंतु नियोजित की गई पद्धति ऐसी है कि आय की कटौती उससे उचित रूप से नहीं की जा सकती;

(iii) जहां निर्धारिती ने मुद्दे पर स्वप्रेरणा से परिवर्धन या मोक न की गई रकम को कम प्राक्कलित किया है और अपनी आय की संगणना में ऐसी रकम को सम्मिलित किया है और परिवर्धन और मोक न किए जाने के सभी तात्त्विक तथ्यों का प्रकटन किया है;

(iv) जहां निर्धारिती ने धारा 22घ के अधीन यथा विहित जानकारी और दस्तावेजों का रखरखाव किया था वहां अध्याय 10 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों को घोषित किया और संव्यवहार से संबंधित सभी तात्त्विक तथ्यों का प्रकट किया है;

(v) जहां तलाशी प्रचालन के कारण अप्रकटित आय और शास्ति धारा 271ककख के अधीन उद्गृहणीय है।

यह प्रस्ताव है कि शास्ति की दर कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर का पचास प्रतिशत होगी। तथापि, उस मामले में जहां आय का कम रिपोर्ट किया जाना निर्धारिती द्वारा आय के गलत रिपोर्ट किए जाने का परिणाम है वहां व्यक्ति ऐसी मिथ्या रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत की दर पर शास्ति के लिए दायी होगा। आय की मिथ्या रिपोर्ट के मामले निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किए गए हैं:

(i) तथ्यों का दुर्व्यपदेशन या उनका छिपाना;

(ii) खाता बहियों में विनिधान का अभिलेख न किया जाना;

(iii) ऐसे व्यय का दावा करना जो साक्ष्य द्वारा साबित नहीं है;

(iv) खाता बहियों में मिथ्या प्रविष्टि का अभिलेखन;

(v) ऐसी लेखा बहियों जिन पर कुल आय उल्लिखित है, में किसी प्राप्ति को अभिलिखित करने की असफलता;

(vi) अध्याय 10 के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या समझे गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार को रिपोर्ट करने में असफलता।

यह भी प्रस्ताव है कि कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय रकम इस प्रकार संगणित किया जाएगा कि मानो कम रिपोर्ट की गई आय कुल आय है। किसी अन्य मामले में संदेय कर कम रिपोर्ट की गई आय का तीस प्रतिशत होगी।

यह भी प्रस्ताव है कि रकम का कोई परिवर्धन या मोक न किया जाना शास्ति के अधिरोपण के लिए आधार बनाएगा, यदि ऐसा परिवर्धन या मोक न किए जाने से उसी वर्ष या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए व्यक्ति के मामले में शास्ति के अधिरोपण का आधार बनाया गया है। उक्त धारा के अधीन शास्ति लिखित में आदेश द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। नई अन्तःस्थापित धारा 270क के संदर्भ का उपबंध करने के लिए धारा 119, धारा 253, धारा 271क, धारा 271कक, धारा 271ककख, धारा 273क और धारा 279 में पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

(खंड)

धारा 270क के उपबंधों को उदाहरण द्वारा निम्न रूप से उद्धृत किया गया है
उदाहरण 1-मामला ऐसी फर्म का है, जो 30 प्रतिशत की दर से कर से दायी है :

	(आंकड़े लाख रुपए में)
विवरणी की कुल आय	100
धारा 143(1)(क) के अधीन अवधारित कुल आय	110
धारा 143(3) के अधीन निर्धारित कुल आय	150
धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारित कुल आय	180

यह विचार करते हुए कि निर्धारण या पुनःनिर्धारण में यथा उपरोक्त की गई कोई वृद्धि या मोक न की गई, धारा 270क की उपधारा (6) के अधीन अर्ह नहीं है, शास्ति निम्नलिखित रूप से संगणित की जाएगी :

	धारा 143(3) के अधीन निर्धारण	धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण
कम रिपोर्ट की गई आय	(150-110)= 40	(180-150)= 30
कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर	40 का 30% = (12)	30 का 30% =9
उद्ग्रहणीय शास्ति*	12 का 50% = 6	9 का 50% = 4.5

* इस बात पर विचार करते हुए कि कम रिपोर्ट की गई आय, मिथ्या रिपोर्ट के कारण नहीं है

उदाहरण 2- मामला 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का है और आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है :

(आंकड़े लाख रुपए में)

धारा 143(3) के अधीन अवधारित कुल आय	10,00,000
कम रिपोर्ट की गई आय	10,00,000-2,50,000* = 7,50,000
कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर	7,50,000 का 30% =2,25,000
उद्ग्रहणीय शास्ति**	2,25,000 का 50% = 1,12,500

*अधिकतम रकम, जो कर से प्रभार्य नहीं है, होने के कारण

** इस बात पर विचार करते हुए कि कम रिपोर्ट की गई आय, मिथ्या रिपोर्ट के कारण नहीं है

उदाहरण 3-मामला ऐसी कंपनी का है, जो 30 प्रतिशत की दर से कर से दायी है :

(आंकड़े लाख रुपए में)

विवरणी कुल आय (हानि)	(-)110
धारा 143(1)(क) के अधीन अवधारित कुल आय	(-)90
धारा 143(3) के अधीन निर्धारित कुल आय	(-)40
धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारित कुल आय	20

यह विचार करते हुए कि निर्धारण या पुनःनिर्धारण में यथा उपरोक्त की गई कोई वृद्धि या मोक न की गई धारा 270क की उपधारा (6) के अधीन अर्ह नहीं है, शास्ति निम्नलिखित रूप से संगणित की जाएगी :

	धारा 143(3) के अधीन निर्धारण	धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण
कम रिपोर्ट की गई आय	(-)40 घटा (-)90=50	20 घटा (-)40 60
कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर	50 का 30% =15	60 का 30% =18
उद्ग्रहणीय शास्ति*	15 का 50% =7.5	18 का 50% =9

* इस बात पर विचार करते हुए कि कम रिपोर्ट की गई आय, मिथ्या रिपोर्ट के कारण नहीं है

[खंड 62, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 104 ओर 107]

धारा 271ककख का संशोधन

धारा 271ककख की उपधारा (1) के खंड (ग) का विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि ऐसे मामले में जो धारा 271ककख की उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसी राशि की शास्ति जो तीस प्रतिशत से कम नहीं होगी किंतु जो विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय का नब्बे प्रतिशत से अनधिक होगी, उस मामले में उद्गृहीत की जाएगी जहां तलाशी 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है।

शास्ति की दर को सुव्यवस्थित करने और विवेकाधिकार को कम करने के लिए साठ प्रतिशत की समान दर पर ऐसी अप्रकटित आय पर शास्ति के उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए धारा 271ककख की उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

[खंड 101]

धारा 272क का संशोधन

उपधारा (1) का विद्यमान उपबंध आय-कर अधिनियम के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने की प्रत्येक असफलता या व्यतिक्रम, आय-कर अधिनियम के अधीन कार्रवाई के दौरान विधिक रूप से अपेक्षित किसी विवरण को हस्ताक्षर करने से इन्कार या आय-कर अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार साक्ष्य देने के लिए या बहियां या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पेश होने में असफलता के लिए दस हजार रुपए की शास्ति के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है।

धारा 272क की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना का अनुपालन करने में प्रत्येक व्यतिक्रम या असफलता या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए निदेश का अनुपालन करने में असफलता के लिए दस हजार रुपए की शास्ति के उद्ग्रहण को और सम्मिलित किया जा सके। आयकर अधिनियम में धारा 272क की उपधारा (1) के नए खण्ड (घ) जिसमें निर्दिष्ट सूचना और निदेशों का अनुपालन करने में असफल होने पर शास्ति से संबंधित है के अंतर्स्थापन द्वारा धारा 288 का पारिणामिक संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है।

यह उपबंध करने के लिए धारा 272क की उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि ऊपर निर्दिष्ट असफलता के मामले में शास्ति ऐसा नोटिस या निदेश जारी करने वाले आय-कर प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत की जाएगी।

पारिणामिक संशोधन

हाल ही में अंतःस्थापित धारा 277क के प्रति निर्देश का उपबंध करने के लिए धारा 119, धारा 253, धारा 271क, धारा 271कक, 271ककख, धारा 273क और धारा 279 में पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

सूचनाओं और उनमें विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (1) में एक नया खंड अंतःस्थापित करके धारा 288 में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 103 और 111]

धारा 281ख के अधीन बैंक गारंटी के लिए उपबंध

धारा 281ख के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्रवाइयों की लंबित रहने के दौरान उसमें विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों के अनुमोदन से छह मास की अवधि के लिए निर्धारिती की किसी संपत्ति को अंतिम रूप से कुर्की कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि राजस्व के हितों के संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। संपत्ति की ऐसी कुर्की निर्धारण आदेश की तारीख के पश्चात् दो वर्ष या साठ दिन, जो भी बाद में हो, की अधिकतम अवधि तक विस्तारणीय है।

आय-कर सरलीकरण समिति (ऐश्वर समिति) ने यह सिफारिश की है कि संपत्ति की अनंतिम कुर्की कतिपय शर्तों के पूरा करने के अध्याधीन बैंक गारंटी द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती थी। इस सिफारिश पर विचार करने पर यह प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी उस मामले में जहां निर्धारिती ने ऐसी अनंतिम रूप से कुर्की की गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अन्यून रकम के लिए या संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम रकम के लिए जो राजस्व के हितों की संरक्षा करने के लिए पर्याप्त है, किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, वहां पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन की गई संपत्ति की अनंतिम कुर्की को प्रतिसंहत कर सकेगा।

संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने में निर्धारण अधिकारी की सहायता करने के उद्देश्य से निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सकेगा जिससे ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को संपत्ति के प्राक्कलन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

समयबद्ध रीति में बैंक गारंटी के बदले संपत्ति की कुर्की का प्रतिसंहरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कुर्की प्रतिसंहत करने वाला आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी गारंटी की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर और उस मामले में जहां निर्देश मूल्यांकन अधिकारी को किया जाता है ऐसी गारंटी की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किया जाएगा।

यह और प्रस्ताव है कि जहां संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करने वाली मांग की सूचना निर्धारिती पर तामील की जाती है और निर्धारिती सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी उक्त रकम की वसूली करने के लिए पूर्णतः या भागतः बैंक गारंटी को प्रतिसंहत कर सकेगा ।

उस मामले में जहां निर्धारिती बैंक गारंटी को नवीकृत करने में असफल रहता है या ऐसी गारंटी की समाप्ति से पन्द्रह दिन पहले समाप रकम के लिए अनुसूचित बैंक से नई बैंक गारंटी करने में असफल रहता है वहां निर्धारण अधिकारी राजस्व के हित में, बैंक गारंटी को प्रतिसंहत कर सकेगा । बैंक गारंटी का अवलंब लेकर वसूल की गई रकम विद्यमान मांग के प्रति समायोजित की जाएगी जो संदेय है और शेष रकम यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसकी अपनी समनुषंगी या कोई ऐसा बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपने अभिकर्ता के रूप में ऐसे स्थान पर नियत करे जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का कार्यालय स्थित है, की शाखा में प्रधान आयुक्त या आयुक्त के वैयक्तिक निक्षेप लेखा में जमा की जाए ।

यह प्रस्ताव है कि उस मामले में जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि बैंक गारंटी राजस्व के हितों की संरक्षा करने के लिए अब और ज्यादा आवश्यक नहीं है तो वह उस बैंक गारंटी को तुरंत निर्मुक्त करेगा ।

अपील अधिकरण से संबंधित उपबंधों का सुवस्थीकरण, धारा 252 की उपधारा (3) का विद्यमान खण्ड ख, उपधारा (4क) और उपधारा (5) अपील अधिकरण के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की युक्ति और उसकी शक्तियों के लिए उपबंध करते हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिकरण में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद से संलग्न न्यायिकेतर या प्रशासनिक कर्तव्य या वेतनमान में अंतर नहीं है, "वरिष्ठ उपाध्यक्ष" के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

धारा 253 की उपधारा (2क) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त यदि वह धारा 144घ उपधारा 5 के अधीन विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का आक्षेप करता है, जिसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूरा करने का आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने के लिए निर्धारण अधिकारी को निदेश दे सकेगा ।

इसके अतिरिक्त धारा 253 की उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (2क) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख के साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी जिसको अपील जिसके विरुद्ध आदेश की मांग की गई है, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है ।

मुकद्दमेंबाजी को कम करने के लिए सरकार के निश्चय के अनुसार विवाद समाधान पैनल के आदेश के विरुद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील के फाइल किए जाने को खत्म करने के लिए धारा 253 की उक्त उपधारा (2क) और उक्त उपधारा (3क) का लोप करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। उक्त उपबंध की उपधारा (3क) और उपधारा (4) में पारिणामिक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

विवाद समाधान पैनल के आदेश के विरुद्ध पहले से ही लंबित विभागीय अपीलों के संबंध में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन्हें फीस की संदाय न किए जाने के कारण खारिज नहीं किया जाता है, ये उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उन मामलों में जहां विभाग पहले से ही धारा 253 (जैसी की वह वित्त अधिनियम, 2016 के संशोधन से पूर्व विद्यमान थी) कि उपधारा (2क) अधीन विवाद समाधान पैनल के निदेशों के विरुद्ध अपील में है, वहां कोई फीस संदेह नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जुलाई 2012 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि अपील अधिकरण आदेश की तारीख से चार वर्ष के भीतर किसी भी समय अपने आदेश में अभिलेख से स्पष्ट किसी गल्ती का सुधार कर सकेगा।

आयकर अपील अधिकरण के आदेश में निश्चितता लाने के लिए यह उपबंध करने के लिए धारा 254 की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अपील अधिकरण उस मास जिसमें आदेश पारित किया गया था, के अंत से 6 मास के भीतर किसी भी समय अपने आदेश में अभिलेख से स्पष्ट किसी गल्ती का सुधार कर सकेगा।

धारा 255 की उपधारा 3 का विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ साथ, यह उपबंध करता है कि एकल सदस्य न्यायपीठ किसी ऐसे मामले का निपटान कर सकेगी जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित कुल आय 15 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमा में हाल ही में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और आयकर अपील अधिकरण के स्तर पर विवाद समाधान की प्रक्रिया को त्वरित करने लिए उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि ये उपबंध किया जा सके कि एकल सदस्य न्यायपीठ मामले का वहां निपटान कर सकेगी जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित कुल आय 15 लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 108]

निर्धारण के पूर्व धारा 143 (1) के अधीन कार्यवाहियों का आज्ञापक होना

उक्त धारा 143 की उपधारा (1घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन विवरणी पर कार्यवाही करना वहां आवश्यक नहीं है, जहां उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है ।

उक्त धारा की उपधारा (1घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई निर्धारण करने से पूर्व अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी पर कार्यवाही की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-2018 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

कतिपय मामलों में अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के लिए समय-सीमा का विस्तार

विद्यमान उपबंधों के अनुसार, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी (अ.मू.अ.) को, उस तारीख से, जिसको निर्धारण करने की परिसीमा का अवसान होता है, साठ दिन पूर्व अपना आदेश पारित करना होता है। यह भी नोट कर लिया गया है कि कई बार अ.मू.अ. द्वारा असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए विदेशी अधिकारिताओं से सूचना की वांछ करना आवश्यक हो जाता है और कई बार अ.मू.अ. के समक्ष कार्यवाहियां किसी न्यायालय आदेश द्वारा रोकी जा सकती हैं।

धारा 92गक की उपधारा (3क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारण कार्यवाहियां किसी न्यायालय आदेश द्वारा रोकी जाती हैं या जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रतिनिर्देश किया गया है, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को आदेश करने के लिए उपलब्ध समय, उस समय को अपवर्जित करने के बाद, जिसके लिए, यथास्थिति, निर्धारण कार्यवाहियां रोकी गई हैं या जो समय सूचना प्राप्त करने के लिए लिया गया है, साठ दिन से कम है, तो ऐसा बचा हुआ समय साठ दिन से बढ़ा दिया जाएगा।

संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 46]

निर्धारण अधिकारियों की अधिकारिता की उपधारणा

विद्यमान धारा 124 की उपधारा (3) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति ऐसे मामले में निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता को प्रश्नगत करने का हकदार नहीं होगा, जिसमें उस तारीख से, जिसको उस पर धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक मास की समाप्ति के पश्चात् या निर्धारण पूरा होने के पश्चात् इनमें जो भी पूर्वतर हो, धारा 139 के अधीन विवरणी दी है। वर्तमान में यह उपबंध, धारा 153क या धारा 153ग, जो ऐसे मामले में निर्धारण से, जहां तलाशी और अधिग्रहण कर लिया गया है या ऐसे मामले से संबंधित दशाओं से संबंधित है, के अधीन जारी किए गए नोटिस को विशिष्ट रूप से निर्देश नहीं करती है। ऐसी घटनाएं जानकारी में आई हैं, जहां ऐसी दशाओं में अपीली प्रक्रम पर निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता को इस तथ्य के बावजूद प्रश्नगत किया गया है कि वह आदेश अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153क या धारा 153ग के अधीन पारित किया गया है, मामलों में अस्पष्टता को दूर करने के लिए विशिष्टतया यह उपबंध करने के लिए धारा 124 की उपधारा (3) के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है कि जहां

धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों का अधिग्रहण किया जाता है, वहां कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता को, उस तारीख से, जिस तारीख को उस पर धारा 153क की उपधारा (1) या धारा 153ग के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक मास की समाप्ति के पश्चात् या निर्धारण पूरा होने के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर हो, प्रश्नगत करने का हकदार नहीं होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 63]

इलेक्ट्रॉनिक, प्रक्रिया और क्षेत्र के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विधायी ढांचा

धारा 133ग के विद्यमान उपबंध विहित आय-कर प्राधिकारी के उसके कब्जे में की जानकारी सत्यापन के प्रयोजन हेतु जानकारी और दस्तावेज मांगने के लिए सूचना जारी करने के लिए सशक्त करते हैं।

इस प्रकार प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों के सत्यापन और विश्लेषण के विस्तार में की कार्यवाई के लिए पर्याप्त विधायी समर्थन का उपबंध करने के लिए धारा 133ग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है और निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, उपलब्ध कराया जाएगा।

यह इस प्रकार प्राप्त किसी जानकारी के आधार पर निर्धारित अधिकारी द्वारा मामले को पुनः खोलने का उपबंध करने हेतु धारा 147 के स्पष्टीकरण 2 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव करती है।

धारा 143 की उपधारा (1) का खंड (क) उपबंध करता है कि फाइल की गई विवरणी पर कार्यवाई की जा रही है तथा कुल आय या घाटा विवरणी में किसी गणितीय त्रुटि के स्थगन करने के पश्चात् अथवा त्रुटिपूर्ण दावे यदि ऐसे त्रुटिपूर्ण दावे विवरणी में किसी जानकारी से दृश्यमान होते हैं।

विभाग के पास उपलब्ध विवरणी और जानकारी के बीच को शीघ्रता से हटाने के लिए, समायोजन के क्षेत्र को विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। जिसे धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्न की कार्यवाहियों के समय किया जा सके। यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे समायोजन का विनिर्धारणकर्ता विनिर्धारणकर्ता के पूर्वक वर्षों की विवरणी विवरण 26 कज, प्ररूप 16 और प्ररूप 16क द्वारा फाइल की गई आडिट रिपोर्ट के प्ररूप में विभाग के पास उपलब्ध आंकड़े पर आधारित किया जा सके। तथापि, नैसर्गिक न्याय के हित में ऐसे समायोजन से पूर्व विनिधानकर्ता को सूचना दी जाएगी चाहे लिखित में या ऐसे स्थगन के प्रतिउत्तर के लिए उसे अपेक्षा करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दिया जाएगा। प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर, यदि कोई हो, ऐसे स्थगन को करने से पूर्व सम्यक विचार किया जाएगा। तथापि, ऐसी सूचना के मुद्दे की तीस दिन के भीतर कोई प्रतिउत्तर नहीं प्राप्त होता है, प्रक्रिया समायोजनों को जोड़ने से बाहर हो जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होगा।

[खंड 64, 67 और 66]

नई धारा 270कक के अन्तःस्थापन द्वारा कतिपय मामलों में शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति, धारा 270क के अधीन शास्ति के अधिरोपण और धारा 276ग के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए, निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, बशर्ते वह ऐसी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारण या पुनः निर्धारण के आदेश के अनुसार संदेय कर और ब्याज का सदांय कर देता है और ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं करता है। निर्धारित, ऐसा आवेदन, उस मास के अन्त से, जिसमें निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश प्राप्त किया जाता है, एक मास के भीतर, ऐसा आवेदन, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, कर सकेगा।

यह प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी, पूर्वोक्त शर्तों के पूरा करने पर तथा धारा 249 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपील फाइल करने की अवधि की समाप्ति के पश्चात् धारा 276ग के अधीन शास्ति और कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से उन्मुक्ति तब प्रदान कर देगा, यदि धारा 270क के अधीन शास्ति थी कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से प्रारम्भ नहीं की गई हैं; अर्थात्:-

- (क) तथ्यों का दुर्व्यपदेशन या उनका अधिक्रान्त किया जाना;
- (ख) लेखा बहियों में विनिधान का अभिलेख करने में असफलता;
- (ग) किसी साक्ष्य द्वारा व्यय के दावों का प्रस्तुत न करना;
- (घ) लेखा बहियों में किन्हीं त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि का अभिलेख किया जाना;
- (ङ) कुल आय वाली बहियों में किसी प्राप्ति के अभिलेख करने में असफलता या;
- (च) किसी अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार या अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार होने के रूप में समझा गया कोई संव्यवहार या कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार जिसको अध्याय 10 के उपबंध लागू होते हैं, की रिपोर्ट करने के असफलता।

यह प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी, ऐसे आवेदन का मंजूर या नामंजूर करने का आदेश, उस मास के अन्त से, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त किया गया है, एक मास के भीतर पारित करेगा। तथापि नैसर्गिक न्याय के हित में; निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन को नामंजूर करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

यह प्रस्ताव है कि उस दशा में जहां धारा 270कक के अधीन आदेश आवेदन को मंजूर करते हुए किया गया है वहां उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनः निर्धारण के आदेश के विरुद्ध, धारा 246क के अधीन कोई अपील या धारा 264 के अधीन पुनरीक्षा के लिए कोई आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।

धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (ख) में यह उपबंध है कि आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई अपील, किसी निर्धारण आदेश से सम्बंधित भाग की सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर की जानी है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति चाहने के लिए, आय-कर अधिनियम की धारा 270कक के अधीन कोई आवेदन करता है, तो उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है आरम्भ होने वाली तथा उस तारीख तक, जिसके आवेदन नामंजूर करने वाला आदेश निर्धारित को तामील किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि को पूर्वोक्त तीस दिन की अवधि की संगणना से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 97 और 91]

सीमाशुल्क

- टिप्पण:** (क) "आधारिक सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
 (ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
 (ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
 (घ) "निर्यात शुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
 (ङ) वर्गाकार कोष्ठकों [] में खंड संख्या वित्त विधेयक, 2016 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।

वित्त विधेयक, 2016 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन:

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2016 के खंड
1.	धारा 2 की उपधारा (43) का संशोधन किया जा रहा है जिससे विभाग के वास्तविक नियंत्रण के अधीन विनिर्दिष्ट माल के भंडारण को समर्थ बनाने के लिए भांडागारों के नए वर्ग को जोड़ा जा सके क्योंकि अन्य प्रकार के भांडागारों पर नियंत्रण केवल अभिलेख पर आधारित होगा।	[113]
2.	धारा 2 की उपधारा 45, जो "भांडागारण स्टेशन" को परिभाषित करती है, का लोप किया जा रहा है।	[113]
3.	अध्याय-3 के अध्याय शीर्ष का "भांडागारण स्टेशन" शब्द का लोप करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[114]
4.	धारा 9 का लोप किया जा रहा है।	[115]
5.	धारा 25 का संशोधन किया जा रहा है जिससे प्रकाशन करने की केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रचार और लोक संपर्क निदेशालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के विक्रय के लिए प्रस्थापना की अपेक्षा का लोप किया जा सके।	[116]
6.	धारा 28, धारा 47, धारा 51 और धारा 156 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि:— (क) ऐसे मामलों में, जिनमें कपट, तथ्यों को छिपाना जानबूझकर मिथ्याकथन करना आदि अन्तर्वलित नहीं है, परिसीमा की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया जा सके। (ख) आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं के लिए सीमा शुल्क के आस्थगित संदाय के लिए उपबंध किया जा सके।	[117], [118], [119], [135]
7.	धारा 53 का संशोधन किया जा रहा है जिससे बोर्ड को शुल्क के संदाय के बिना कतिपय माल और वाहन अभिवहन को अनुज्ञात करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।	[120]
8.	धारा 57 और धारा 58 का उप/सहायक आयुक्त के स्थान पर प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, अनुज्ञापन का उपबंध करने के प्रतिस्थापित किया जा रहा है।	[121], [122]
9.	नए वर्ग के ऐसे भांडागारों का, जिसको सतत् वास्तविक नियंत्रण की आवश्यकता है और जो ऐसे माल जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए, का भंडारण करने के लिए अनुज्ञप्त होगी, उपबंध करने के लिए नई धारा 58क अवस्थापित की जा रही है।	[122]
10.	नई धारा 58ख अतःस्थापित की जा रही है जिससे अनुज्ञप्तियों के रद्दकरण की प्रक्रिया, जो अनुज्ञापन का एक आवश्यक सहगामी कारक है, को विनियमित किया जा सके।	[122]
11.	आस्थगित भांडागारण शुल्क का लाभ लेने वाले आयातकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत भांडागारण बंधपत्रों को शास्ति करने वाली विद्यमान धारा 59 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे बंधपत्र की रकम को अंतर्वलित शुल्क के तिगुणा नियत किया जा सके और विहित किए गए अनुसार प्रतिभूति दी जा सके।	[123]

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2016 के खंड
12.	विद्यमान धारा 60 को सीमा शुल्क के स्टेशन से माल को हटवाने की तारीख तथा भांडागार में उसके निक्षेप को परिभाषित करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है।	[124]
13.	विद्यमान धारा 61 को निर्यातान्मुख उपक्रमों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्को, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्को, पोत निर्माण यार्डों और बंधपत्र के अधीन विनिर्माणकारी अन्य यूनितों द्वारा उपयोग किए गए सभी माल के लिए भांडागारण की अवधि को बढ़ाने के लिए, प्रधान आयुक्तों और आयुक्तों को एक बार में एक वर्ष तक भांडागारण अवधि को बढ़ाने के लिए सशक्त करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है।	[125]
14.	भांडागारित माल पर वास्तविक नियंत्रण से संबंधित धारा 62 का लोप किया जा रहा है चूंकि विभिन्न प्रवर्गों के भांडागारों को अनुज्ञापन देने और उन पर नियंत्रण करने संबंधी शर्तें धारा 57 धारा 58 और धारा 58क के अधीन उपबंध किया जा रहा है।	[126]
15.	भाटक और भांडागार प्रभारों के संदाय से संबंधित धारा 63 का सेवाओं के निजीकरण तथा मुक्त बाजार दरों के अवधारण जिसके पब्लिक सेक्टर की सुविधाओं द्वारा दरों का अवधारण भी है, को ध्यान में रखते हुए लोप किया जा रहा है।	[126]
16.	भांडागारित माल का व्यवहार करने वाले स्वामी के अधिकार से संबंधित विद्यमान धारा 64 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे इस धारा के अधीन विस्तारित सुविधाओं और अधिकारों को सुव्यवस्थित किया जा सके।	[127]
17.	धारा 65 का बंधपत्र के अधीन विनिर्माण सुविधाओं के पर्यवेक्षण के लिए सीमा शुल्क की फीस के संदाय को हटाने के लिए और ऐसी सुविधाओं को अनुज्ञप्त करने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सशक्त करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[128]
18.	धारा 68 का, धारा 63 के लोप के कारण भाटक और अन्य प्रभारों का लोप करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[129]
19.	धारा 69 का धारा 63 के लोप के कारण भाटक और अन्य प्रभारों का लोप करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[130]
20.	धारा 2 की उपधारा (18) में अन्तर्विष्ट परिभाषा के साथ संरेखित करने के लिए धारा 71 का संशोधन किया जा रहा है जिससे "निर्यात" शब्द के स्थान पर, "निर्यात करना" प्रतिस्थापित किया जा सके।	[131]
21.	धारा 72 को नमूनों के अनुचित रूप से हटाए जाने के बारे में खंड (ग) को हटाने के लिए संशोधित किया जा रहा है।	[132]
22.	धारा 73 का माल के स्वामित्व के अंतरण के मामले रद्दकरण बंधपत्र के लिए उपबंध करने हेतु संशोधित किया जा रहा है और इस प्रकार धारा 59 की उपधारा (5) के साथ संरेखित किया जाता है।	[133]
23.	नई धारा 73क का अन्तःस्थापन किया जा रहा है जिससे भांडागारित माल की अभिरक्षा और उत्तरदायित्वों, जिनमें भांडागारपालों के दायित्व भी हैं, के लिए उपबंध किया जा सके।	[134]
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 का संशोधन		
1.	धारा 8ग [चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति] का लोप करना।	[137]

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2016 के खंड	
शुल्क की दरों को प्रभावित न करने वाले संशोधन			
1.	कतिपय अध्यायों में नामपद्धति की सुमेलित प्रणाली में सम्पादकीय परिवर्तनों को पहली अनुसूचियों में समाविष्ट किया जा रहा जो 01.01.2017 से प्रभावी होंगे।	[]	
2.	(1) अध्याय 27 के अनुपूरक टिप्पण (ड) और टिप्पण (च) का संशोधन करने के लिए है जिससे: (क) उच्च गति डीजल (एचएडडी) के लिए आईएस:1460:2000 से आईएस:1460:2005 तक और (ख) हल्के डीजल तेल (एलडीओ) के लिए आईएस:1460 से आईएस:15770:2008 से संदर्भ को बदला जा सके; (2) "तान रोआ फैब्रिक अकर्तित" वर्णन सहित टैरिफ पंक्ति 5901 39 10 को टैरिफ पंक्ति 5801 37 11 [तान रोआ फैब्रिक 'इपंगल' अकर्तित वेलवेट मखमल वर्णन सहित] और 5801 37 19 [रोआ तान फैब्रिक 'इपिंगल' आकर्तित अन्य वर्णन सहित] के स्थान पर रखा जा सके। (3) सृजित प्रयोगशाला या विकसित प्रयोगशाला या मानव निर्मित या कल्चरी या संश्लिष्ट हीरा के लिए पृथक टैरिफ आधारों को विहित किया जा सके; (4) बेतार माइक्रोफोन से संबंधित टैरिफ आधार 8525 50 50 को हटाया जा सके।	[]	
शुल्क की दरों को प्रभावित करने वाले संशोधन			
		से	तक
	रबड़ की वस्तुएं		
3.	विनिर्दिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले प्राकृतिक लेटेक्स रबड़ वैलाटा	10%	20%
	धातु		
4.	प्राथमिक एल्यूमीनियम	5%	7.5%
5.	जस्ता मिश्रातु	5%	7.5%
	आभूषण		
6.	अनुकृति आभूषण	10%	15%
	नवीकरणीय ऊर्जा		
7.	औद्योगिक सौर जल तापक	7.5%	10%
	पूँजीमाल और उसके पुर्जे		
8.	अध्याय 84, अध्याय 85 और अध्याय-90 में 211 विनिर्दिष्ट टैरिफ पंक्तियों के लिए बीसीडी की टैरिफ दर में वृद्धि करना	7.5%	10%
	(क) 96 विनिर्दिष्ट टैरिफ पंक्तियों के लिए प्रभावी दरें बढ़ जाएंगी।	7.5%	10%
	(ख) 115 टैरिफ पंक्तियों के लिए प्रभावी दर बनाई रखी जाएगी।	7.5%	7.5%

ये संशोधन, जिनमें शुल्क दरों में परिवर्तन अन्तर्वलित हैं अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होंगे।

अन्य प्रस्ताव, जिनमें बीसीडी, सीवीडी, एसएडी और निर्यात शुल्क दरों में परिवर्तन अन्तर्वलित हैं।

क्र.सं.		बीसीडी/सीवीडी/एसएडी/निर्यात शुल्क	
		से	तक
	निर्यात शुल्क		
	अयस्क और सांद्र		
1	सूक्ष्म लौह अयस्क जिसमें एफई पदार्थ 58% से कम है। लौह अयस्क ढेले जिसमें एफई पदार्थ 58% से कम है।	10%	शून्य
2	लोह अयस्क ढेलें जिसमें एफई पदार्थ 58% से कम है	30%	शून्य
3	क्रोमियम अयस्क और सभी प्रकार के सांद्र	30%	शून्य
	आधारिक सीमा शुल्क		
	खाद्य प्रसंस्करण		
1	आवरण सहित काजू	शून्य	5%
2	शीत श्रृंखला जिसके अंतर्गत पूर्व शीतन यूनिट, पैक हाउस, छंटाई और ग्रेड लाईन और राईपनिंग चैम्बर है।	10%	5%
3	प्रशीतित आधान	10%	5%
	खनिज ईंधन और खनिज तेल		
4	कोयला, बिक्रेटस, अवाइड्स तथा कोयला से विनिर्मित वैसे ही ठोस ईंधन	2.5% / 10%	2.5%
5	लिग्नाइट चाहे संपिडित हो या नहीं जेट को छोड़कर	10%	2.5%
6	पीएट (पीएट लिटर भी है) चाहे संपिडित है या नहीं	10%	2.5%
7	कोयला का, निग्नाइट का या पीएट का कोक और अन्य अर्द्ध कोक चाहे संपिडित है या नहीं; रिटार्ट कार्बन	5% / 10%	5%
8	कोयला गैस, जल गैस, उत्पादक गैस और पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन से भिन्न वैसे ही गैसें	10%	5%
9	कोयला से, निग्नाइट से या पीएट से आसवित टार और अन्य खनिज टार चाहे निज्जलीकृत है या नहीं या आंशिक रूप से आसवित है या नहीं जिसमें पुनर्गठित टार भी है।	10%	5%
10	तेल और उच्च तापमान कोयला टार के सदृश उत्पादों के आसवन के अन्य उत्पाद जिनमें सुरभि संघटकों का भार गैर सुरभि संघटकों के भार से अधिक है	2.5 / 5 / 10%	2.5%
11	पिच और पिच कोक, जो कोयला टार जो अन्य खनिज टारों से अभिप्राप्त किया गया है।	5% / 10%	5%
	पेट्रोलियम खोज और उत्पादन		
12	पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति (पीईएल) के अधीन की गई हाइड्रोकार्बन गतिविधियों के खोज और उत्पादन के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित माल या 1 अप्रैल, 1999 से पूर्व खनन पट्टा (एमएल) जारी करना या नवीनीकरण करना	बीसीडी और सीवीडी लागू होगा	बीसीडी - शून्य सीवीडी - शून्य

क्र.सं.		बीसीडी/सीवीडी/एसएडी/निर्यात शुल्क	
		से	तक
	रसायन और पेट्रोरसायनिक		
13	सभी अचक्रिय: हाइड्रोकार्बन और सभी अचक्रिय हाइड्रोकार्बन (पैसा जाईलीन जिस पर शून्य बीसीडी लागू होती है और स्टाईरीन जिसपर 2 प्रतिशत बीसीडी लागू होती है।)	5 / 2.5%	2.5%
14	विकृत ईथाइल अल्कोहल (ईथानोल), वास्तविक उपभोक्ता की शर्तों के अधीन	5%	2.5%
15	फेथैलिक एन्हीड्राइड के विनिर्माण के लिए ओर्थोज़ाईलीन	एसएडी – 4%	एसएडी – 2%
16	कास्टिक सोडा/पोटाश यूनिट, जो मेम्ब्रेन सैल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, द्वारा इलेक्ट्रोलाइज़र्स, मेम्ब्रेन और उनके पुर्जे अपेक्षित हैं।	2.5	शून्य
	कागज, पेपर बोर्ड और अखबारी कागज		
17	कागज, पेपर बोर्ड और अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए काष्ठ चिप्स	5%	शून्य
18	योजना, आरेखण और डिज़ाइन	शून्य	10%
	टेक्सटाइल		
19	विनिर्दिष्ट फाइबर और सूत	5%	2.5%
20	विनिर्दिष्ट फैब्रिक (निर्यात के लिए टेक्सटाइल वस्त्र के विनिर्माण के लिए) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आयात 1% एफओबी मूल्य के समतुल्य है) मार्च माह 2015 के लिए हकदारी वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयात की एफओबी मूल्य बारहवां हिस्सा होगा।	बीसीडी लागू होगा	शून्य
	इलैक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर		
21	कपेसिटर ग्रेड प्लास्टिक फिएम के विनिर्माण के लिए पोलिप्रोपाइलीन दाने/रेजिन	7.5%	शून्य
22	ई-रीडर	शून्य	7.5%
23	ई-रीडर के पुर्जे	बीसीडी लागू होगा	5%
24	वास्तविक उपभोक्ता शर्तों के अधीन घरेलू माइक्रोवेव के विनिर्माण में प्रयोग के लिए 1 किलो वाट से 1.5 किलो वाट की धारिता का मैग्नाट्रोन	10%	शून्य
25	अर्द्धचालक वेफर फैब्रीकेशन/एलसीडी फैब्रीकेशन यूनिट के लिए (पोपुलेटिड पीसीबी के सिवाय) मशीनरी, वैद्युत उपस्कर और उपकरण और उसके पुर्जे	बीसीडी, एसएडी लागू होगा	शून्य बीसीडी शून्य एसएडी
26	समवेत के लिए आयतित अर्द्धचालक चिप्स (एटीएमपी) यूनिट के परिक्षण, चिन्हित करना और पैकेजिंग के लिए मशीनरी, इलैक्ट्रीकल उपस्कर और उपकरण का आयात	बीसीडी, एसएडी लागू होगा	शून्य बीसीडी शून्य एसएडी
27	मोबाइल फोन के बी निर्माण के लिए चार्जर/अडेप्टर, बैटरी और तार लगे हुए हैंडसेट/ स्पीकर पर बीसीडी, सीवीडी, एसएडी से छूट को वापस लिया जाना	बीसीडी-शून्य एसएडी-शून्य सीवीडी-शून्य	बीसीडी, सीवीडी द्र 12.5% एसएडी - 4% से लागू होगा
28	वास्तविक उपभोक्ता शर्तों के अधीन चार्जर/अडेप्टर, बैटरी और तार लगे हुए हैंडसेट/मोबाइल फोन के स्पीकर, के विनिर्माण के लिए ईनपुट, पुर्जे, घटक, उपपुर्जे	बीसीडी, सीवीडी, एसएडी लागू होगा	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी

क्र.सं.		बीसीडी/सीवीडी/एसएडी/निर्यात शुल्क	
		से	तक
29	राउटर, ब्राडबैंड मॉडम, इंटरनेट प्राप्त करने के लिए सैटटॉप बॉक्स, टीवी के लिए सैटटॉप बाक्स, डिजिटल विडियो रिकार्डर (डीवीआर)/नेटवर्क विडियो रिकार्डर (एनवीआर), सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा, लीथियम इओन बैटरी (मोबाइल हैंडसेट के लिए प्रयोग होने के अलावा) के विनिर्माण के लिए पुर्जे और घटक, उपपुर्जे	बीसीडी, सीवीडी एसएडी लागू होगा	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
30	चुम्बकीय-शीर्ष (सभी प्रकार), मृत्तिका शिल्प/चुम्बकीय कारतूस और स्टाइलस, एंटीना, ईएचटी, समतल मीटर/समतल सूचक/टयूनिंग सूचक/शिखर समतल मीटर/बैटरी मीटर/बीसी मीटर/टेप काउंटर, टोन आयुध इलेक्ट्रॉन बंदूक	शून्य बीसीडी	बीसीडी लागू होगा,
31	अन्य छूट की परिधि से विनिर्दिष्ट दूर संचार उपस्कर (साफ्ट स्वीच और वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकल (वीओआईपी) उपस्कर अर्थात् वीओआई पी फोन, मीडिया गेटवे नियंत्रक और सत्र बार्डर नियंत्रक, प्रकाशिक परिवहन उपस्कर; एक का संयोजन/पौकित प्रकाशिक परिवहन उत्पाद/स्वीच (पीओटीपी/पीओटीएस), प्रकाशिक परिवहन नेटवर्क (ओटीएन) उत्पाद, और आईपी रेडियो, केरियर इथरनेट स्विच, पैकित परिवहन नोड (पीटीएन) उत्पाद, मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्वीचिंग - परिवहन प्रोफाइल (एमपीएलएस-टीपी) उत्पाद, मल्टीपलईनपुट/मल्टीपुट (एमईएमओ) और दीर्घ अवधि विकास (एलटीई) उत्पाद जिस पर बजट 2014-15 में नान आईटी ए । बाऊंड) रहते हुए 10% बीसीडी लगाया गया, को अपवर्जित करना।	शून्य बीसीडी	10%
32	दूरसंचार ग्रेड प्रकाशिक फाइबर/ केबल के विनिर्माण के लिए सिलिका का पूर्व प्ररूप	शून्य	10%
33	माइक्रो फ्यूज, उप-लघु चित्र फ्यूज, रीसैटेबल फ्यूज और तापीय फ्यूज के विनिर्माण में प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट पूंजी माल और इनपुट आवरण	बीसीडी लागू होगा,	शून्य
34	नीओडाईमियम चुम्बक (चुम्बकीयकरण से पूर्व) और चुम्बक रेसिन (स्ट्रोन्टियम फेराइट सम्मिक्षण/प्ररूप से पूर्व, चुम्बकीयकरण से पूर्व), वास्तव उपयोक्ता की शर्तों के अधीन रहते हुए, बीएलडीसी मोटर के विनिर्माण के लिए	बीसीडी लागू होगा,	2.5%
35	नीजी कम्प्यूटर (लेपटॉप या डेस्कटॉप) जिसके अंतर्गत टैबलेट कम्प्यूटर भी है, के विनिर्माण के लिए पोप्युलेटड पीसीबी	शून्य एसएडी	4% एसएडी
36	पोप्युलेटड पीसीबी मोबाइल फोन/टैबलेट कम्प्यूटर और मोबाइल फोन/टैबलेट कम्प्यूटर के विनिर्माण के लिए पोप्युलेटड पीसीबी पर रियायती एसएडी का अधिरोपण	शून्य	2% एसएडी
	धातु, कांच और मृत्तिका शिल्प		
37	सिलिका रेत	5%	2.5%
38	पीतल का स्क्रैप	5%	2.5%
39	अन्य एल्युमिनियम उत्पाद	7.5%	10%
	आभूषण		
40	स्वर्णल डोर छड़	8% सीवीडी	8.75% सीवीडी
41	रजत डोर	7% सीवीडी	7.75% सीवीडी
	ऑटोमोबाइल		
42	गोल्फ कार	10%	60%

क्र.सं.		बीसीडी/सीवीडी/एसएडी/निर्यात शुल्क	
		से	तक
43	वैद्युत और हाईब्रिड वाहन के विनिर्दिष्ट पुर्जे	बीसीडी - शून्य सीवीडी - 6% 31.03.2016 तक	बीसीडी - शून्य सीवीडी - 6% बिना समय सीमा के
44	वॉश कोट जो केटालिक कनवर्टर के विनिर्माण में प्रयोग होता है, के विनिर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए एल्यूमिनियम आक्साइड का प्रयोग	7.5%	5%
45	एक्सईवी (हाईब्रिड वैद्युत वाहन) के लिए ईंजन	बीसीडी और सीवीडी लागू होगा	बीसीडी शून्य सीवीडी 6%
	पूंजी माल		
46	सड़कों के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट मशीनरी	सीवीडी-शून्य	सीवीडी-12.5%
	रक्षा उत्पादन		
47	भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रक्षा प्रयोजन के लिए 01.04. 2016 से विनिर्दिष्ट माल का सीधा आयात	बीसीडी-शून्य सीवीडी-शून्य एसएडी-शून्य	बीसीडी. सीवीडी और एसएडी लागू होगा
48	भारत सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम के संविदाकर्ता या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के उप-संविदाकर्ता द्वारा रक्षा प्रयोजन के लिए 01.04. 2016 से विनिर्दिष्ट माल का आयात	बीसीडी.- शून्य सीवीडी और एसएडी लागू होगा	बीसीडी. सीवीडी और एसएडी लागू होगा
	वायुयान का अनुरक्षण, मरम्मत और पूर्ण मरम्मत (एमआरओ)		
49	महानिदेशक नागर विमानन द्वारा प्रमाणिकता के अध्यक्षीन रहते हुए, वायुयान के अनुरक्षण, मरम्मत और पूर्ण मरम्मत (एमआरओ) के लिए एमआरओ द्वारा औजार और औजार किट का आयात	बीसीडी. सीवीडी और एसएडी लागू होगा	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
50	वायुयान के पुर्जों, परीक्षण उपस्कर, औजार और औजार किट का अनुरक्षण, मरम्मत और पूर्ण मरम्मत जो अभिलेखों पर आधारित है और वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए सीमा शुल्क से छूट लेने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण	-	-
51	वायुयान के पुर्जों का अनुरक्षण, मरम्मत और पूर्ण मरम्मत के लिए शुल्क मुक्त पुर्जों के उपयोग के लिए एक वर्ष के निर्बंधन को हटाना	-	-
52	और आगे ठहरने (60 दिन तक) की विद्यमान शर्तों को शिथिल करता है, ताकि अनुरक्षण मरम्मत, या पूर्ण मरम्मत हेतु विदेशी वायुयान, को छः महीने तक ठहरने का उपबंध किया जा सके, और विस्तार की ऐसी अवधि, जो डीजीसीए सही समझे।	-	-
	पोत मरम्मत यूनिट		
53	वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए पोत मरम्मत यूनिट द्वारा पूंजी माल और उसके पुर्जे कच्चा माल, पुर्जे, माल संभालने के उपस्कर और समुद्र में जाने वाले आद्यान के लिए उपभोज्य	उत्पाद शुल्क लागू होगा	शून्य
54	वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए और अभिलेखों के आधार पर पोत मरम्मत यूनिट द्वारा आधारीय उत्पाद शुल्क, सीवीडी और एसएडी से छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण	-	-

क्र.सं.		बीसीडी/सीवीडी/एसएडी/निर्यात शुल्क	
		से	तक
	प्रकीर्ण		
55	ब्रेल कागज	10%	शून्य
56	प्रयोज्य विसंक्रामक और कृत्रिम वृक्क का सूक्ष्म अवरोधक	बीसीडी. सीवीडी और एसएडी लागू होगा	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
57	सौर तापित कांच/सौर तापित (परावर्ती रोधी लेपित) कांच	शून्य	5%
58	रेडियो भेषजीय के विनिर्माण के लिए विकीर्ण और समस्थानिक तकनीकी बोर्ड (बीआरआईटी) द्वारा आयातित फिशन मोलीब्डेनम-99	7.5%	शून्य
59	स्वच्छता पैड, नैपकिन और टेम्पेन के विनिर्माण के लिए काष्ठ लुगदी (व्यस्कों के पोतड़ों के विनिर्माण के लिए बीसीडी पर लुगदी पहले से ही शून्य है)	5%	2.5%
60	अति अवशोषक पोलिमर जब उसका प्रयोग स्वच्छता पैड, नैपकिन और टेम्पेन के विनिर्माण के लिए किया जाता है	7.5%	5%
61	विभिन्न प्रकार या अनुप्राप्तियों, का खनन पट्टों, पूर्व एनईएसपी, एमईएसपी संविदायों, सीमांत क्षेत्र नीति, कोयला क्षेत्र मीथेन नीति, के अधीन पेट्रोलियम खोज के लिए आधारित विनिर्दिष्ट माल सीमाशुल्क से छूटों को विनिर्दिष्ट माल और शर्तों की एकीकृत सूची के साथ सकल छूट में विलय करना।	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
62	1 अप्रैल 1990 के पूर्व जारी या नवीकृत की गई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्तियों (पीईएल) अथवा खनन पट्टा (एमएल) के अधीन लिए गए पेट्रोलियम खोज हाइड्रोकार्बन क्रिया कलापों के खोज और उत्पादन हेतु अपेक्षित विनिर्दिष्ट माल	लागू बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
63	उर्वरक के विनिर्माण हेतु शून्य बीसीडी पर फास्फोरिक अम्ल और एनहाइड्रस अमोनिया के आयात हेतु विहित की गई वास्तविक उपयोक्ता की शर्तें	-	-
64	एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी टीवी के विनिर्माण हेतु शून्य बीसीडी पर एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी पैनल के आयात के लिए विहित की गई वास्तविक उपयोक्ता की शर्तें।	-	-
65	जब राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग केन्द्र (एनएचआरसी), हैदराबाद द्वारा स्टोरेज मीडिया पर "विदेशी सटेलाइट डाटा" का आयात लिया गया	लागू बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी

भूत लक्षी संशोधन :

क्रम सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2016 के खंड
1.	भूतलक्षी रूप से अग्रिम अनुज्ञप्ति और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार से स्कीमों से संबंधित अधिसूचनाओं या संशोधन करने, इन अधिसूचनाओं के 'धारा 8' को सन्दर्भ को धारा 'धारा 8 ख' में सुधार करने, जिससे स्पष्टतया यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के धारा 8ख के अधीन सुरक्षोपाय शुल्क से छूट अग्रिम अनुज्ञप्ति और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीमों के अधीन आयात पर इन अधिसूचनाओं के अधीन उपलब्ध था/है।	[136]

उत्पाद शुल्क

टिप्पण: "आधारभूत उत्पादशुल्क" केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की पहली पूरक अनुसूची में उपवर्णित उत्पाद शुल्क अभिप्रेत है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

क्रम सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2016 के खंड
1.	धारा 5क का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के प्रचार और लोक संपर्क निदेशालय द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना के विक्रय हेतु प्रचार करने और प्रस्थापना की अपेक्षा का लोप किया जा सके	[139]
2.	धारा 11क का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि कपट, तथ्यों को छिपाना, जानबूझकर मिथ्या कथन करने में सम्मिलित न होने वाले मामले में एक वर्ष की सीमा की अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष किया जा सके।	[140]
3.	धारा 37ख का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि आदेश-अनुदेश तथा निदेश को जारी करने की शक्ति के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड को सशक्त किया जा के	[141]
4.	तीसरी अनुसूची या संशोधन किया जा रहा है जिससे क) वर्ष 2017 की नामपद्धति की सामंजस्य पूर्ण प्रणाली के परिणाम स्वरूप कुछ संपादकीय परिवर्तन किया जा सके । (ख) जिसमें सम्मिलित किया जा सके 1) शीर्ष 3401 और शीर्ष 3402 के अधीन आने वाले सभी माल 2) 0.2 मिमी. से अनधिक मोटाई की एल्मूनियम पर्ण 3) कलाई पर पहने जाने वाली युक्तियां (जिसे सामान्यतया "स्मार्ट घड़ी के रूप में जाना जाता है); और 4) मोटर यान के उपसाधन	[142(ii)] [142(i)]
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन		
	शुल्क की दरों को प्रभावित न करने वाले संशोधन	
1.	कतिपय अध्यायों में नामपद्धति सुमेलित प्रणाली (एचएसएन) में सम्पादकीय परिवर्तनों को पहली और दूसरी अनुसूची में समाविष्ट किया जा रहा जो 01.01.2017 से प्रभावी होंगे।	[143(ii)]
2.	क) अध्याय27 के अनुपूरक टिप्पण (ड) और (च) का संशोधन करने के लिए जिससे: (i) उच्च गति डीजल (एचएडडी) के लिए आईएस:1460:2000 से आईएस:1460:2005 तक और (ii) हल्के डीजल तेल (एलडीओ) के लिए आईएस:1460 से आईएस:15770:2008 से संदर्भ को बदला जा सके; ख) "रोआ फैब्रिक अकर्तिक" वर्णन वाली टैरिफ पंक्ति 5901 39 10को टैरिफ पंक्ति 5801 37 11 [मखमल ताना फैब्रिक 'इपंगल' वर्णन वाले] और 5801 37 19 [रोआ ताना फैब्रिक 'इपिंगल' वर्णन सहित] के स्थान पर रखा जा सके। ग) सृजित प्रयोगशाला या विकसित प्रयोगशाला या मानव निर्मित या कल्चरी या संश्लिष्ट हीरा के लिए पृथक टैरिफ आधारों को विहित किया जा सके; घ) बेतार माइक्रोफोन से संबंधित टैरिफ आधार 8525 50 50 को हटाया जा सके। कतिपय अध्यायों में नामपद्धति को सुमेलित प्रणाली में सम्पादकीय परिवर्तनों को पहली अनुसूचियों में समनिष्ट किया जा रहा जो 01.01.2017 से प्रभावी होंगे।	[143(i)]

		से	तक
	शुल्क की दर में अन्तर्वलिन परिवर्तन का संशोधन		
	वातित पेय		
1	चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य या सुरुचिकर से मिलकर बनने वाला वातितजल, लेमेन्डा और अन्य जल	18%	21%
	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद		
2	सिगार और चुर्रुट	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।
3	सिगरील	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।
4	सिगरेट और तम्बाकू अनुकल्प	3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।	3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।
5	तम्बाकू अनुकल्प का सिगरीला	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।
6	अन्य तम्बाकू अनुकल्प	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।	12.5% या 3375 रुपए प्रति हजार इनमें जो भी अधिक है।
7	गुटका, चबाने वाला गुटका (जिसके अन्तर्गत फिल्टर युक्त खैनी है) और जर्दा, इलायची तम्बाकू	70%	81%
8	अविनिर्मित तम्बाकू	55%	64%
9	कागज वेलित बीड़ी (चाहे वह हाथ से बनी हो या मशीन से बनी हो) और अन्य बीड़ी [हाथ से बनी बीड़ी से भिन्न] तथापि, रुपए 21 रुपए प्रतिहजार की आधारीय सीमाशुल्क की प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी	30 रुपए प्रति हजार	80 रुपए प्रति हजार

शुल्क दर में अंतर्वलित परिवर्तन में संशोधन, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा तत्काल रूप से प्रभावी होगी।

शुल्क दरों में परिवर्तनों में अन्तर्वलित अन्य प्रस्ताव

		से	तक
	खाद्य प्रसंस्करण		
1	प्रशीतित आधान	12.5%	6%
	उर्वरक		
2	खाद्य पारेषण, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1925 की अनुसूची 1के भाग (फ) के क्रम सं. 1(च) के अधीन कवर किए जाते हैं और विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया जाता है जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है	12.5%	6%

		से	तक
3	ऐसी सहकारी सोसाइटियों द्वारा विनिर्मित उर्वरक के भौतिक मिश्रण, जिनके पास उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अधीन उर्वरक के मिश्रण का विनिर्माण का प्रमाण पत्र है, में से उस रासायनिक उर्वरक जिस पर उत्पाद शुल्क संदत्त किया जा चुका है और सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 में नियम 3 के अधीन ऐसे रासायनिक उर्वरक पर संदत्त शुल्क का कोई प्रत्यय नहीं लिया गया है और जिनका ऐसी सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों की पूर्ति करने के लिए आशयित है	1% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 6% [सेनवेट प्रत्यय के बिना]	शून्य
	टेक्सटाइल		
4	रेडिमेड वस्त्रों तथा टेक्सटाइल से निर्मित वस्तुओं के टैरिफ मुल्यों की वृद्धि करने के लिए	खुदरा विक्रय कीमत का 30%	खुदरा विक्रय कीमत का 60%
5	1000 रुपये या अधिक के खुदरा विक्रय मूल्य के ब्राण्डीकृत रेडिमेड वस्त्र और टेक्सटाइल से निर्मित वस्तुएं	शून्य [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 6%/ 12.5% [सेनवेट प्रत्यय सहित]	2% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 12.5% [सेनवेट प्रत्यय सही]
6	प्लास्टिक स्क्रेप या प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसमें अपशिष्ट पीईटी बोतले भी शामिल है, से विनिर्मित पीएसएफ/पीएफवाई	2% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 6% [सेनवेट प्रत्यय के बिना]	शून्य [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 12.5% [सेनवेट प्रत्यय सहित]
	जूतादि		
7	तल्लो और एड़ी के लिए रबड़ चादर और रेजिन रबड़ चादर	12.5%	6%
8	जूतादि के सभी प्रवर्गों के लिए उत्पाद शुल्क निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए खुदरा विक्रय कीमत (आरएसपी) से उपशमन की वृद्धि करने के लिए	25%	30%
	धातुएं		
9	एल्यूमीनियम पर्ण से बने प्रयोज्य आद्यानों पर उत्पाद शुल्क संरचना का परिवर्तन करने के लिए	2% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 6% [सेनवेट प्रत्यय सहित]	2% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 12.5% [सेनवेट प्रत्यय सहित]
	आभूषण		
10	स्वर्ण की डोर छड़ से विनिर्मित परिष्कृत स्वर्ण छड़े, रजत अयस्क, स्वर्ण अयस्क या सान्द्र, या सान्द्र, ताम्र अयस्क या सान्द्र, भविष्य लक्षी रूप से विद्यमान क्षेत्र आधारित छूटों में अधीन परिष्कृत स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क को वापिस कर लिया जा रहा है।	9%	9.5%
11	रजत अयस्क या सान्द्र से विनिर्मित परिष्कृत रजत, रजत डोर छड़, या स्वर्ण डोर छड़े। भविष्य लक्षी रूप से विद्यमान क्षेत्र आधारित छूटों के अधीन परिष्कृत रजत पर भविष्य लक्षी छूट को वापिस कर लिया गया है।	8%	8.5%
12	आभूषण की वस्तुएं जिनकी [चांदी के आभूषण को छोड़कर, हीरक या अन्य कीमती प्रस्तर अर्थात् माणिक्य पन्ना और नीलम के साथ जड़ित से अन्य] एक वर्ष में उच्चतर आरम्भिक सीमा छूट 6 करोड़ रुपये तक है और सरलीकृत अनुपालन प्रक्रिया के साथ 12 करोड़ रुपये की पात्रता सीमा है।	शून्य	1% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 12.5% [सेनवेट प्रत्यय के साथ]

		से	तक
	नवीकरणीय ऊर्जा		
13	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों के लिए रोटर ब्लेडों और रोटर बलेडो में मध्यवर्तीय पुर्जे और उप पुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त असंतृप्त रेजिन (इन्फ्यूजन रेजिन और हस्तलेअप रेजिन आधारित पॉलिस्टर), आसंजक रेजिन के लिए कठोरक (कठोरको, विनाइल ईस्टर आसंजक (वीईए) और ईपोक्सी रेजिन	शून्य	6%
14	वायु प्रचालित विद्युत जनित्रों के लिए रोटर ब्लेडों और रोटर ब्लेडस के मध्यवर्ती पुर्जे और उप पुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कार्बन पुलट्रयुजन	शून्य	6%
15	सौर लैम्प	12.5%	शून्य
16	नगर पालिका और शहरी अपशिष्ट पर आधारित शक्ति उत्पादन परियोजना की दशा में सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क की किफायती दरों का लाभ उठाने के लिए गैर-परम्परागत सामग्री का प्रयोग करते हुए विद्युत जनित्र के विक्रय और खरीद के लिए शक्ति के आयतक/उत्पादक और खरीदार के बीच वैध बिजली के उत्पादन की खरीद के करार" की शर्त में किसी अनुकूल्य के रूप में "परियोजना की शुरुआत की तारीख से 10 वर्ष से अनधिक के लिए" नगरपालिका ठोस अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए शक्ति में आयतक/उत्पादक और शहरी स्थानीय निकाय के बीच वैध करार को विहित करने के लिए	-	-
	नागर विमानन		
17	क्षेत्रीय संयोजी स्कीम के अधीन वायुयान की पूर्ति से भिन्न विमानन टरबाईन ईंधन (एटीएफ)	8%	14%
	वायुयान का अनुरक्षण, मरम्त और पूर्ण मरम्त(एमआरओ)		
18	नागर विमानन महा निदेशालय द्वारा किसी प्रमाणीकरण के अधीन वायुयान के अनुरक्षण, मरम्त और पूर्ण मरम्त (ओएमआर) के लिए एमआरओ द्वारा उपापत होने पर औजार और औजार किट	उत्पाद शुल्क लागू होगा	शून्य
19	अभिलेखों पर आधारित वायुयान के अनुरक्षण, मरम्त और पूर्ण मरम्त के लिए, पुर्जों, परीक्षण उपकरणों, औजार और औजार किट पर उत्पाद शुल्क से छूट लेने के लिए प्रक्रिया को सरलीकृत करना	-	-
20	वायुयान के अनुरक्षण, मरम्त और पूर्ण मरम्त के लिए शुल्क मुक्त पुर्जों के उपयोग के लिए एक वर्ष के निर्बंधन को हटाया जाना	-	-
	इलैक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर		
21	मूल उपस्कर विनिर्माता के रूप में मोबाईल फोन विनिर्माता को पूर्ति के लिए चार्जर, अडेप्टर, बैट्री और वायर हेडसेट/स्पीकर	शून्य	2% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 12.5%/ [सेनवेट प्रत्यय के साथ]
22	वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन इनपुट, पुर्जे और घटक, चार्जर के विनिर्माण के लिए उपपुर्जे, अडेप्टर बैट्री और तार लगा हैडसेट स्पीकर	शून्य	शून्य
23	इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राऊटर्स, ब्राडबैंड मोडमस, सेट-टाप बक्से टीवी डिजिटल विडियो रिकार्डर (डीवीआर) नेटवर्क विडियो रिकार्डर (एनवीआर) सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा के लिए सेट टाप बक्से, लीथियम आयन बैट्री (मोबाइल हैडसेट के लिए लीथियम आयन बैट्री से भिन्न)	12.5%	4% [सेनवेट प्रत्यय के बिना] या 12.5%/ [सेनवेट प्रत्यय के साथ]

		से	तक
24	पुर्जे और घटक, राऊटर के विनिर्माण के लिए ब्राड बैंड मोडेम्स उपपुर्जे, मोजम इंटरनेट तक पुहंच प्राप्त करने के लिए ब्राडबैण्ड मोडमस,सेटटाप बक्से, टीवी डिजिटल विडियो रिकार्डर (डीवीआर) नेटवर्क विडियो रिकार्डर (एनवीआर) सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा के लिए सेट टाप बक्से, लीथियम आयन बैट्री	12.5%	शून्य
	मशीनरी		
25	अपकेन्द्रीय पम्प के विनिर्माण के लिए वैद्युत मोटर, शाफ्ट, स्लीव चैम्बर इम्पैलर, वाशर	12.5%	6%
	आटोमोबाइल		
26	विद्युत वाहनो और हाइब्रिड वाहनो के विनिर्दिष्ट पुर्जे	31.03.2016 तक 6%	बिना समय सीमा 6%
27	एक्सईवी (हाइब्रिड वैद्युत वाहन) के लिए इंजन	12.5%	6%
	प्रकीर्ण		
28	ईथाइनलीन का 15% सुव्यवस्थिकरण होने से भिन्न अन्य पॉलीमर के बोरे और थैलो पर उत्पाद शुल्क	12.5%/15%	15%
29	उन्नत रसोई स्टोव जिसमें, काष्ठ, कृषिअपशिष्ट, गाय का गोबर, इष्टिकाएं और कोयला जलाने के लिए धुआं रहित चुल्हे पर बिना शर्त छूट	शून्य	शून्य
30	कृत्रिम वृक्क के प्रयोज्य विसंक्रामक और सूक्ष्म अवरोधक	12.5%	शून्य
31	सर्निमाण स्थल पर सर्निमाण कार्य में उपयोग के लिए सर्निमाण स्थल पर तैयार कंकरीट मिश्रण	2% [इनपुट कर प्रत्यय के बिना] 6% [इनपुट प्रत्यय के साथ]	शून्य
32	रेल या ट्राम चलित इंजन या रॉलिंग स्टॉक के पुर्जे और रेल पथ या ट्राम पथ की साज-सज्जा, रेल सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर, आदि	12.5%	6%
33	लीनियर एल्काइल बैंजीन (एलएबी) और भारी एल्कालाइड (एचए) से एन-पैराफीन के विनिर्माण के लिए वर्तमान में उपलब्ध रेमनांट केरोसीन। वर्तमान में छूट एलएबी और एचए के विनिर्माण तक निर्बंधन पर है	14%	शून्य
34	कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर/स्वच्छ पर्यावरण, उपकर, नागालैण्ड राज्य में किसी अनुज्ञप्ति या पट्टे के बिना स्थानीय आदिवासियों द्वारा परम्परागत और प्रथा द्वारा अधिकारो के उपयोग से उत्पादित किए गये या निकाले गये, लिग्नाईट या पिट	200 रुपए प्रति टन	शून्य
35	उत्पाद शुल्क के निर्धारण पर आधारित खुदरा विक्रय कीमत (आरएसपी) का विस्तार करना (क) शीर्ष 3401 और 3402 के अधीन आने वाला सभी माल [30% उपशमन की दर से] (ख) 0.2 मि.मी. से अनधिक भी एल्यूमीनियम पर्णे [25% उपशमन भी दर से] (ग) कलाई पर पहनने योग्य युक्तिया (साधारणतया स्मार्ट घड़ियों के रूप में ज्ञात) [30% उपशमन की दर से] (घ) मोटर यान और कतिपय अन्य विनिर्दिष्ट के उपसाधन [30% की उपशमन की दर से]		

प्रकीर्ण

- 1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि देशीकृत उत्पादित कच्चे तेल पर तेल उद्योग विकास उपकरण की दर को 4500 रुपए पीएटी से घटाकर 20% मूल्यानुसार ओआईडीबी उपकरण किया जा रहा है। अधिनियम में संशोधन वित्त अधिनियम 2016 की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

[खण्ड 222]

- 2) वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सभी लम्बाइयों के फिल्टर और फिल्टर रहित सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाया जा सके जैसे नीचे दिया गया है—

[खण्ड 222]

	सिगरेट	प्रति हजार रुपये से	प्रति हजार रुपये तक
	गैर फिल्टर 65 से अनधिक	70	215
	गैर फिल्टर 65 से अधिक परंतु 70 से अनधिक	110	370
	फिल्टर 65 से अनधिक	70	215
	फिल्टर 65 से अधिक परंतु 70 से अनधिक	70	260
	फिल्टर 70 से अधिक परंतु 75 से अनधिक	110	370
	अन्य	180	560

- 3) स्वच्छ उर्जा उपकरण को स्वच्छ पर्यावरण उपकरण के रूप में पुर्न:नामित किया जा रहा है। स्वच्छ उर्जा उपकरण के साथ वित्त अधिनियम 2010 की दसवीं अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है जिसमें स्वच्छ उर्जा उपकरण की अनुसूचित दर में प्रतिटन 300 रुपए से बढ़ाकर प्रतिटन 400 रुपए किया जा सके स्वच्छ ऊर्जा उपकरण की प्रभावी दर प्रतिटन 200 रुपए से बढ़ाकर प्रतिटन 400 रुपए किया जा रहा है।

[खण्ड 232]

- 4) **शीर्ष 8703 के, मोटरयान पर अवसंरचना उपकरण को निम्नानुसार 35 गृहीत किया जा रहा है:**

- ख) 4 मीटर से अनधिक लम्बाई वाले पेट्रोल/एलपीजी/सीएजी से चलने वाले मोटर यान और 1200सीसी से अनधिक इंजन क्षमता-1%
- ग) 4 मीटर से अनधिक लम्बाई के और 1500 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता वाले डीजल से चालित मोटर वाहन-2.5%
- घ) अन्य उच्च इंजन क्षमता और एस यूवी और अधिक बड़ा सेडान- 4%

तिपहिया यान इलेक्ट्रानिक रूप से प्रचालित यान, हाइब्रिड यान, ईंधन प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन यान ऐसे मोटर यान जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए टैक्सी, कार के रूप में स्वयं के प्रयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है। एम्बुलेंस के रूप में या एम्बुलेंस के रूप में स्वयं के प्रयोग के लिए उपकरण से छूट प्रदान की जाएगी। इसका कोई भी प्रत्यय उपलब्ध नहीं रहेगा और अवसंरचना उपकरण के संदाय के लिए किसी अन्य शुल्क को प्रत्यय का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

[खण्ड 159]

उपरोक्त 1), 2) और 3) के परिवर्तन, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के रूप तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन नियम और विनियम

- 1) विद्यमान यात्री सामान नियम 1998 को यात्री सामान नियम 2016 के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे विभिन्न प्रवर्गों के यात्रियों के लिए शुल्क मुक्त भत्ता के साधारण और बहुल स्लैब को सुव्यवस्थित किया जा सके। नये नियम तारीख 01.04.2016 से प्रभावी होंगे।
- 2) विद्यमान सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माता के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 1996, नियम को सरलीकरण करने की दृष्टि से सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माता के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात नियम 2016 के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों से अनुज्ञात प्राप्य करने के बदले में स्वयं की घोषणा पर आधारित आयातक/विनिर्माता के लिए जारी की गई शुल्क से छूट प्राप्त करना है। अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता के साथ भी समाप्त किया जा रहा है। नए नियम 01.04.2016 से प्रभावी होंगे।

- 3) धारा 28कक के अधीन सीमाशुल्क के विलंब संदाय पर ब्याज दर को 15% पर सुव्यवस्थीकरण किया जा रहा है।
- 4) सीमा शुल्क यात्री सामान घोषणा विनियम, 2013 का संशोधन किया जा रहा है जिससे केवल उन यात्रियों के लिए जो केवल शुल्क या प्रतिबद्ध माल वहन करते हैं, के लिए ही सीमा शुल्क घोषणा फाइल करने को विहित किया जा सके।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 तथा सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004

- 1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे:
- (क) 27 से 13 अर्थात् एक वार्षिक और बारह मासिक विवरणी कतिपय सीमा से अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती द्वारा फाइल की जाने वाली विवरणीयों की संख्या को कम किया जा सके। मासिक विवरणीयों की पहले से ही ई-फाइलिंग की जा रही है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग के लिए उपबंध करेगा। इस वार्षिक विवरणी को कतिपय सीमा से अधिक सेवाकर निर्धारितीयों द्वारा भी उनके लिए वर्ष में विवरणीयों की कुल संख्या को तीन मानते हुए, फाइल किया जाना होगा।
- (ख) विवरणी के पुनरीक्षण की सुविधा को, जो अब तक केवल सेवा कर निर्धारितीयों का उपलब्ध है, विनिर्माताओं पर विस्तारित किया जा सके।
- (ग) यह उपबंध किया जा सके कि उन मामलों जहां बीजक अंकीय रूप से हस्ताक्षरित किए जाते हैं वहां परिवहन कर्ताओं के लिए बीजक की प्रति का हस्त अनुप्रमाणन को समाप्त किया जा सके।
- (ग) यह उपबंध किया जा सके कि अनंतिम निर्धारण को आन्तरिक रूप दिये जाने की दशा में ब्याज शुल्क के संदाय की मूल तारीख से प्रभार्य होगा।
- 2) सेनवेट प्रत्यय नियम 2004 का संशोधन किया जा रहा जिससे प्रत्यय प्रवाह में सुधार किया जा सके। अनुपालन भार और सहयुक्त मुकदमों विशेष रूप से जो छूट प्राप्त और छूट प्राप्त अन्तिम उत्पादों/सेवाओं के बीच प्रत्यय प्रभाजन से संबंधित है को कम किया जा सके। इनपुट सेवा वितरक से संबंधित उपबंधों में परिवर्तन भी किए जा रहे हैं जिनमें कतिपय परिस्थितियों में, आउट सोर्स किए गए विनिर्माताओं को इनपुट सेवा प्रत्यय अंतरण करने के लिए इस सुविधा का विस्तार भी है। इन नियमों संशोधन इनपुट के लिए सामान्य भांडागाण बनाए रखने के लिए बहु विनिर्माण यूनितों के साथ विनिर्माताओं को भी समर्थ बनाएंगे और व्यक्तिक विनिर्माणकारी यूनितों को प्रत्ययों सहित इनपुट वितरित करेंगे।
- 3) उन मामलों में, जिनमें पांच लाख रुपए से कम शुल्क अन्तर्वर्लित है उसे पन्द्रह वर्ष से अधिक लंबित है, में अभियोजन वापस लेने के लिए न्यायालयों को आवेदन फाइल करने के लिए मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों का अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।
- 4) विद्यमान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (उत्पादन शुल्क्य और अन्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम 2001 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क्य और अन्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2016 से प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे नियमों को जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करने की बजाए स्व घोषणा पर आधारित आपातकर्ता/विनिर्माता को शुल्क छूट अनुज्ञात करना भी है, सरल बनाया जा सके।

अन्य अधिनियमों में संशोधन

क्रम संख्या	संशोधन	वित्त विधेयक का 2016 का खंड
1.	वित्त अधिनियम 2001	
(i)	सातवी अनुसूची का संशोधन करना जो विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद शुल्क में एनसीसीडी उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है जिससे कि टैरिफ पंक्तियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की प्रथम अनुसूची के साथ पंक्तिबंध किया जा सकेगा।	[228(i)]
(ii)	सातवी अनुसूची का संशोधन करना जो विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद शुल्क के एनसीसीडी के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है जिससे 2017 नाम पद्धति की सुमेलित प्रणाली (एचएसएन) संपादकीय परिवर्तन सम्मिलित किए जा सके में परिवर्तन 1.1.2017 से प्रभावी होंगे।	[228(ii)]

क्रम संख्या	संशोधन	वित्त विधेयक का 2016 का खंड
2.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	
	<p>केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि स्पष्टीकरण को अन्तःस्थापित किया जा सके।</p> <p>स्पष्टीकरण:- जहां सामान्य वाहक पाइप लाइन या किसी अन्य सामान्य परिवहन या वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रीय या क्रय की गई और परिवहन की गई गैस, पाइप लाइन या प्रणाली में अन्य गैस के साथ आपस में मिश्रित और चिरयोग्य हो गई है और ऐसी गैस एक राज्य में पाइप लाइन या प्रणाली में समाविष्ट की जाती है और दूसरे राज्य में पाइप लाइन से निकाली जाती है, वहां गैस के ऐसे विक्रय या क्रय को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का संचलन समझा जाएगा।</p>	[221]
3.	केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000	
	केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपकर के पुर्नवितरण के लिए किसी सूत्र उपबंध करने के लिए उसमें उप-धारा (7) के खंड (viii) को प्रतिस्थापित किया जा सके	[227]
4.	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक ओषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	
	इन अधिनियमों के अधीन स्थापित किये गये तीनों अधिकरणों का विलय करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए कि सभी तीनों अधिनियमों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए तस्कर और विदेशी मुद्रा हलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण ही अपील अधिकरण होगा।	[229,223 और 224]
5.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999	
	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 में धारा 14 क को अन्तःस्थापित करने, आयकर अधिनियम 1961 में संलग्न द्वितीय अनुसूची के अधीन अर्न्तविष्ट उपबंधों को समाविष्ट करने के लिए जिससे कि आयकर अधिनियम 1961 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेमा 1999 के अधीन शास्तियों के बकाया वसूली करने के लिए सहायक निदेशक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी को समर्थ बनाया जा सके।	[225 और 226]

सेवा कर

		विद्यमान	प्रस्तावित
I	कृषि कल्याण उपकर		
1.	कृषि को वित्तपोषित करने और उसमें सुधार की पहलुओं का संवर्धन करने के लिए 1 जून, 2016 से सभी कराधेय सेवाओं पर कृषि कल्याण उपकर उद्ग्रहण करने के लिए एक समर्थकारी उपबंध किया जा रहा है।	-	0.5%
II	कर आधार का व्यापक बनाया जाना		
1.	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर छूट,- (i) विधिक सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की भागीदारी पर; और (ii) माध्यस्थम अधिकरण पर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, 1 अप्रैल, 2016 से वापस ली जा रही है और सेवा कर वायदा प्रभार के अधीन उदगृहीत किया जा रहा है।	शून्य	14%
2.	1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् की गई संविदाओं के संबंध में मोनोरेल या मेट्रो से संबंधित सन्निर्माण, परिनिर्माण संस्थापन या मूल संकर्म के संस्थापन पर छूट 1 मार्च, 2016 से वापस ली जा रही है।	शून्य	5.6%
3.	रज्जु मार्ग, केबल कार या एरियल ट्राम द्वारा यात्रियों के, सामान सहित या उसके रहित, के परिवहन की सेवाओं पर छूट 1 अप्रैल, 2016 से वापस ली जा रही है।	शून्य	14%
4.	नकारात्मक सूची प्रविष्टि जिसके अंतर्गत स्टेज कैरेज द्वारा सामान सहित या रहित यात्रियों के परिवहन की सेवा आती है, 1 जून, 2016 से लोप किया जा रहा है। सेवा कर 1 जून, 2016 से वातानुकूलित स्टेज कैरेज द्वारा यात्रियों के परिवहन पर सेवा उपशमन के उसी स्तर पर जो संविदा कैरेज द्वारा यात्रियों के परिवहन को लागू है, अर्थात् कर निवेश, इनपुट सेवा और पूंजी सेवा के प्रत्यय के बिना 60 प्रतिशत।	शून्य	5.6%
III	नई छूटें		
1.	निम्नलिखित के संबंध में सन्निर्माण आदि के माध्यम से सेवाएं- (i) सभी के लिए आवास (एचएफए) (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अधीन आवास परियोजना; (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के "भागीदारी में स्फुटा आवास" घटक के अधीन आवास परियोजना में साठ वर्गमीटर के कारपेट क्षेत्र तक कम कीमत का आवास; (iii) राज्य सरकार की किसी आवासन स्कीम के अधीन आवासन परियोजनाएं साठ वर्ग मीटर के कारपेट क्षेत्र तक कम कीमत का आवास को, 1 मार्च, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	5.6%	शून्य
2.	भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीयकरण प्रणाली के अधीन वार्षिकी के रूप में उपलब्ध कराए गए जीवन बीमा कारबार की सेवा को 1 अप्रैल, 2016 से कर से छूट दी जा रही है।	3.5%	शून्य

		विद्यमान	प्रस्तावित
3.	कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
5.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई विनियामक सेवाओं को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।	14%	शून्य
6.	उन मामलों में जहां पालिसी धारक की ओर से विनिधान या बचतों के लिए आबंटित रकम सेवा प्रदान करने के समय पालिसी धारक को सूचित नहीं की जाती है वहां 1 अप्रैल, 2016 से एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा) पालिसियों पर सेवा कर की प्रीमियम दर को 3.5% से घटाकर 1.4% किया जा रहा है।	3.5%	1.4%
7.	राष्ट्रीय आटिज्म, प्रमत्तकीय पक्षाघाट, मानसिक मन्दन और बहु:निःशक्तता के कल्याण न्यास द्वारा प्राइवेट पब्लिक इंश्योरेंस कंपनियों के सहयोग से आरंभ की गई 'निरामय' स्वास्थ्य स्कीम के अधीन प्रदान की गई साधारण बीमा कारबार की सेवाओं को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
8.	भारत सरकार की कृषि, सहकारी और किसान कल्याण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र द्वारा ज्ञान के प्रसार के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
9.	उष्मायित्रों को उष्मायन द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बीआईआरएसी) द्वारा अनुमोदित जैव प्रौद्योगिकी उष्मायित्रों के माध्यम से उष्मायनों को प्रदान की गई सेवाओं को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
10.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अधीन प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
11.	प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से पैन्लीकृत निकायों का अवधारण करने की सेवाओं को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
12.	संगीत, नृत्य या थिएटर के लोक या शास्त्रीय कला के प्रकार में अभिनय करने वाले कलाकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सीमा छूट को 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर से प्रति आयोजन पर भारित एक लाख रुपए से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपए की जा रही है।	14%	शून्य

IV	अनुतोष अध्यापय		
1.	विदेशी पोत परिवहन लाइनों के मुकाबले में भारतीय पोत परिवहन लाइनों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित का प्रस्ताव किया जा रहा है— (क) 1 मार्च, 2016 से भारत से बाहर जलयान द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से भारतीय पोत परिवहन लाइनों द्वारा प्रदान की गई शून्य सेवा दर, और (ख) भारत से बाहर से भारत में सीमाशुल्क स्टेशन तक जलयान द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर 1 जून, 1026 से अधिरोपित करना जिससे कि प्रत्यय श्रृंखला को पूरा किया जा सके और निवेश कर कृत्यों का लाभ लेने और उनका उपयोग करने के लिए भारतीय पोत परिवहन को समर्थ बनाया जा सके।	कोई प्रत्यय नहीं शून्य	निवेश इनपुट सेवाओं और पूंजी माल प्रत्यय 14%

2.	अधिसूचना सं. 41/2012-एसटी, तारीख 29 जून, 2012 अधिसूचना सं. 1/2016-एसटी, तारीख 3 फरवरी, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी जिससे कि, अन्य बातों के साथ, उक्त माल के निर्यात के लिए उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण के कारखाने या किसी अन्य स्थान या परिसर से परे उपयोग की गई सेवाओं पर सेवा कर का प्रतिदाय अनुज्ञात किया जा सके। यह संशोधन, मूल अधिसूचना (अर्थात् 1 जुलाई, 2012 के आवेदन की तारीख से प्रभावी किया जा रहा है)।		
3.	सेवा कर के त्रैमासिक संदाय के फायदे का विस्तार 1 अप्रैल, 2016 से 'एक व्यक्ति कंपनी' (ओपीसी) हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) पर किया जा रहा है।		
4.	प्राप्ति आधार पर सेवा कर के संदाय की सुविधा से 'एक व्यक्ति कंपनी' (ओपीसी) पर 1 अप्रैल, 2016 से विस्तारित की जा रही है।		
5.	निम्नलिखित की सेवाओं पर छूट— (क) सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी स्कूल, अस्पताल आदि के सन्निर्माण के संबंध में सरकारी प्राधिकारी को प्रदान किया गया सन्निर्माण, (ख) पत्तनों, वायु पत्तनों का सन्निर्माण, [जो 1-4-2015 से वापस ले ली गई थी] उन संविदाओं के अधीन जिन्हें 1-4-2015 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू स्टॉप शुल्क के संदाय पर 1-3-2015 से पहले किया गया था, के अधीन प्रदान की गई सेवाओं की बाबत प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।	कुल रकम का 5.6%	शून्य
6.	1 जुलाई, 2012 से 29 जनवरी, 2014 तक की अवधि के दौरान सरकार द्वारा किंतु जो आवश्यक रूप से संसद् या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय नहीं हैं निकायों को प्रदान की गई नहर, बांध या अन्य सिंचाई संकर्म के सन्निर्माण, अनुरक्षण आदि के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को अनुचित संपन्नता के सिद्धांत के अधीन रहते हुए पारिणामिक प्रतिदायों के साथ सेवा कर से छूट दी जा रही है।	कुल रकम का 5.6%	शून्य
7.	दो वर्ष के पूर्णकालिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीएम) (कार्यकारी विकास कार्यक्रम से भिन्न, प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम और प्रबंधन अध्येता वृत्ति कार्यक्रम (एफपीएम) के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को 1 मार्च, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
8.	पारस्परिक निधि या आस्ति प्रबंध कंपनी को पारस्परिक निधि अभिकर्ता/वितरक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं 1 अप्रैल, 2016 से वायदा प्रभार के अधीन कराधेय बनाई जा रही हैं जिससे कि विहित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए प्रतिवर्ष दस लाख के आवर्त की सीमा वाले लघु पैमाने की छूट का फायदा लेने के लिए वितरण श्रृंखला के लघु उप अभिकर्ताओं को समर्थ बनाया जा सके।	14%	14%
V	ब्याज दर		
1.	सभी अप्रत्यक्ष करों पर शुल्क/कर के विलंबित संदाय पर ब्याज की दरों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और संगृहीत किंतु खजाने में अनिश्चित सेवा कर के मामले के सिवाय 15% पर उस मामले में समान बनाया गया है जिसमें ब्याज की दर उस तारीख से जिसको सेवा कर संदाय शोध्य हुआ था, 24% होगी। ऐसे निर्धारितियों के मामले में जिनका सूचना के अंतर्गत आने वाले पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों में कराधेय सेवाओं का मूल्य 60 लाख रुपए से कम है, सेवा कर के विलंबित संदाय पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत होगी। [उपरोक्त परिवर्तन उस दिन से प्रभावी होंगे जिस दिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है]	सीमाशुल्क 18% उत्पाद-शुल्क सेवा कर 18% 24% 30%	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर 15% 24% संगृहीत सेवा कर किंतु जो खजाने में जमा नहीं है के मामले में

VI	उपशमन का सुव्यवस्थीकरण	विद्यमान	प्रस्तावित
1.	अंतःनिवेश सेवाओं का प्रत्यय को 70 प्रतिशत की उपशमन की विद्यमान दर पर रेल द्वारा यात्रियों के परिवहन पर अनुज्ञात किया जा रहा है।	4.2% प्रत्यय रहित	4.2% अंतःनिवेश सेवा प्रत्यय सहित
2.	अंतःनिवेश सेवाओं का प्रत्यय 70 प्रतिशत की उपशमन की विद्यमान दर पर रेल द्वारा आधानों से भिन्न मालों के परिवहन पर अनुज्ञात किया जा रहा है	4.2% प्रत्यय रहित	4.2% अंतःनिवेश सेवा प्रत्यय सहित
3.	अंतःनिवेश सेवाओं का प्रत्यय 60 प्रतिशत की घटी हुई उपशमन दर पर रेल द्वारा आधानों में मालों के परिवहन पर अनुज्ञात किया जा रहा है।	4.2% प्रत्यय रहित	5.6% निवेश सेवा प्रत्यय सहित
4.	अंतःनिवेश सेवाओं का प्रत्यय 70 प्रतिशत की उपशमन की विद्यमान दर पर जलयान द्वारा आधानों में मालों के परिवहन पर अनुज्ञात किया जा रहा है।	4.2% प्रत्यय रहित	4.2% अंतःनिवेश सेवा प्रत्यय सहित
5.	आवासीय परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके भाग के सन्निर्माण के रूप में सेवाओं के संबंध में उपशमन दर को दो विद्यमान दरों (उच्च प्रयोजन वाले फ्लैटों के लिए 70 प्रतिशत और निम्न प्रयोजन वाले फ्लैटों के 75 प्रतिशत) का विलियन करके 70 प्रतिशत की दर पर सुव्यवस्थित किया जा रहा है।	3.5%/4.2%	4.2%
6.	पैकेज टुअर (वहां परिभाषित है जहां टुअर प्रचालक सेवा प्राप्त परिवहन आवास भोजन आदि) पैकेज टुअर से भिन्न, के संबंध में टुअर प्रचालक द्वारा सेवाओं के संबंध में उपशमन दर को 70 प्रतिशत की दर पर सुव्यवस्थित किया जा रहा है।	3.5% 5.6% प्रभारित रकम का 3.5%/5.6%	प्रभारित रकम का 4.2%
7.	माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा प्रयुक्त घरेलू वस्तुओं के स्थानांतरण पर उपशमन अंतःनिवेशों, अंतःनिवेश सेवाओं और पूंजी माल पर सैनवेट प्रत्यय के बिना 60 प्रतिशत पर सुव्यवस्थित की जा रही है। (माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा अन्य माल के परिवहन पर अनुज्ञात 70 प्रतिशत के उपशमन की विद्यमान दर अपरिवर्तित बनी रहेगी)।	4.2%	5.6%
8.	फोरमैन की चिटफंड में दी गई सेवाओं पर उपशमन दर को अंतःनिवेशों, अंतःनिवेश सेवाओं और पूंजी माल पर सैनवेट प्रत्यय के बिना 30 प्रतिशत की दर पर सुव्यवस्थित किया जा रहा है।	14%	9.8%
	[उपरोक्त परिवर्तन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे]		
VII	कराधान में मुकदमेबाजी कम करना और निश्चितता प्रदान करना		
1.	अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 जिसमें आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में एक स्कीम, निर्धारित शुल्क, ब्याज और शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने के पश्चात् एक घोषणा फाइल कर सकता है, आरंभ की जा रही है। ऐसे मामलों में निर्धारित के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो जाएंगी और उसे अभियोजन से उन्मुक्त भी मिल जाएगी। तथापि, यह स्कीम उन मामलों में लागू नहीं होगी- (क) जिनमें अभियोजन पहले ही आरंभ हो चुका है, (ख) जिनमें स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थ अंतर्वलित हैं, (ग) जिनमें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन निरोध अंतर्वलित है।		

2.	धारा 67क का करधान नियम, 2011 के विषय के संबंध में नियम बनाने की शक्ति अभिप्राप्त करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस समय का बिंदु जब सेवा प्रदान की गई है या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई है, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित किया जाएगा। करधान नियम, 2011 का बिंदु तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।		
3.	वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93क का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि अधिसूचना और साथ ही नियमों के रूप में रिबेट को अनुज्ञात किया जा सके ।		
4.	वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65ख (44) में स्पष्टीकरण 2 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि लाटरी के संवर्धन, विपणन, आयोजन, लाटरी के विक्रय के संबंध में लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता द्वारा किया गया क्रियाकलाप, लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी प्रकार की लाटरी के आयोजन को किसी अन्य रीति में सुकर बनाना, सेवा कर से उद्ग्रहणीय है।		
5.	अधिसूचना सं. 27/2012-सीई (एनटी), तारीख 18-6-2012 का 1 मार्च, 2016 से संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सेवाओं के निर्यात के मामले में सैनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 के अधीन सैनवेट प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए आवेदन फाइल करने के लिए समय सीमा, (क) जहां सेवा का उपबंध ऐसे संदाय की प्राप्ति, से पहले पूरा कर लिया गया है वहां संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की प्राप्ति की तारीख से, या (ख) बीजक का निर्गमन, जहां सेवा के लिए संदाय बीजक के निर्गमन की तारीख से पहले अग्रिम रूप से प्राप्त कर लिया गया है, एक वर्ष है।		
6.	रेडियो आवर्ती स्पैक्ट्रम के उपयोग और उसके पश्चातवर्ती अंतरण के अधिकार के सरकार द्वारा समनुदेशन वित्त अधिनियम, 1993 की धारा 66 के अधीन सेवा के रूप में घोषित किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पैक्ट्रम के प्रयोग के अधिकार का समनुदेशन ऐसी सेवा है जो सर्विस सेवा कर से उद्ग्रहणीय है और अमूर्त माल के विक्रय के लिए उद्ग्रहणीय नहीं है।	14%	14%
7.	मोटर कैब के किराए पर दिए जाने के रूप में सेवाओं पर उपशमन का लाभ लेने के लिए प्रतिफल में ईंधन की लागत के समावेशन को आवश्यक बनाने वाली शर्त 1 अप्रैल, 2016 से विहित की जा रही है।		
8.	आर एस पी धारण करने वाली मीडिया पर सूचना प्रौद्योगिक साफ्टवेयर पर सेवा कर को 1 मार्च, 2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है । परंतु केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अनुसार आर एस पी पर संदत्त किया जाता है।	शून्य	शून्य
9.	“उपकर विक्रय के लिए नहीं” मीडिया पर अभिलिखित किए गए साफ्टवेयर के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर पर उत्पाद-शुल्क और सेवा कर के उद्ग्रहण की पारस्परिक अनन्यता संव्यवहार मूल्य के केवल उस भाग, जिस पर सेवा कर का संदाय किया जाता है, को उत्पाद-शुल्क से छूट देकर सुनिश्चित की जा रही है।	14%	14%

VIII	सेवा कर नियम
1.	अनुपालन लागत को कम करने के लिए किसी कतिपय सीमा से अधिक, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क निर्धारिती द्वारा फाइल की जाने वाली विवरणियों की संख्या 27 से काफी घटाकर 13, एक वार्षिक और बारह मासिक, की जा रही है। विवरणियों की पहले से ही ई-फाइलिंग की जा रही है। मासिक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड भी वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग के लिए उपबंध करेगा। सेवा कर निर्धारितियों द्वारा, कतिपय सीमा से अधिक, उनके लिए किसी वर्ष में विवरणियों की संख्या को तीन करते हुए, वार्षिक विवरणी भी फाइल की जानी होगी। यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा।

IX	सैनवेट प्रत्यय नियम
1.	इन नियमों का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को उपक्रमण के विकल्प के अतिरिक्त वास्तविक आधार पर छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में प्रत्यय को उपक्रमित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके।
2.	इन नियमों को प्रत्यय प्रभाव को सुधारने, अनुपालन भार कम करने और सहयोजित मुकदमे विशेष रूप से वे मुकदमे जो छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त अंतिम उत्पादन/सेवाओं के बीच प्रत्यय के प्रभाजन से संबंधित हैं, को कम करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इनपुट सेवा वितरक से संबंधित उपबंधों, जिनके अंतर्गत कतिपय परिस्थितियों में आउट सोर्स किए गए विनिर्माताओं को इनपुट सेवा प्रत्यय अंतरित करने की इस सुविधा का विस्तार भी है, में परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। इन नियमों में संशोधन इनपुटों के लिए सामान्य भांडागार को बनाए रखने और व्यष्टिक विनिर्माणकारी यूनिटों को प्रत्यय सहित इनपुट वितरित करने के लिए बहु-विनिर्माणकारी यूनिटों के साथ विनिर्माताओं को भी समर्थ बनाएंगे।
3.	इन नियमों को इनपुटों/इनपुट सेवाओं, जिनका कराधेय उत्पादन सेवा प्रदान करने में सामान्यतः उपयोग किया गया है, के सैनवेट प्रत्यय के उपक्रमण के लिए और वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन ऐसे क्रियाकलाप के लिए जो एक सेवा नहीं है, उपबंध करने हेतु संशोधित किया जा रहा है।
4.	सैनवेट प्रत्यय नियमों का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सरकार द्वारा या प्राकृतिक संसाधन के अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी समयावधि जिसके लिए अधिकार समनुदेशित किए गए हैं, के रूप में ऐसी कालावधि के दौरान समनुदेशन के लिए प्रभारित रकम पर संदत्त सेवा कर का सैनवेट प्रत्यय अनुज्ञात किया जा सके।
	[उपरोक्त संशोधन, 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे]
X	प्रकीर्ण
	मांग सूचनाओं को जारी करने की अवधि
1.	वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सेवा कर के कम उद्ग्रहण/गैर-उद्ग्रहण/कम संदाय/असंदाय/गलत प्रतिदाय के लिए परिसीमा की अवधि को अठारह मास से बढ़ाकर तीस मास किया जा सके।
	वित्त अधिनियम, 1994 में अन्य परिवर्तन
2.	नकारात्मक सूची प्रविष्टि, जिसके अंतर्गत (क) पूर्व स्कूल शिक्षा और उच्चतर तथा माध्यमिक स्कूल या उसके समतुल्य तक शिक्षा, (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या के भाग के रूप में शिक्षा और अनुमोदित व्यवसायी शिक्षा पाठ्यक्रम [(धारा 66घ (1))] के रूप में शैक्षिक सेवाएं और 'अनुमोदित व्यवसायी शिक्षा पाठ्यक्रम' [धारा 65ख (11)] की परिभाषा है, का लोप किया जा रहा है। तथापि, छूट, छूट संबंधी अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी के रूप में जारी रहेगी।
3.	विगत बजट में सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर विधियों का, जहां निर्धारित शुल्क/देय कर, ब्याज और विनिर्दिष्ट शास्ति का संदाय करता है, वहां कार्यवाहियों की समाप्ति के लिए उपबंध करने हेतु संशोधन किया गया था। इसके अतिरिक्त, सेवा कर विधि में संशोधन किए जा रहे हैं जिससे कि जब मुख्य सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाइयां समाप्त हो गई हैं तब सह सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाइयों के समापन के लिए उपबंध किया जा सके।
4.	सेवा कर में गिरफ्तार करने की शक्ति केवल उन दशाओं तक निर्बन्धित की जा रही है जहां कर संदायकर्ता ने कर का संग्रहण कर लिया है, किंतु उसे खजाने में जमा नहीं किया है और वह भी दो करोड़ रुपए की सीमा से अधिक है। अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को सेवा कर के अपवंचन की रकम को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए किया जा रहा है।